# लोक सभा

# वाद विवाद

मंगलवार,
७ सितम्बर, १९५४

---

(भाग १—प्रश्नोतर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

# • विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)


अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ १३९-१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८३-१८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ १९९-२१०

---

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ २६६-२७४

---

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . . ३९५-४०६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . . ४०६-४२४

अंक ७-- मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०३, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . . ४२५-४७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२ . . . . . ४७३-४८४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १५१ . . ४८४-४९८

अंक ८-- बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . . ४९९-५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . . ५४५-५४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . . ५४८-५६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० . . . ५६५-५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०२, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१. . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९. . . . ६५१—६६२

---

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न–संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३३, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

---

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३५, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५०, ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . ८१४-८३२

---

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . . ८८८-८९८

---

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६, ७२८, ७२९, ७३४ से ७३७, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

---

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

---

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

| | स्तम्भ |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११ क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७ | १२४३—१२८६ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ८७६, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ . | १२८६—१२९४ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४[illegible] . . . . | १२९४—१३१४ |

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

| | |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . . | १३१५—१३५९ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३२, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५ . . . . . . | १३५९—१३७६ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ . | १३७६—१३९२ |

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

| | |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९ | १३९३—१४४२ |
| अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११ | १४४२—१४४६ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००९, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . . | १४४६—१४६२ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११ | १४६२—१४७८ |

अंक २०— शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४८, १०४९ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . . . . १४७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६१, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५४२—१५६६

अंक २१— सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, १११२, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ १५६७—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... ... १६१४—१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९—१६३४

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८, ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . १६३५—१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . १६८४—१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--  स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७–१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७–१७१४

---

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१--१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१३ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

---

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६२, १२७३, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४ . . . . . १८८५—१९३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२ १९३३—१९३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४ १९३९—१९६०

## लोक-सभा

मंगलवार, ७ सितम्बर, १९५४

---

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट, लिमिटेड,

*५७७. **श्री वी० पी० नायर:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट, लिमिटेड कारखाने के प्रबन्धक ने भारत में चार व्यक्तियों के बैठने वाले दो डव ट्रान्सपोर्ट विमान लिए हैं, और यदि हां, तो उसने उन्हें कैसे और कितने मूल्य का लिया;

(ख) क्या यह सच है कि उन में से एक अभी तक हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के एक हैंगर (विमान रखने का स्थान) में खड़ा हुआ है; और

(ग) यदि उस हैंगर में विमान रखने के लिए उससे कोई शुल्क लिया जाता है, तो वह कितना है और यदि नहीं लिया जाता है, तो क्या हैंगर निःशुल्क उपयोग करने के लिए उसे कोई विशेष अनुज्ञा दी गई है?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** (क) जी नहीं; कारखाने के प्रबन्धक ने एक निजी सौदे में केवल एक एरोन्का विमान ५००० रुपए का खरीदा है।

(ख) उक्त विमान हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट के एक हैंगर में रखा हुआ है।

(ग) कारखाने के प्रबन्धक से वे सामान्य शुल्क लिए जाते हैं, जो सामान्य नियमों के अधीन हैंगर में स्थान के लिए लिए जाते हैं।

**श्री वी० पी० नायर:** क्या सरकार ने कारखाने के प्रबन्धक को यह विमान खरीदने के लिए अमरीका से धन लाने की अनुज्ञा दे दी है?

**सरदार मजीठिया:** अमरीका से किसी व्यक्ति को लाने का कोई प्रश्न नहीं है। यह विमान...

**श्री वी० पी० नायर:** मैंने पूछा था धन लाने के लिए।

**सरदार मजीठिया:** धन? इसके बारे में मुझे निश्चित रूप से पता नहीं है। मैं समझता हूं कि इस विमान के लिए अमरीका से कोई धन नहीं आया।

**श्री वी० पी० नायर:** हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में अपने काम के लिए उस प्रबन्धक को कुल मासिक आय कितनी मिलती है?

**अध्यक्ष महोदय:** मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं। यह तो बहुत बारीकियों में जाना है।

**श्री वी० पी० नायर:** वह विमान ५०,००० रुपए का खरीदा गया था।

**सरदार मजीठिया:** जी नहीं; केवल ५००० रुपए का।

**अध्यक्ष महोदय:** यह बहुत अधिक बारीकियों में जाना है। माननीय सदस्य इस विषय में निजी तौर पर मंत्री महोदय से बातचीत कर लें।

**गोदावरी घाटी में भूमिगत कोयला**

*५७९. **श्री राघवैया** : क्या प्राकृतिक संसाधन **तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र राज्य में गोदावरी घाटी में भूमिगत कोयले के विस्तार का सर्वेक्षण करने के हेतु कार्यवाही की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या; और

(ग) सर्वेक्षण के आरम्भ हो जाने की कब तक आशा है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय)**: (क) से (ग). भारत के भूतत्वीय परिमाप ने नवम्बर १९५४ से आरम्भ होने वाले मौके पर जाकर काम करने के मौसम के काम की एक मद के रूप में पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में धरती में बरमे से छेद करके भूमिगत कोयले की जांच पड़ताल करने के काम को सम्मिलित कर लिया है।

**श्री राघवैया**: क्या आन्ध्र राज्य के अन्य भागों में भूतत्वीय परिमाप करने के कोई प्रयत्न किए गए हैं ?

**श्री के० डी मालवीय**: विभिन्न खनिज पदार्थों के सर्वेक्षण के लिए एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

**श्री राघवैया**: मेरा प्रश्न यह है कि क्या भूमिगत कोयले का पता लगाने के लिए, आन्ध्र राज्य के भागों में कोई सर्वेक्षण किया गया है, न कि केवल भूतत्वीय परिमाप।

**श्री के० डी मालवीय**: मैं प्रश्न नहीं समझ सका हूं।

**मध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या विशेष रूप से भूमिगत कोयले के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है।

**श्री के० डी० मालवीय**: कुछ समय तक कोयले का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने के प्रयत्न किए गए थे। सच तो यह है कि पिछले पांच वर्षों से हमें कुछ भूमिगत कोयले के विषय में मालूम था और गवेषणाएं की गई हैं। कुछ वर्ष हुए मद्रास सरकार ने भी अपना सर्वेक्षण कार्य किया था। पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में कोयले के लिए खुदाई करने का हमने एक कार्यक्रम बनाया है, और यह नवम्बर १९५४ से आरम्भ होने जा रहा है।

**श्री राघवैया** : सर्वेक्षण के कब तक समाप्त हो जाने और परिणामों के प्राप्त होने की कब तक सम्भावना है ?

**श्री के० डी० मालवीय**: इसका मुझे कोई अनुमान नहीं है।

**दिल्ली छावनी के युद्धास्त्र डिपो में आग**

*५८१. **श्री अजित सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून १९५४ में केन्द्रीय युद्धास्त्र डिपो, दिल्ली छावनी, में कुछ आग लगने के मामले हुए थे;

(ख) यदि हां, तो हानि कितनी हुई; और

(ग) क्या उस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच न्यायालय बैठा था, और यदि हां, तो क्या परिणाम हुए ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) केंद्रीय युद्धास्त्र डिपो, दिल्ली छावनी में क्रमश : १५ और १६ जून , १९५४ को आग लगने दो मामले हुए थे ।

(ख) (१) १५ जून, १९५४ को ३९५ रुपए की हानि हुई थी।

(२) १६ जून, १९५४ को ४,२३६ रुपए की हानि हुई थी।

(ग) दोनों मामलों में जांच न्यायालय बैठे थे। १५ जून, १९५४ को लगी आग के सम्बन्ध में उस न्यायालय की आपत्ति यह है कि वह आग या तो एकाएक आग भड़क उठने के कारण अथवा उस डिपो के निकट से जाने वाली मुख्य लाइन से गुजरने वाली किसी मालगाड़ी के इंजिन की चिनगारी के कारण लगी होगी। १६ जून, १९५४ वाली आग का कारण एकाएक आग का भड़क उठना बताया गया था।

## औद्योगिक विकास निगम

*५८२. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री अपने २४ फरवरी १९५४ के वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्निर्माण तथा विकास के हेतु, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक मिशन द्वारा सुझाया गया औद्योगिक विकास निगम कब बनेगा?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख):** मैं आशा करता हूं कि यह निगम इसी वर्ष के अन्त तक बन जायगा।

**डा० राम सुभग सिंह:** मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय उद्योग के सहायतार्थ क्या अन्तर्राष्ट्रीय बैंक इस निगम को सहायता देने के लिए राजी हैं?

**श्री सी० डी० देशमुख:** वे इस निगम को ऐसी सहायता देने की सोच रहे हैं।

**डा० राम सुभग सिंह:** मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह औद्योगिक विकास निगम समस्त उद्योगों को सहायता देने के लिए है--अर्थात् क्या यह बड़े पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर-उद्योगों अथवा केवल बड़े पैमाने के उद्योग के लिए है?

**श्री सी० डी० देशमुख:** सामान्यतः इस निगम का काम गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को उद्योगों को सहायता देने के लिए है---अर्थात् देना है। उसके कार्यक्षेत्र की अभी ठीक ठीक परिभाषा नहीं दी गई है। सरकार के परामर्श से केवल सन्था का ज्ञापन और सन्था के अनुच्छेद बनाए गए हैं। प्रस्तावित निगम तथा सरकार के बीच करार का प्रारूप भी तैयार किया गया है, और वाशिंगटन स्थित अन्तर्राष्ट्रीय बैंक सरकार तथा बैंक के बीच प्रत्याभूति करार के प्रारूप पर विचार कर रहा है। अत: ये सब काम जब पूरे हो जाएंगे तब हमें ठीक ठीक पता चलेगा कि वास्तव में कौन से उद्योगों को निगम प्रोत्साहन देगा।

**पंडित डी० एन० तिवारी:** मैं जानना चाहता हूं कि लगभग कितनी पूंजी लगेगी और इसमें सरकारी पूंजी कितनी होगी?

**श्री सी० डी० देशमुख:** इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है। पूंजी ७ १/२ करोड़ रुपया होगी जो इस्पात भेजने के हेतु भारत-अमरीकी प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त लोहे और इस्पात की बिक्री की राशि के बराबर है जो निगम को ब्याज रहित अग्रिम राशि के रूप में प्राप्त होगी।

**श्री एन० बी० चौधरी:** मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रेस-समाचार में कोई तथ्य है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने औद्योगिक वित्त निगम से इसलिए एक अरब रुपए का ऋण मांगा है ताकि वह सूती वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के आधुनीकरण में सहायता देने के लिए औद्योगिक विकास निगम चला सके।

**श्री सी० डी० देशमुख:** हमारा सम्बन्ध गैर सरकारी निगम से है जिसे कई नामों से निर्देशित किया गया है।

इधर सबसे बाद में इसे जो नाम दिया गया है वह है "औद्योगिक धनीनियोजन-निगम"। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह विकास निगम की ओर निर्देश करता है, जिसे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय स्थापित करना चाहता है। अतः यह प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से पूछा जाना चाहिए।

## धूप से चलने वाला जनित्र

*५८३. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या संयुक्त राज्य वायु सेना ने एक ऐसे "धूप से चलने वाला जनित्र" का विकास किया है जिससे सूर्य-शक्ति एकत्र की जा सकती है और पारिवारिक उपयोग के लिए बिजली में बदली जा सकती है; और

(ख) क्या हमारी प्रयोगशालाएं उन आधारों पर गवेषण कर रही हैं; और सूर्य-शक्ति को एकत्र करने के विषय में क्या कोई प्रगति की गई है?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : नहीं, श्रीमान। संयुक्त राज्य वायु सेना ने प्रकाश-किरणों को प्रत्यक्षत : बिजली में बदलने के लिए कॅडमियम सल्फाइड के दोनों का प्रयोग किया है। इस सूर्य ने अभी तक क्षीण विद्युत धारएं पैदा की हैं और उद्योग में उनका प्रयोग में पर्याप्त समय लगेगा। परिवर्तन की कुशलता अभी केवल ६% तक पहुंची है।

(ख) नहीं, श्रीमान्। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला गर्म वायु के इंजिन चलाने, भाप बनाने के लिए पानी गरम करने, भाप से पानी बनाने तथा पारिवारिक उपयोग में लाने के लिए, दर्पणों द्वारा सूर्यशक्ति केन्द्रित करके उसे प्रत्यक्ष उपयोग में लाने की समस्या का अध्ययन कर रही है। बेल टेलीफोन लेबोरेटरी की सूर्य बैटरी का अध्ययन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा संचालक ने किया था और उसका साहित्य, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली को भेज दिया गया है।

**सरदार हुक्म सिंह:** जहां तक अमरीका का सम्बन्ध है, उन्होंने दूसरी बार सूर्य से यह शक्ति निकाली है। अमरीका ने सूर्य से पहली बार जो शक्ति निकाली थी उसके बारे में क्या हमारी प्रयोगशालाओं ने कोई गवेषणा की है?

**श्री के० डी० मालवीय** : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका।

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य यह कहते हैं कि शक्ति प्राप्त करने का यह दूसरा ढंग है। वे जानना चाहते हैं कि क्या कोई और भी ढंग है।

**सरदार हुक्म सिंह:** कुछ समय पूर्व अमरीका ने प्रथम तापक द्वारा सूर्य से शक्ति प्राप्त की थी। अब उन्हें दूसरे ढंग से यह शक्ति प्राप्त हुई है। इसके सम्बन्ध में हमारी प्रयोगशालाओं ने कोई गवेषणा नहीं की है। मैं जानना चाहता हूं कि:

क्या हम ने पहले ढंग से शक्ति प्राप्त करने के विषय में कोई गवेषणा की है?

**श्री के० डी० मालवीय:** अमरीका द्वारा पैदा की गई पहली और दूसरी शक्तियों के बारे में मैं नहीं जानता। जैसा मैंने कहा है, हमारी प्रयोगशालाएं पारिवारिक उद्देश्यों के लिए दर्पणों द्वारा सूर्य-शक्ति को प्रत्यक्षत: काम में लाने में प्रयत्नशील हैं।

**केन्द्रीय सचिवालय का पुस्तकालय**

*५८४. **सेठ गोविन्द दास:** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५३-५४ में केन्द्रीय सचिवालय के पुस्तकालय के लिए नई पुस्तकें खरीदने पर कितना खर्च किया गया;

(ख) अंग्रेजी और हिन्दी की पुस्तकों पर अलग अलग कितना खर्च किया गया; और

(ग) इसी समय में अंग्रेजी और हिन्दी की कितनी कितनी पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गईं?

**शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास):** (क) २७,००० रु०।

(ख) अंग्रेजी की पुस्तकों पर लगभग २४,५०० रु० हिंदी की पुस्तकों पर लगभग २,५०० रु०।

(ग) १९५३-५४ में दी गई अंग्रेजी की पुस्तकें लगभग ३०,५००।

१९५३-५४ में दी गई हिन्दी पुस्तकें लगभग ६,२००।

**सेठ गोविन्द दास:** हिन्दी पुस्तकों पर इतना कम खर्च होने का क्या कारण है?

**डा० एम० एम० दास:** इसके दो कारण हैं। प्रथम, अंग्रेजी की एक पुस्तक का औसत मूल्य ९ रु० है, जबकि हिन्दी पुस्तक का औसत मूल्य केवल ३ रु० है, और द्वितीय, हिन्दी पुस्तकों की अपेक्षा अंग्रेजी पुस्तकों की मांग कहीं अधिक है---यह बीस गुनी से भी अधिक है।

**सेठ गोविन्द दास:** क्या यह जो हिन्दी पुस्तकों की मांग इतनी कम है, उसका सबब

यह नहीं है कि जिस तरह की हिन्दी पुस्तकें आनी चाहिएं उस तरह की पुस्तकें न तो आ रही हैं और न रक्खी जा रही हैं?

**डा० एम० एम० दास:** मेरा निवेदन यह है कि क्रय होने वाली हिन्दी पुस्तकों की संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। यदि आप आंकड़ों की तुलना करें, तो आपको विदित होगा कि १९५२-५३ में हिन्दी पुस्तकों के क्रय पर १५०० रु० व्यय हुए थे, और १९५३-५४ के वर्ष में २,५०० रु० व्यय हुए। अतः आंकड़ों में वृद्धि हुई और वे १,५०० रु० से बढ़कर २,५०० रु० हो गए। जहां तक हिन्दी पुस्तकों की संख्या का सम्बन्ध है, १९५२-५३ में यह ५०० थी और यह १९५३-५४ में ८५० हो गई।

***सेठ गोविन्द दास:** जिस प्रकार से अभी माननीय सचिव ने बताया कि हिन्दी पुस्तकों पर प्रति वर्ष इतना इतना खर्च हो रहा है, उस प्रकार से अंग्रेजी पुस्तकों के ऊपर कितना खर्च हो रहा है?

**डा० एम० एम० दास:** १९५२-५३ में अंग्रेजी की पुस्तकों पर १८,५०० रु० व्यय किए गए, और १९५३-५४ में ये आंकड़े बढ़कर २४,५०० रु० हो गए।

**सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय के वस्त्र**

*५८६. **श्री डाभी:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ फरवरी, १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ४१४ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पदाधिकारियों को कार्यालय आने तथा मुख्य अवसरों पर पहने जाने वाले वस्त्रों के जो सुझाव दिए थे उनका, विशेषकर इस सुझाव का कि वस्त्र हाथ से कते तथा हाथ से बुने कपड़े के हों, कितना पालन किया जाता है?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार):** सरकार के लिए यह महसूस करने का कोई कारण नहीं है कि साधारणतया सुझावों का पालन नहीं किया जा रहा है।

**श्री डाभी:** मैं जानना चाहता हूं कि कार्यालय में काम करते समय कितने सरकारी कर्मचारी केवल खादी के वस्त्र पहनते हैं?

**श्री दातार:** मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, परन्तु मैं जानता हूं कि बहुत से सरकारी कर्मचारी खादी के वस्त्र पहनते हैं।

**श्री तिम्मय्या:** क्या राज्य सरकारों को भी यही अनुदेश दिए गए थे?

**श्री दातार:** हमारे सरकारी ज्ञापन की प्रतियां राज्य सरकारों को भेजी गई थीं, और कुछ राज्य सरकारों ने, जिनमें मैसूर सरकार सम्मिलित है, ऐसे ही आदेश जारी कर दिए हैं।

**पाकिस्तानी बन्दी**

*५८७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ में भारत-पाकिस्तान पारपत्र सम्मेलन में हुए निश्चयों के पश्चात पाकिस्तानी नागरिकता के मुक्त बन्दियों के कुल कितने मामलों पर पाकिस्तान उच्चायुक्त के साथ विचार किया गया है; और

(ख) कुल कितने व्यक्ति प्रत्यावर्तित किए जा चुके हैं?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार):** (क) १४६।

(ख) अब तक पाकिस्तान उच्चायुक्त ने कुल १९ व्यक्तियों का प्रत्यावर्तन स्वीकार किया है। जो लोग वास्तव में भारत से चले गए हैं उनकी संख्या ज्ञात नहीं है।

**श्री कृष्णाचार्य जोशी:** क्या भारत-पाकिस्तान पारपत्र समझौता ठीक तरह से लागू हो रहा है?

**श्री दातार:** यह कुछ सन्तोषजनक रहा है, और जब कभी कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, प्रतिनिधियों की पुनः बैठक होती है और नियमों में संशोधन करने का प्रयत्न किया जाता है।

**श्री कृष्णाचार्य जोशी:** कुल कितने लोगों का प्रत्यावर्तन होता है?

**श्री दातार:** वे आंकड़े यहां मेरे पास नहीं हैं।

**डा० राम सुभग सिंह:** पाकिस्तान उच्चायुक्त के साथ बंदियों के जो १४६ मामलों पर विचार

किया गया था उनमें से ऐसे कितने बन्दी हैं जो अब भी भारत में रह रहे हैं?

**श्री दातार:** सरकार का विचार है कि इसमें से अधिकतर व्यक्ति भारत में रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती भारत से निकालने का हमें और कोई अधिकार नहीं है।

**लेखों से लेखा परीक्षण का पृथक्करण**

*५९९. **श्री ए० एम० थामस:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने लेखों से लेखापरीक्षण को पृथक करने के लिए कोई कार्यवाही की है, और यदि हां, तो क्या?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख):** मंत्रालय का एक ज्येष्ठ पदाधिकारी, उस अधिकारी के साथ जिसको नियन्त्रक महालेखा परीक्षक अपने कार्यालय में विशेष कार्य पर रख रहा है, केन्द्रीय सरकार में इस पृथक्करण के प्रस्ताव तैयार करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है। कार्य लगभग तुरन्त ही आरम्भ हो रहा है।

**श्री ए० एम० थामस:** क्या सरकार को इसका भी ज्ञान है कि इस योजना के लागू होने के कारण कितना अधिक व्यय होगा?

**श्री सी० डी० देशमुख:** अभी तक नहीं।

**श्री ए० एम० थामस:** सरकार को उस विशेष टीम से, जो बनाई गई है, कब तक प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है?

**श्री सी० डी० देशमुख:** यह बताना सम्भव नहीं है कि ये अधिकारी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लेंगे क्योंकि पृथक्करण का प्रश्न एक जटिल मामला है और कठिनाइयों से पूर्ण है।

**श्री ए० एम० थामस:** आय-व्ययक पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि स्वयं महालेखा परीक्षक ने एक योजना प्रस्तुत की है। क्या मैं जान सकता हूं कि महालेखा परीक्षक की योजना को कार्यान्वित करने में सरकार की वास्तविक कठिनाइयां क्या हैं?

**श्री सी० डी० देशमुख:** नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने योजना प्रस्तुत नहीं की है, परन्तु उन्होंने सिद्धान्त प्रस्तुत किया है, जो सरकार ने स्वीकार कर लिया है। कठिनाइयां तीन प्रकार की हैं---व्यस्थात्मक, प्रशासनात्मक, अर्थात् कर्मचारियों को काम पर लगाने का प्रश्न, और वित्तात्मक। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं विस्तारपूर्वक बता सकता हूं। व्यवस्थात्मक कठिनाइयों के उदाहरण के रूप में, मैं इस प्रश्न का उल्लेख कर सकता हूं कि क्या लेखा पदाधिकारियों को सरकार वर्तमान रूप में ले या प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के लिए लेखा पदाधिकारी हों। फिर राजकोष निर्गमों आदि की व्यवस्था की स्थापना से संबंधित अन्य बहुत सी काठनाइयां हैं।

**राष्ट्रीय एंटलस**

*५९१. **श्री राम दास:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत की एक राष्ट्रीय एंटलस बनाने के लिए एक योजना तैयार करने हेतु एक परामर्श दात्री बोर्ड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड में कौन कौन सदस्य हैं;

(ग) एंटलस कितने समय में तैयार होगी; और

(घ) इस एंटलस में क्या क्या मुख्य बातें सम्मिलित की जाएंगी?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय):** (क) हां, श्रीमान।

(ख) परामर्श दात्री बोर्ड के सदस्यों के नाम निम्न हैं:

(१) प्राकृत संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के उपसचिव, श्री टी० गोन्सल्वेस।

(२) अणु शक्ति विभाग के भूतत्व परामर्शदाता, डा० डी० एन० वाडिया।

(३) श्री जे० एम० सेन। (द्वितीय तथा तृतीय सज्जन विज्ञान संस्था द्वारा मनोनीत हैं)।

(४) कलकत्ता विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रधान तथा प्रोफैसर श्री एस० पी० चटर्जी।

(५) रक्षा मंत्रालय के उपसचिव, श्री शिव चरण सिंह।

(६) शिक्षा मंत्रालय के विशेष पदाधिकारी डा० आर० के० मान।

(७) योजना आयोग के उप-संचालक, श्री वी० नाथ।

(ग) अधिकतम दो वर्ष।

(घ) एक विवरण, जिसमें सूचना दी है, पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २२]

**श्री राम दास:** दी गई सूची से, मैं पाता हूं कि एंटलस में विभिन्न ऐतिहासिक कालों के भारत के मानचित्र होंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि इन कालों में रामायण काल और महाभारत काल भी होंगे?

**श्री के० डी० मालवीय:** इस समय मैं ऐसी कोई बात नहीं बता सकता।

**श्री केलप्पन:** यह बोर्ड कब नियुक्त किया गया था?

**श्री के० डी० मालवीय:** सितम्बर १९५३ में बोर्ड की नियुक्ति हुई थी।

## कल्याणकारी संस्थाएं

*५९२. **सरदार ए० एस० सहगल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटी छोटी बचतों को शीघ्रता से एकत्रित करने हेतु देश भर में फैली हुई कल्याणकारी संस्थाओं की ऐच्छिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार १२ वर्षीय राष्ट्रीय सर्टिफिकेट्स को अधिकृत रूप में बेचने के लिए सामान्य कमिशन पर १०० पंजीबद्ध संस्थाओं को नियुक्त करने का है;

(ग) राष्ट्रीय बचत योजना के अधीन सारे भारत के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) बचत आन्दोलनों द्वारा अब तक कितना धन एकत्रित किया जा चुका है?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा):** (क) हां, श्रीमान। मैं माननीय सदस्य का ध्यान वित्त मंत्री के इस वर्ष के आय-व्ययक भाषण की कंडिका २८ की ओर आकर्षित करता हूं। बहुत सी चुनी हुई ऐच्छिक संस्थाएं, अधिकृत एजेंटों के रूप में, बचतों में वृद्धि करने के लिए नियुक्त की जा रही हैं।

(ख) हां, श्रीमान।

(ग) १९५४-५५ के लिए ४५ करोड़ रु०।

(घ) जुलाई १९५४ में समाप्त होने वाले प्रथम तीन मासों के लिए १३ करोड़ रु०।

**सरदार ए० एस० सहगल:** क्या यह सच है कि कुछ स्थानीय संस्थाएं अपने कर्मचारियों को अपना चन्दा छोटी बचत में परिवर्तित करने की उचित सुविधाएं नहीं दे रही हैं?

**श्री ए० सी० गुहा:** मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का अभिप्राय क्या है, परन्तु यदि उनके पास कोई विशेष मामले हैं तो, वह कृपया परीक्षण के लिए मुझे सूचना दे सकते हैं।

**श्री टी० एन० सिंह:** क्या सरकार ने सदन में कई बार दिए गए इन सुझावों पर गम्भीरता से विचार किया है कि गैर सरकारी समवायों की भविष्य निधि को भी, अनिवार्यतः छोटी छोटी बचतों में लगाया जाए?

**श्री ए० सी० गुहा:** गैर सरकारी समवायों की भविष्य निधियां भी अब अधिकतर राष्ट्रीय बचत में लगाई जाती हैं।

**व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए स्कूल**

*५६३. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सारे देश में ५०० चुने हुए स्कूलों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का विचार कर रही हैं;

(ख) ऐसी संस्थाओं के व्यय को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों में किस प्रकार विभाजित किया जाएगा; और

(ग) इस प्रकार की बहु प्रयोजनीय शिक्षा देने के लिए कौन से मुख्य राज्यों और क्षेत्रों को चुना गया हैं और उनके चुने जाने का क्या कोई कारण हैं?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास):** (क) भारत सरकार ने ५०० माध्यमिक स्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तित करने की एक योजना निर्माण की हैं। इन स्कूलों में कुछ विशेष व्यवसायिक पाठ्य-क्रमों की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई हैं।

(ख) विचार किया गया हैं कि आवर्त्तक व्ययों के लिए केन्द्रीय सरकार २५ प्रतिशत और अनावर्त्तक व्ययों के लिए ६६ प्रतिशत अंशदान देगी।

(ग) सभी राज्य सरकारों को इस योजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया हैं।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा:** किन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और क्या यह प्रशिक्षण विभिन्न विश्वविद्यालयों, माध्यमिक बोर्डों और हाई स्कूलों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त होगा?

**डा० एम० एम० दास:** जिन पाठों को जारी करने का विचार किया जाता हैं उन्हें भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया जाएगा और विद्यार्थी को उनमें से कुछ विषय चुन लेना होगा। जैसा कि आजकल होता हैं। यह नए विषय विज्ञान पाठ, शिल्पिक पाठ, कृषि पाठ, वाणिज्य पाठ, ललितकला और गृह विज्ञान पाठ, हैं।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा:** श्रीमान, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के शेष समय में इन स्कूलों को सहायता दी जाएगी, या यह धनराशि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ले जाई जाएगी?

**डा० एम० एम० दास:** श्रीमती, मैं अभी से नहीं बतला सकता कि वह धन राशि आगामी पंच वर्षीय योजना में ले जाई जाएगी या नहीं। पर, जैसा कि मैंने कहा हैं, कि देश भर में वर्तमान ५०० माध्यमिक स्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए चुना जाएगा।

**श्री एस० वी० रामस्वामी:** यह बहुप्रयोजनीय स्कूल किस प्रकार के होंगे? क्या वे पालीटेकनीक्स, व्यवसायिक स्कूलों या वाणिज्य स्कूलों की प्रकार के होंगे?

**डा० एम० एम० दास:** इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में, जो पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, दिया गया हैं।

**दिल्ली में सेंधमारी**

*५६४. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी १९५३ और जून १९५४ के बीच दिल्ली और नई दिल्ली में सेंधमारी के कितने मामले हुए; और

(ख) इनमें से कितने मामलों में घरेलू नौकरों का हाथ था?

**गृह-कार्य उपमंत्री** (श्री दातार): (क) १८३८

(ख) १३.

**श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा:** क्या मैं जान सकता हूं कि इन मामलों में से कितने मामलों के शिकार संसद-सदस्य, मंत्री या उपमंत्री थे?

**श्री दातार:** दुर्भाग्यवश यह सत्य हैं कि मंत्री और संसद सदस्य भी सेंधमारों की करतूतों के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। उनकी संख्या चार या पांच हैं; इससे अधिक नहीं हैं

**श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा:** क्या मैं जान सकता हूं कि इनमें से कितने मामलों में अपराधियों का न पता लग सका, और न उन्हें दण्ड दिया जा सका?

**श्री दातार:** जहां तक ऐसे मामलों का प्रश्न हैं जिनमें अपराधियों का पता नहीं लग सका, उनकी संख्या मुझे ज्ञात नहीं हैं। पर अधिकांश मामलों में अपराधियों को न्यायालयों में उपस्थित किया गया और उन्हें सजाएं भी दी गईं।

**श्री पी० सी० बोस:** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चोरी के बहुसंख्यक मामलों को ध्यान में रख कर ही सरकार पुलिस को आदेश देने का विचार करेगी कि वह घरेलू नौकरी की एक पंजी रखे?

**श्री दातार:** चोरी के मामलों की एक पंजी रखने की व्यवस्था पहले से ही हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** उनका अभिप्राय घरेलू नौकरों से हैं।

**श्री दातार:** उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं हैं। आप पाएंगे कि १९०० में केवल १३ उनके मामले हैं। ऐसी दशा में सभी नौकरों पर अविश्वास करना समय से पूर्व हैं।

## अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

*६०२. **श्री बन्सल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन के थोक मूल्य निर्देशांकों के सुधार के लिए दिए गए सुझावों की ओर आकर्षित किया जा चुका हैं; और

(ख) यदि हां, तो आधार वर्ष के परिवर्तन और निर्देशांकों में अन्य परिवर्तन लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं?

**वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत):**

(क) हां, श्रीमान'

(ख) १९५२-५३ को आधार वर्ष मानकर संशोधित और अधिक विस्तृत निर्देशांक बनाए जा रहे हैं। परिस्थिति की व्यौरेवार व्याख्या करने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता हैं। [देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २३]

**श्री बन्सल:** विवरण को देखने से मुझे पता लगता हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सुझावों पर घरेलू ढंग पर उत्पन्न की गई और घरेलू ढंग पर उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के थोक मूल्य की एक और प्रयोग संबंधी श्रेणी तैयार की जा रही हैं। श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि सूची की इस श्रेणी का आधार वर्ष क्या हैं?

**श्री बी० आर० भगत:** इस प्रश्न के लिए पूर्व-सूचना की आवश्यकता हैं।

**श्री बन्सल:** थोक मूल्यों की सूची की नई श्रेणी बनाने के लिए कितने केन्द्रों से मूल्य संगृहीत किए जा रहे हैं?

**श्री बी० आर० भगत:** २१०।

**श्री बन्सल:** विवरण को देखने से मुझे पता चलता हैं कि सूची बनाने का कार्य ज्यामितीय औसत--जिसे १९४४ में चलाया गया था--के स्थान पर पुनः लौट कर अंकिक औसत प्रणाली से किया जाने वाला हैं। श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं कि समिति ने किन विचारों के प्रभाव में आकर यह सुझाव दिए?

**श्री बी० आर० भगत:** बिल्कुल नपे तुले शुद्ध उत्तर के लिए माननीय सदस्य गणित की पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। साधारण व्यक्ति की हैसियत से मैं यह कह सकता हूं कि आंकिक प्रणाली अधिक उचित और नपी-तुली समझी जाती हैं।

**श्री बन्सल** खड़े हुए---

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य बहुत अधिक ब्यौरे में जा रहे हैं। सभासचिव उनका उत्तर देने में इस समय असमर्थ हैं।

**श्री बन्सल:** अब निर्देशांक १९५२-५३ के आधारवर्ष पर बदल कर बनाए जाने वाले हैं; क्या यह अधिक उचित नहीं होगा कि १९५१-५२ को आधार वर्ष बनाया जाए; यह हमारी योजना

का प्रथम वर्ष हैं इससे भविष्य में तुलना करने में सुविधा रहेगी?

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे खेद हैं कि माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के बजाय सुझाव दे रहे हैं।

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख):** मैं यह कह दूं कि अन्तिम रूप से यह निर्णय नहीं किया गया हैं कि १९५२-५३ उसका आधार हैं। वह हमारा प्रयोगात्मक निष्कर्ष हैं। योजना आयोग ने सुझाव दिया हैं कि किसी अन्य वर्ष को आधार माना जाय और इस मामले पर पुनः विचार किया जाएगा। उस समय माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर हम विचार करेंगे।

### मोनाजाइट का तस्कर व्यापार

*६०८ **श्री एन० बी० चौधरी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि नारवे के मल्लाहों को त्रावनकोर-कोचीन के समुद्रतट से मोनाजाइट ले जाते हुए पाया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा):** (क) नहीं, श्रीमान। सरकार द्वारा की गई जांच से पता चलता हैं कि इस समाचार में कोई सत्यता नहीं हैं।

(ख) मोनाजाइट के निर्यात पर कठोर नियंत्रण लगा दिया गया हैं और कुछ वर्षों से पर्याप्त सुरक्षा तथा बचाव के साधनों का प्रयोग किया जा रहा हैं।

**श्री एन० बी० चौधरी:** श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया हैं कि जब यह मल्लाह समुद्र में जाते हैं तो बहुत दिनों बाद लौट कर आते हैं और उस अवधि की उनकी गतिविधियों के बारे में कुछ पता नहीं लगता?

**श्री ए० सी० गुहा:** सरकार ने इन मल्लाहों के बारे में पर्याप्त जांच की हैं और सरकार संतुष्ट हैं कि इस आरोप का कोई आधार नहीं हैं कि नारवे के मल्लाह मोनाजाइट का तस्कर व्यापार करते हैं। सरकार द्वारा सावधानी रखने के बाद हम उसे सम्भव भी नहीं समझते।

**कुमारी एनी मैस्करीन:** क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार को किसी संसद सदस्य के द्वारा नारवे के मल्लाहों द्वारा मोनाजाइट के तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में सूचना मिली थी?

**श्री ए० सी० गुहा:** मैं नहीं कह सकता कि क्या किसी संसद सदस्य ने इस मामले की सूचना दी या नहीं पर कुछ समाचारपत्रों ने कुछ आरोपों को प्रकाशित किया। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे उन समाचारों को सत्य न मानें। समाचारपत्रों के अनेक प्रकार के सम्बन्ध होते हैं और इन बातों के प्रकाशित करने में उनका कुछ विशिष्ट उद्देश्य हो सकता हैं!

### सैनिकों की भरती

*६०९. **श्री झूलन सिन्हा:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के किन किन राज्यों से गत दो वर्षों में सर्वाधिक संख्या में सैनिकों की भरती हुई हैं?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** गत दो वर्षों में जिन राज्यों में सर्वाधिक संख्या में सुरक्षा सेवाओं में भरती हुई हैं उनके नाम, भरती की संख्याओं के अनुसार नीचे दिए जाते हैं:

पंजाब
उत्तर प्रदेश
मद्रास
बम्बई

**श्री झूलन सिन्हा:** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भरती के आंकड़ों से कुछ संकेत मिलता हैं कि न लड़ने भिड़ने वाली जातियों के लोगों ने भी अधिक संख्या में भरती होना प्रारम्भ कर दिया हैं?

**सरदार मजीठिया:** न लड़ने भिड़ने वाली जातियों के सम्बन्ध में, भरती के आंकड़ों में कुछ प्रगति अवश्य हुई हैं।

**श्री भक्त दर्शन:** क्या मैं जान सकता हूं कि भरती को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कौन से विशेष उपायों का अवलम्बन किया गया है?

**अध्यक्ष महोदय:** क्या न लड़ने भिड़ने वाली जातियों के लोगों की भरती के प्रोत्साहन के लिए कुछ विशेष उपाय किए गए हैं?

**सरदार मजीठिया:** जाति, वंश और रंग के बिना किसी भेदभाव के भरती का द्वार भारत के सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया है।

## विधि आयोग

*६०७. **श्री विश्वनाथ रंडूडी:** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान विधियों पर विचार करने और उनको आज की आवश्यकता के अनुकूल बनाने के लिए उपयुक्त विधान का सुझाव देने के लिए एक विधि आयोग की स्थापना का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग का संगठन कब होने की सम्भावना है?

**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री विस्वास):** (क) और (ख). विधि आयोग के संगठित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, अभी कोई निश्चय नहीं हो पाया है।

**श्री विश्वनाथ रंडूडी:** मैं जानना चाहता हूं कि क्या विधि आयोग को भावी विधान की रूपरेखा बनाने का कार्य सौंपा जाएगा, अथवा जिस रूप में यह विधान पारित हो चुका है, उसी पर यह कार्य करेगा?

**श्री बिस्वास:** जैसा मैंने बताया, यह विषय विचाराधीन है। बहुत से दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना पड़ेगा; प्रथमतः, आयोग का कितना क्षेत्र होना चाहिए; आयोग के निर्देश-पद क्या होने चाहिएं, क्या आयोग केवल वर्तमान संविधियों की बारी-बारी से जांच करेगा और यह सुझाव देगा कि किसी विशेष संविधि का पुनरीक्षण किया जाए तथा और किसी संविधि को कुछ वर्ष पश्चात् लिया जाए। यह एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण है कि विधि को बिल्कुल आधुनिकतम बनाया जाए; न्यायिक निर्णयों के वाद-प्रतिवाद को अथवा उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों, आदि के निर्णयों को दृष्टि में रखते हुए जो परिवर्तन आवश्यक हैं उन पर विचार किया जाए। फिर यह प्रश्न भी है कि विधि का संशोधन उतना ही होना चाहिए जितना संविधान से मिलता-जुलता हो। उसका तात्पर्य यह है कि किसी अधिनियम के निरसन अथवा संशोधन से कहीं अधिक काम करना होगा। उदाहरण के तौर पर लीजिए (अन्तर्बाधा) यदि मेरे मित्र व्याख्या चाहते हैं तो मैं उन्हें यही बता रहा हूं कि किन बातों पर विचार करना है। तथा उसी में यह भी पता लग जाएगा कि यह प्रस्थापना अभी सभा में क्यों प्रस्तुत नहीं हुई है।

**श्री रघुरामैया:** मैं जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान पेचीदा न्यायिक पद्धति को सीधा-सादा बनाने का कार्य भी विधि आयोग को सौंपा जाएगा?

**श्री बिस्वास:** जहां तक मुझे मालूम है, ऐसी कोई भी बात नहीं। इस समय प्रश्न की जांच नहीं हो रही है।

## मनीपुर में निवृत्ति-वेतन पाने वाले व्यक्ति।

*६०९. **श्री रिशांग किशिंग:** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) एकीकरण से पूर्व निवृत्ति-वेतन पाने वाले उन व्यक्तियों की जो अब मनीपुर में निवृत्ति-वेतन पा रहे हैं। क्या संख्या है;

(ख) इन व्यक्तियों के निवृत्ति-वेतन पर सरकार वार्षिक कितना व्यय करती है;

(ग) क्या निवृत्ति-वेतन पाने वालों ने सरकार के पास एक अभ्यावेदन भेजा है जिसमें उन्होंने सरकार से अस्थाई तौर पर निवृत्ति-वेतन बढ़ाने की मांग की है; तथा

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उनके अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की है?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):**

(क) १८४.

(ख) ३२,७६० रुपए।

(ग) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) मनीपुर के भूतपूर्व राज्य के कर्मचारियों को, जो एकीकरण से पहले अवकाश प्राप्त कर चुके थे, यह रियायत देना सम्भव नहीं हुआ, परन्तु जिन्होंने एकीकरण के पश्चात् अवकाश प्राप्त किया उनको यह बढ़ोत्तरी दी गई है।

**श्री रिशांग किशिंग:** मैं जानना चाहता हूं कि एकीकरण से पहले के कम पेंशन पाने वाले व्यक्तियों के अभ्यावेदनों पर भारत सरकार ने सहानुभूतिपूर्ण विचार क्यों नहीं किया?

**डा० काटजू:** मेरे विचार से एकीकरण से पूर्व निवृत्ति-वेतन पाने वालों से ही अभ्यावेदन प्रस्तुत हुए हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार क्यों नहीं हुआ अर्थात् एकीकरण से पूर्व तथा एकीकरण के पश्चात् के निवृत्ति-वेतन प्राप्त करने वालों में क्यों इस प्रकार का भेदभाव किया गया।

**डा० काटजू:** पांच या सात वर्ष पहले भारत सरकार ने तय किया था कि जिन्होंने १९४५ से पहले अवकाश प्राप्त किया है उनको बढ़ोत्तरी नहीं दी जाएगी, तथा १९४५ के पश्चात् जिन्हें अवकाश प्राप्त हुआ है उनके निवृत्ति-वेतन में वृद्धि होगी। यह तो वास्तव में एकीकरण से पहले का समय था। परन्तु मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमने यह प्रश्न वित्त मंत्रालय के पास दोबारा इसलिए भेजा है ताकि वह एकीकरण के पूर्व के कम निवृत्ति-वेतन पाने वालों की भलाई के सम्बन्ध में कुछ कर सके।

**श्री रिशांग किशिंग:** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एकीकरण से पहले के कम पेंशन पाने वाले व्यक्तियों को पांच रुपए से पैंतीस रुपए तक ही निवृत्ति-वेतन मिलता है तथा मनीपुर में रहन-सहन के व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनके मामले पर दुबारा विचार करेगी?

**डा० काटजू:** जो तथ्य मेरे माननीय मित्र ने बताए, उन्हीं के कारण हम पुनः विचार कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** अगला प्रश्न संख्या ६१२।

**श्री कासलीवाल:** इसी विषय पर दो प्रश्न संख्या ६३४ तथा ६३५ हैं। क्या मैं यह सुझाव दूं कि उन दो को भी इसी प्रश्न के साथ लिया जाय?

**अध्यक्ष महोदय:** क्या माननीय मंत्री को यह सुविधाजनक होगा।

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):** क्या मैं अभी उनके उत्तर दूं?

**अध्यक्ष महोदय:** जी हां। तीनों के।

**गांधी जी की प्रतिमा पर पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना**

*६१२ **श्री कासलीवाल:** क्या राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिन पूर्व हैदराबाद राज्य के निजामाबाद नगर में गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर एक पाकिस्तानी झंडा फहराया गया;

(ख) क्या सरकार को हैदराबाद सरकार से इस झंडे के फहराने वाले लोगों के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या हैदराबाद राज्य में इसके उपरान्त कोई गड़बड़ हुई थी जिसके परिणामस्वरूप पुलिस को गोली चलानी पड़ी;

(घ) यदि हां, तो गोली चलाने का वास्तविक कारण क्या था; और

(ङ) उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मरे व घायल हुए?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):** (क) जी नहीं। भारत सरकार को उपलब्ध

सूचना के अनुसार एक झंडा, जो पाकिस्तानी झंडे से बहुत कुछ मिलता जुलता था, १४ अगस्त, १९५४ की रात को निजामाबाद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के ऊपर फहराता हुआ पाया गया।

(ख) हैदराबाद सरकार अभी तक उस झंडे के फहराने वाले आदमियों का पता नहीं लगा पाई है।

(ग) कुछ गड़बड़ हुई है परन्तु सरकार को पुलिस के द्वारा गोली चलाए जाने का कुछ ज्ञान नहीं है।

(घ) और (ङ.) अतः प्रश्न ही नहीं उठते।

**पाकिस्तानी झंडा फहराया जाना**

*६३४. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने स्थानों पर पाकिस्तानी झंडा फहराने का प्रयत्न किया गया?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):** माननीय सदस्य का ध्यान श्री पी० एन० राजभोज तथा श्री कासलीवाल द्वारा किए गए प्रश्न संख्या ६१२ के उत्तर की ओर, जोकि मैंने अभी दिया है, आकर्षित किया जाता है।

**पाकिस्तानी राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना**

*६३५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी:** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश के विभिन्न भागों में पाकिस्तानी राष्ट्रीय झंडे के फहराए जाने की घटनाएं प्रायः देखने में आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो १५ अगस्त, १९५४ से किन किन स्थानों पर पाकिस्तानी राष्ट्रीय झंडा फहराया गया है; और

(ग) क्या उक्त घटनाओं के कारण कुछ गड़बड़ हुई?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):** (क) से (ग) तक माननीय सदस्य हैदराबाद राज्य के कुछ स्थानों में पाकिस्तानी झंडे के फहराए जाने के सम्बन्ध में प्रत्यक्षतः प्रेस के प्रतिवेदनों का निर्देशन कर रहे हैं। भारत सरकार को जो प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार पाकिस्तानी राष्ट्रीय झंडे से मिलते जुलते हर झंडे हैदराबाद राज्य के कुछ भागों में पाए गए। इन घटनाओं से उन स्थानों में प्रदर्शन और उपद्रव हुए जो कि विशेष गम्भीर प्रकृति के न थे। हैदराबाद सरकार ने विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शीघ्र कार्यवाही की है।

**श्री कासलीवाल:** १५ अगस्त के बाद सरकार को इस प्रकार की कितनी घटनाओं की सूचना मिली है और हैदराबाद में ऐसे कितने मामले घटित हुए हैं?

**डा० काटजू:** हैदराबाद के अतिरिक्त स्थानों का जहां तक सम्बन्ध है, मुझे केवल एक स्थान अर्थात् मध्य प्रदेश के रायपुर के बारे में मालूम है। मैं केवल इन झंडों से सम्बन्धित घटनाओं का ही निर्देशन कर रहा हूं। अन्य घटनाएं, जो हैदराबाद में घटित हुई बताई जाती हैं; सब निजामाबाद, गुलबर्गा अन्य स्थानों के आस पास की ही हैं।

**श्री कासलीवाल:** क्या सरकार को इस संबंध में कोई सूचना है कि मीर लायक अली के, जो हैदराबाद से पाकिस्तान भाग गया, कुछ एंजेंट पाकिस्तान और हैदराबाद में चक्कर लगा रहे हैं और वे ही इन घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं?

**डा० काटजू:** मुझे अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं हुई है।

**श्री कृष्णाचार्य जोशी:** क्या गुलबर्गा में फहराया जाने वाला झंडा पाकिस्तानी झंडा था?

**डा० काटजू:** यही कहा जाता है। वह वास्तविक पाकिस्तानी झंडा था या नहीं, यह बात व्यक्तिगत मत पर निर्भर है।

**एक माननीय सदस्य:** वास्तविक शब्द का क्या अर्थ है?

**डा० राम सुभग सिंह:** क्या सरकार को इस से सन्तोष है कि सम्बद्ध राज्य सरकारों ने इसका

ध्यान रखने के लिए उचित कार्यवाही की है कि भविष्य में देश के किसी भाग में इस प्रकार का कोई झण्डा नहीं फहराया जाएगा?

**डा० काटजू:** राज्य सरकार का इससे क्या सम्बन्ध है? वह विधि तथा व्यवस्था को बनाए रखने तथा तनाव को कम करने का भरसक प्रयत्न कर रही है। उसने वही उपाय किए हैं जो उसके प्रशासनीय नियंत्रण के अन्तर्गत आते हैं। शान्ति समितियां भी बनाई जा रही हैं जिनमें सब समुदायों के सदस्य काम करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न का आशय कुछ भिन्न है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, वे कहना चाहते हैं कि देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की घटनाओं के होने का अर्थ सम्भवतः यह है कि पाकिस्तान के मित्रों द्वारा संघठित रूप में यह कार्य किया जा रहा है जो देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से वस्तुतः खतरनाक है। यही आशय प्रतीत होता है।

**डा० राम सुभग सिंह:** तथा क्या सम्बद्ध राज्य सरकारें उस कार्यवाही को रोकने के लिए उचित उपाय कर रही हैं।

**डा० काटजू:** शेरलाक होम्स के शब्दों में कहा जा सकता है कि मेरे माननीय मित्र कुछ तथ्यों में से निष्कर्ष निकाल रहे हैं। प्रथम यह है कि यह पाकिस्तानी झण्डा है। दूसरा प्रश्न यह है कि असली पाकिस्तानी व्यक्ति ही यह शैतानी कर रहे हैं। अन्य निष्कर्ष यह निकाला गया है कि कुछ दूसरे व्यक्ति ही हैदराबाद की साम्प्रदायिक शान्ति भंग करना चाहते हैं ताकि तनाव बढ़े। बहुत से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कौन सा निष्कर्ष सही है, यह जांच पर निर्भर है और जांच की जा रही है।

**बहुत से माननीय सदस्य** उठे---

**अध्यक्ष महोदय:** मेरे विचार में अब अगला प्रश्न लेना चाहिए।

### आस्तियों का विभाजन

*६१३. **श्री रघुरामैया:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र राज्य अधिनियम, १९५३, की धारा ५१ के अन्तर्गत आन्ध्र सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है जिसमें आन्ध्र, मद्रास और मैसूर राज्यों के बीच किसी ऐसी सम्पत्ति अथवा लाभ के पुनराबंटन का आग्रह किया गया हो जिसका बटवारा आन्ध्र राज्य अधिनियम के अन्तर्गत हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री रघुरामैया:** क्या उस प्रकार की कोई प्रार्थना मद्रास अथवा मैसूर से प्राप्त हुई है?

**श्री दातार:** हमको आंध्र राज्य अधिनियम की धारा ५१ के अन्तर्गत मद्रास सरकार से मद्रास औद्योगिक विनियोग निगम लि० में मद्रास सरकार के अंशों, अधिकारों तथा दायित्वों के विभाजन के बारे में एक प्रार्थना प्राप्त हुई है।

**श्री रघुरामैया:** किस प्रकार की प्रार्थना प्राप्त हुई है तथा उस पर कब तक निर्णय हो जाएगा?

**श्री दातार:** यह प्रार्थना अंशों, अधिकारों तथा दायित्वों के निर्धारण से सम्बन्धित है। यह मामला आन्ध्र सरकार को निर्देशित कर दिया गया और उसके नवीनतम पत्र द्वारा यह मालूम हुआ है कि उसको विचार करने के लिए कुछ समय और चाहिए।

### व्यवस्थापन संस्था

*६१४. **श्री अनिरुद्ध सिंह:** क्या **शिक्षा** मंत्री १ अप्रैल, १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १४९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उस योजना समिति ने, जो कि प्रशासनीय कर्मचारी शिक्षण केन्द्र तथा व्यवस्थापन संस्था की स्थापना के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास):** (क) और (ख). समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और अब भी कार्य में संलग्न है।

**पंडित डी० एन० तिवारी :** समिति इस कार्य को कब तक समाप्त कर देगी?

**डा० एम० एम० दास:** राष्ट्रीय व्यवस्थापन संस्था के लिए बनाई गई उपसमिति ने अपनी योजनाएं तैयार कर ली हैं और अगले अक्तूबर के महीने में उसको अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिए तथा प्रशासनीय कर्मचारी शिक्षण केन्द्र के लिए निर्मित उपसमिति भी अपना प्रतिवेदन अक्तूबर या नवम्बर के महीने तक पूरा कर लेगी।

**केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड**

* ६१५. **श्री जी० एल० चौधरी:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने १९५३-५४ में उत्तर प्रदेश के शिशु कल्याण केन्द्रों को कितनी राशि दी है; और

(ख) इन केन्द्रों के नाम क्या हैं?

**शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास):** (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के छः शिशु कल्याण केन्द्रों के लिए १८,००० रु० स्वीकृत किया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सं० २४)

**श्री जी० एल० चौधरी:** क्या मैं जान सकता हूं कि इन इंस्टीट्यूशन्स को ग्रांट देने के पहले किन किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है?

**डा० एम० एम० दास:** कल्याण बोर्ड का उद्देश्य बच्चों, स्त्रियों व बाल अपराधियों तथा अपंगु व्यक्तियों का कल्याण करना है। कोई भी अनुदान स्वीकृत करने से पूर्व इन चीजों पर विचार किया जाता है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** सामाजिक कल्याण बोर्ड की स्थापना किस प्रकार की गई थी, निर्देशन के आधार पर अथवा देश में कार्य करने वाली महिलाओं की विभिन्न संस्थाओं से नाम मंगा कर?

**डा० एम० एम० दास:** सामाजिक कल्याण बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है....

**अध्यक्ष महोदय:** बोर्ड की रचना किस प्रकार की गई थी, सरकार द्वारा नाम निर्देशन के आधार पर अथवा...

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** नाम निर्देशन के द्वारा।

**श्री वेलायुधन:** क्या सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा संस्थाओं को दिए गए अधिकांश अनुदान वास्तव में ऐसी संस्थाओं को दिए जाते हैं जो मध्य वर्ग तथा उच्च मध्य वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक हैं?

**डा० एम० एम० दास:** मैं यह नहीं बता सकता कि वे समुदाय के किसी वर्ग विशेष के लिए लाभदायक हैं किन्तु सामान्यतः मैं यह कह सकता हूं कि इनसे बच्चों, महिलाओं, बाल अपराधियों तथा अपंगु व्यक्तियों का हित अवश्य होता है।

**श्री केलप्पन:** इन अनुदानों के लिए कितने कल्याण केन्द्रों ने आवेदनपत्र भेजे हैं?

**डा० एम० एम० दास:** क्या वह उत्तर प्रदेश में बाल कल्याण के सम्बन्ध में इस प्रश्न विशेष का निर्देश कर रहे हैं?

**श्री केलप्पन:** जी हां।

**अध्यक्ष महोदय:** यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में है।

**श्री केलप्पन:** छः के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया था। आवेदनपत्र कितनों ने भेजा था?

**डा० एम० एम० दास:** कुल सात आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे। एक बालिका विद्यालय को कोई अनुदान नहीं दिया गया था। उस विद्यालय को चालू वर्ष में अनुदान रूप में ३,००० रु० दे दिए गए हैं।

## दिवालिये घोषित किए गए बैंक

*६२०. **सेठ गोविन्द दास:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से जून १९५४ तक कितने बैंक दिवालिये घोषित किए गए?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा):** अनुमान किया जाता है कि जो सूचना मांगी गई है वह परिसमापनाधीन बैंकों के सम्बन्ध में है। सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार ५ बैंकों को समाप्त कर देने का आदेश दे दिया गया था और जनवरी से जून १९५४ में दो बैंकों ने स्वेच्छा से परिसमापन का निश्चय कर लिया।

**सेठ गोविन्द दास:** यह जो पांच बैंकों को बन्द करने का निश्चय हुआ और जो दो बैंक दिवालिए हो गए उसका क्या कारण था?

**श्री ए० सी० गुहा:** समाप्त किए गए पांच बैंकों में से चार को ऋण दाताओं के आवेदन पर समाप्त किया गया। कुछ ऋण दाताओं ने तो उच्चन्यायालय में आवेदनपत्र दिया था जिसपर इन के परिसमापन का आदेश दे दिया गया था। एक बैंक को उच्चतम सहकारिता बैंक में परिवर्तित कर दिया गया था। इससे पूर्व औपचारिक रूप से इसका परिसमापन आवश्यक होता है। तत्पश्चात इसको उच्चतम सहकारिता बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया था। उन अन्य बैंकों के सम्बन्ध में, जो स्वेच्छा से परिसमापनाधीन हो गए, यह कहना कठिन होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सम्भवतः व्यवस्थापकों ने व्यापार को चालू रखना कठिन समझा होगा और इसीलिए उन्होंने कम्पनियों को स्वेच्छा से परिसमापित करा दिया।

**श्री टी० के० चौधरी:** परिसमापनाधीन ले जाने वाली अथवा समाप्त हो जाने वाले इन बैंकों में से रिजर्व बैंक ने कितने को पहले से ही सूचित कर दिया था कि और निक्षेप लेना बन्द कर दें?

**श्री ए० सी० गुहा:** ऐसा मैं समझता हूं कि केवल एक बैंक के साथ हुआ था। रिजर्व बैंक ने उस बैंक के अतिरिक्त जिसको उच्चतम सहकारिता बैंक में परिवर्तित कर दिया गया था, अन्य सभी बैंकों का निरीक्षण किया था।

**श्री टी० के० चौधरी:** प्रश्न यह नहीं है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि इनमें से कितनी बैंकों के सम्बन्ध में...

**श्री ए० सी० गुहा:** केवल एक त्रिपुरा माडर्न बैंक। अन्य बैंकों के बारे में मैं निश्चय रूप से नहीं जानता।

**अध्यक्ष महोदय:** मैं समझता हूं कि या तो ये निजी लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां हैं। मेरे विचार से सरकार का यह उत्तरदायित्व भी नहीं है।

**श्री टी० के० चौधरी:** ये सभी अनुसूचित बैंक हैं।

## सरकारी कर्मचारियों द्वारा आस्तियों की घोषणा

*६२१. **श्री डाभी:** क्या **गृह-कार्य मंत्री** सरकारी कर्मचारियों द्वारा आस्तियों की घोषणा के विषय में २९ मार्च, १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १२६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवाओं के नियम बना दिए हैं; और

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या इसकी एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाएगी?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार):** (क) तथा (ख). अखिल भारतीय सेवाओं के प्रासंगिक नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, और आशा की जाती है कि जैसी कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत अपेक्षित

हैं, वह कुछ दिनों के अन्दर लोक सभा में रख दिए जाएंगे।

केन्द्रीय सेवाओं के नियम अखिल भारतीय सेवा नियमों के प्रख्यापन के पश्चात बनाए जाएंगे।

## सेना में हिन्दी

*६२२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी:** क्या **रक्षा** मंत्री उन सैनिक पदाधिकारियों की योग संख्या बताने की कृपा करेंगे जो १९५३ की हिन्दी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए हैं ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी):** सशस्त्र सेना के १५८८ पदाधिकारियों ने १९५३ की हिन्दी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है।

**श्री कृष्णाचार्य जोशी:** क्या मैं जान सकता हूं कि जो हिन्दी सिखाई जाती है वह रोमन लिपि में सिखाई जाती है या देवनागरी लिपि में?

**श्री त्यागी:** सन् १९५१ तक यह रोमन स्क्रिप्ट में सिखाई जाती थी लेकिन उसके बाद देवनागरी लिपि कर दी गई है, और १८ महीने के अन्दर आर्मी के सारे जवान देवनागरी लिपि जान गए हैं।

**श्री कृष्णाचार्य जोशी:** क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दी जानने वाले अफसरों का क्या परसेंटेज है?

**श्री त्यागी :** आर्मी में जितने अफसर हिन्दी जानने वाले हैं उनका परसेंटेज ६५ है।

**श्री कृष्णाचार्य जोशी:** क्या मैं जान सकता हूं कि टैकनिकल शब्दों के लिए पर्यायवाची हिन्दी शब्द तैयार कर दिए गए हैं?

**श्री त्यागी:** अभी हाल में इसके लिए आज्ञा जारी की गई है। आर्मी में जो पैरेड वगैरह के अन्दर शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनका भी हिन्दी तर्जुमा किया जा रहा है और बहुत जल्दी वर्ड्स आफ कमांड भी हिन्दी में दिए जाएंगे और मिलिटरी के टैकनिकल टर्म्स का तर्जुमा हो रहा है। और बाकी काम बोर्ड आफ साइंटिफिक टरमिनालाजी की एक्सपर्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया है।

**सेठ गोविन्द दास:** जो फौज के अफसरों को हिन्दी पढ़ायी जा रही है उनको कौन-सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है? और क्या इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि "बिचबिन्दी खोली" और "पहंलुआ" जैसे शब्द उस पाठ्यक्रम में न रहें?

**श्री त्यागी:** मैं नहीं समझ सका कि इस "बिचबिन्दी" वगैरह का क्या मतलब है। लेकिन जो पाठ्यक्रम हिन्दी के छोटे स्कूलों में है वही मिलिटरी मैन के लिए रखा गया है।

## दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य केन्द्र

*६२३. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सेवा ने अध्यापकों एवं छात्रों के लिए सहायता प्राप्त चिकित्सा सहायता योजना के अन्तर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के क्षेत्र में एक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए कुछ आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया है।

(ख) भारत सरकार इसमें कितनी राशि देगी; और

(ग) अन्य किन स्थानों में अन्तर्राष्टीय विश्वविद्यालय सेवा ने भारत में ऐसे केन्द्रों को खोलने में सहायता की है?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास):** (क) हां।

(ख) १९५४-५५ में चालू व्यय के लिए १७,००० रु० पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं। अनावर्तक व्यय विचाराधीन है।

(ग) पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

**सरदार हुक्म सिंह:** इस योजना के लिए अध्यापकों एवं छात्रों को क्या अंशदान देना होगा?

**डा० एम० एम० दास :** प्रस्ताव यह रखा गया है कि स्वास्थ्य केन्द्र इस योजना में भाग लेने वाले व्यक्तियों से निम्न प्रकार से अंशदान लेगा :

निवासी छात्रों से ६ रु० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष।

क्षेत्र से बाहर रहने वाले छात्रों से २ रु० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से आठ आना प्रति व्यक्ति प्रति मास।

अन्य कर्मचारियों के विषय में अभी कुछ तय नहीं हुआ।

**डा० रामा राव :** इन केन्द्रों में किस प्रकार की सेवा की जाएगी?

**डा० एम० एम० दास :** भाग लेने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी।

**श्री राघवैया :** किन किन देशों ने इस अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सेवा में अंशदान दिया है?

**डा० एम० एम० दास :** मैं पूर्वसूचना चाहूंगा।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सेवा क्या चीज है? क्या यह संयुक्त राष्ट्र का कोई अंग है? और यह संस्था किस प्रकार बनी?

**डा० एम० एम० दास :** मैं समझता हूं कि यह यूनेस्को के अधीन एक संख्या है

### छात्रावास

*६२६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न विश्वविद्यालयों को छात्रावास निर्माण करने के लिए सहायता देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो १९५३-५४ में क्या इस प्रयोजन के लिए कोई सहायता मंजूर की गई थी, और

(ग) यदि हां, तो किस विश्वविद्यालय के लिए और कितनी?

**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास):** (क) से (ग). इस सम्बन्ध में एक सामान्य योजना विचाराधीन है। १९५३-५४ में छात्रावास निर्माण करने के लिए इंजीनियरिंग तथा टेक्नालोजी के निम्नलिखित विश्वविद्यालय विभागों को ऋण दिए गए हैं :---

| विश्वविद्यालय का नाम | राशि |
|---|---|
| १. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (कालेज आफ टेक्नालोजी तथा फारमेस्यूटिक्स) | १,११,००० रु० |
| २. अन्नमलाई विश्वविद्यालय (कालेज आफ इंजीनियरिंग) | १,००,००० रु० |

**डा० राम सुभग सिंह :** इन योजनाओं पर कब से विचार हो रहा है और इन पर विचार कब तक समाप्त होने वाला है? क्या इस वर्ष में समाप्त हो जाएगा?

**डा० एम० एम० दास :** जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अन्नमलाई विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले अनुदान वस्तुतः पुरानी योजना के आधार पर ही दिए गए हैं जिसके अनुसार प्रविधिक शिक्षा की भारतीय परिषद की योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं टेक्नालोजिकल तथा इंजीनियरिंग संस्थाओं को बिना ब्याज के ऋण दिए जाते हैं।

**डा० राम सुभग सिंह :** सभा सचिव के उत्तर से प्रकट होता है कि सरकार एक ऐसी योजना तैयार करने का विचार कर रही है जिसका अभिप्राय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को छात्रावास निर्माण करने के लिए ऋण देना है। परन्तु अभी जो उत्तर दिया गया है उससे इस बात का पता नहीं चलता है कि सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है। सरकार स्पष्ट शब्दों में यह सकती है कि क्या वह

इस वर्ष तथा आगामी वर्ष छात्रावास निर्माण करने के लिए विश्वविद्यालयों को कोई ऋण देने का विचार कर रही है?

**डा० एम० एम० दास:** विश्वविद्यालय सर्वेक्षण आयोग ने सरकार से आगामी पांच वर्षों में छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक विश्वविद्यालय को २ लाख रुपया देने की सिफारिश की है। सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है।

**श्री तिम्मय्या:** क्या यह नियम देश के सभी विश्वविद्यालयों को समान रूप से लागू होता है अथवा केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों को जो इस प्रकार की सहायता की मांग करते हैं?

**डा० एम० एम० दास:** जो ऋण दिए गए हैं उनकी सिफारिश प्रविधिक शिक्षा के भारतीय परिषद् द्वारा देश में प्रविधिक शिक्षा के विकास की पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत की गई थी। जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है जिसकी सिफारिश विश्वविद्यालय सर्वेक्षण आयोग द्वारा की गई है, यह सरकार के विचाराधीन है और उसे प्रत्येक विश्वविद्यालय को लागू किए जाने की सिफारिश की गई है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** माननीय सभासचिव ने केवल उन भुगतानों के आंकड़े हमें बताए हैं जो कि प्रविधिक अध्ययन परिषद् द्वारा किए गए हैं परन्तु क्या मंत्रालय ने देश के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रावासों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सामान्य स्तर पर कोई अनुमान लगाया है?

**डा० एम० एम० दास:** मेरा विचार है कि यह अनुमान राधाकृष्णन आयोग तथा शिक्षा के केन्द्रीय मन्त्रणा बोर्ड के आदेश पर नियुक्त विश्वविद्यालय सर्वेक्षण समिति द्वारा किया गया है और इस विश्वविद्यालय सर्वेक्षण आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि छात्रावास निर्माण के लिए ऋणों की व्यवस्था की जाय। सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है।

**कुछ माननीय सदस्य** खड़े हो गए---

**अध्यक्ष महोदय:** अगला प्रश्न।

विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थी

*६२८। **श्री झूलन सिन्हा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) कि गत दो वर्षों में विदेशों में शिक्षा के लिए 'आंशिक वित्तीय सहायता योजना' के अधीन भारतीय विद्यार्थियों को ऋण के आधार पर कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) इन ऋणों की कुल कितनी राशि पुनः वसूल की गई है ?

**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास):** (क) १९५२-५३ और १९५३-५४ में ६२,५६३ रुपए।

(ख) १०,६२९ रुपए।

**श्री झूलन सिन्हा:** इस ऋण को पुनः वसूल करने का क्या तरीका है---नैतिक या वैधानिक या कोई और ?

**डा० एम० एम० दास:** ऋण तीन प्रकार के हैं। पहला वह है जो उन विद्यार्थियों को दिया जाता है जो कि, उनके संरक्षकों की आर्थिक स्थिति अज्ञात कारणों से खराब हो जाने के कारण, कठिनाई में होते हैं। दूसरे प्रकार का ऋण हमारे विदेशी राजदूतावासों के आपातिक अधिकार के अन्तर्गत उन भारतीय विद्यार्थियों को दिया जाता है जिनके पास धन खत्म हो जाता है। तीसरे, यह योजना उन विद्यार्थियों पर लागू की गई है, जो अपनी योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां इत्यादि प्राप्त कर लेते हैं किन्तु इन छात्रवृत्तियों में आने जाने का व्यय नहीं होता। इस योजना के अनुसार यह व्यय उन्हें ऋण के रूप में दिया जाता है और इसे ब्याज के साथ किस्तों में वसूल किया जाता है।

**श्री झूलन सिन्हा:** मैं यह जानना चाहता था कि यह पुनः वसूल कैसे किया जाता है--- वैधानिक दबाव से या नैतिक दबाव से या स्वेच्छा पूर्ण भुगतान से ?

**डा० एम० एम० दास:** ये ऋण उम्मेदवार के भारत में लौट आने के छः मास बाद वसूल किए जाने होते हैं। स्थानीय महालेखापालों से यह धन वसूल करने के लिए कहा जाता है और इन्हें मासिक किस्तों में वसूल किया जाता है।

**श्री एन० एल० जोशी:** क्या इन ऋणों पर कोई ब्याज लिया जाता है? यदि हां, तो कितना प्रतिशत?

**डा० एम० एम० दास:** यदि विद्यार्थी तीन सालों के अन्दर भुगतान कर दें, तो ब्याज की दर $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत है और यदि वह तीन सालों के बाद भी किस्तें देता रहे, तो ब्याज की दर $3\frac{3}{4}$ प्रतिशत है।

## उड़न पिरच

*६२६ **श्री रघुरामैया:** क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे .

(क) कि क्या यह सत्य है कि २४ अगस्त १९५४ की रात को दिल्ली में एक उड़न पिरच देखी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध है?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय):** (क) तथा (ख). प्रैस समाचार के अतिरिक्त सरकार के पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

## छावनियों के सिनेमाघर

*६२३. **डा० राम सुभग सिंह:** (क) क्या सरकार का छावनियों के सिनेमाघरों का प्रबंध असैनिकों के हाथ से लेकर अपने हाथों में लेने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे सिनेमाघरों की कुल संख्या क्या है?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** (क) गैरिसन सिनेमाघरों का प्रबन्ध भारत सरकार नहीं, कैन्टीन स्टोर विभाग (इंडिया) अपने हाथ में ले रहा है।

(ख) कैन्टीन स्टोर विभाग कुल ४८ सिनेमाघरों को अपने हाथ में लेगा। किन्तु पहले केवल ८ सिनेमाघरों को लिया जाएगा।

**डा० राम सुभग सिंह:** क्या इन छावनियों का कैन्टीन स्टोर विभाग इन सिनेमाघरों को अधिक कार्यकुशलता से चला सकेगा?

**सरदार मजीठिया:** जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, इन ४८ सिनेमाघरों को लेने से यह एक बहुत बड़ा वितरक बन जाएगा। इसलिए आशा है कि यह न केवल इन्हें अधिक कार्यकुशलता से चलाएगा, बल्कि सस्ते दामों पर भी चलाएगा।

**श्री भक्त दर्शन:** क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो सिनेमा लिए जा रहे हैं यह पूरी कीमत पर खरीदे जा रहे हैं या लीज या पट्टे पर लिए जा रहे हैं?

**सरदार मजीठिया:** ये सिनेमा रक्षा विभाग के हैं और ये कैन्टीन स्टोर विभाग द्वारा साधारण शर्तों पर पट्टे पर लिए जाएंगे।

**श्री मात्तन:** कैन्टीन स्टोर विभाग और रक्षा विभाग में क्या सम्बन्ध है?

**सरदार मजीठिया:** कैन्टीन स्टोर विभाग, रक्षा विभाग के नियंत्रण में एक वाणिज्यिक समवाय है।

**श्री मात्तन:** यह नियंत्रण किस प्रकार का है? क्या यह बिलकुल निजी समवाय है?

**सरदार मजीठिया:** यह निजी नहीं। इसे गैर-सरकारी रुपए से चलाया जाता है और मैं ने कहा है कि यह काम वाणिज्यिक समवाय है। संचालक मंडल इसे चलाते हैं और इस पर स्वाभाविकतया रक्षा विभाग का नियंत्रण है।

**श्री राधवैय्या** उठे--

**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न सूची और प्रश्न काल समाप्त हो चुके हैं।

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## उस्मानिया विश्वविद्यालय

*५७६. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या **राज्य** मंत्री ३ मई १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २१९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उस्मानिया विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में लाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस विश्वविद्यालय को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है?

**गृह कार्य तथा राज्य मंत्री** (डा० काटजू): (क) शिक्षा विशेषज्ञ समिति की बैठक डा० जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में ३ जुलाई, १९५४ को हुई थी और इसमें प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों की चर्चा की गई थी। इसने बहुत सी साहित्यिक संस्थाओं और शिक्षा शास्त्रियों को एक प्रश्नावली भेजी है और उन से प्राप्त उत्तरों को इकट्ठा किया जा रहा है।

(ख) इस समय उत्पन्न नहीं होता।

## खनिक निक्षेपों का सर्वेक्षण

*५७९. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में खनिक निक्षेपों के सर्वेक्षण के लिए एक कार्यक्रम बनाने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** (क) तथा (ख). विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

(ग) जी हां

## अधिवास नियम

*५८०. **श्री एस० एन० दास:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) कि क्या सरकार ने संघ के सब राज्यों के लिए एकरूप अधिवास नियम बनाने के काम को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो वे किस तिथि से लागू किए जाएंगे?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):** (क) तथा (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य उन निवास सम्बन्धी शर्तों की ओर निर्देश कर रहे हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद १६(३) के अन्तर्गत संसद के एक अधिनियम द्वारा विभिन्न राज्यों के अधीन सेवाओं के लिए निर्धारित की जाए। आवश्यक विधान बनाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

## एम० टी० ड्राइवर

*५८५ **श्री नाम्बियार:** क्या **रक्षा** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ५९५ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे:

(क) कि क्या बम्बई में भारतीय नौसेना के एम० टी० ड्राइवरों के स्वीय वेतन को ५ रुपए से २५ रुपए प्रति मास तक बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से दिया जाएगा?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) जी हां, यह निर्णय किया गया है कि बम्बई में भारतीय नौसेना के एम० टी० ड्राइवर (जो अधिक स्वीय वेतन के अधिकारी नहीं हैं) १२६२ रु० ८ आने प्रति मास लेते रहेंगे, जिसमें ये चीजें सम्मिलित हैं।

| | |
|---|---|
| ७५ रुपए | वेतन |
| २५ ,, | महंगाई वेतन |
| २५ ,, | महंगाई भत्ता |

२० ,, किराया भत्ता
१२।८,, अनुपूरक (नगर भत्ता और ५ ,, स्वीय वेतन

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

**गवेषणा छात्र**

*५९८. **श्री एस० सी० सिंधल** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के अधीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में कितने गवेषणा कर्मचारी हैं; और

(ख) उनकी गवेषणा को अनुमोदित करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)**: (क) ६५२।

(ख) गवेषणा कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत की गई गवेषणा सम्बन्धी प्रस्थापनाएं या योजनाएं परिषद् की विशेषज्ञ समितियों को भेजी जाती हैं। फिर उन्हें विशेषज्ञ समितियों की राय के साथ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा बोर्ड के सामने रखा जाता है।

बोर्ड की सिफारिशें फिर परिषद के शासी निकाय के सामने रखी जाती हैं जो कि दिए जाने वाले रुपए के सम्बन्ध में समान्यतया बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर लेता है।

**निरीक्षण के तरीकों का आधुनिकरण**

*५९०. **चौ० रघुवीर सिंह**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि दो टैकनिकल पदाधिकारियों के एक दल को निरीक्षण की आधुनिक प्रणाली का अध्ययन करने के लिए विदेशों में भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन्होंने अब तक किन किन देशों का दौरा किया है, और

(ग) उन पर अब तक अनुमानतया कितना व्यय हुआ है?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) जी हां, नवम्बर, १९५३ में दो सैनिक टैकनिकल पदाधिकारियों को ६ मास के लिए आधुनिक निरीक्षण के तरीकों का अध्ययन करने के लिए विदेश भेजा गया था।

(ख) उनके नाम ये थे:

(१) कर्नल जे० आर० सैम्सन इंजीनियर्ज,

(२) लेफ्ट० कर्नल आर० के० घोष आर्टिलरी,

उन्होंने ब्रिटेन, स्वीट्जलैण्ड और स्वीडन का दौरा किया है। इसके अतिरिक्त कर्नल जे० आर० सैम्सन ने बेल्जियम का भी दौरा किया है। ये दोनों पदाधिकारी अब भारत में वापस आ गए हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में हुआ व्यय लगभग १४,००० रुपए था।

**राज्य सरकारों को अनुदान तथा ऋण**

*५९५. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) कि राज्य सरकारों को अनुदानों और ऋणों के लिए केन्द्रीय सरकार को अपनी योजनाएं और मांगें कब तक भेज देना जरूरी होता है;

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्यों की इन प्रार्थनाओं के सम्बन्ध में अपना निर्णय देने में सामान्यतः कितना समय ले लेती है;

(ग) गत तीन वर्षों में राज्यों द्वारा भेजी गई कौन कौन सी योजनाएं अथवा अनुदानों या ऋणों के लिए प्रार्थनाएं केन्द्रीय सरकार के पास छः महीनों से अधिक समय तक विचाराधीन रहीं; और

(घ) यू० पी० सरकार की अनुदानों और ऋणों सम्बन्धी कौन कौन सी योजनाएं इस समय भारत सरकार के पास विचासधीन हैं

और कब तक उनके स्वीकृत हो जाने की आशा है?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख):** (क) केवल कुछ ही प्रकार की योजनाओं के लिए विशिष्ट तिथियां निश्चित की गई हैं जब तक राज्य सरकारों की अनुदानों तथा ऋणों के सम्बन्ध में योजनाएं तथा मांगें पहुंच जानी चाहिएं। उनका उल्लेख सभा पटल पर रखे गए एक विवरण में कर दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २५]

(ख) समय जो लगता है वह प्रस्थापनाओं की विशेषता और दिए गए ब्यौरे की पर्याप्तता पर निर्भर है। यह बताना सम्भव नहीं है कि औसत समय क्या लगता है।

(ग) भिन्न मंत्रालयों से इस विषय में तथ्यों का संग्रह किया जा रहा है जो शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) उत्तर प्रदेश से प्राप्त ऐसी प्रार्थनाओं के सम्बन्ध में जिनके बारे में अभी निर्णय नहीं हो पाया है एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। (देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २५) इन सभी पर विचार विभिन्न प्रक्रमों पर है अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि वे कब तक स्वीकृत हो जाएंगी। स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जा सके इसके लिए पूर्ण प्रयत्न किए जाएंगे।

### कला तथा संस्कृति

*५९६. **श्री लक्ष्मीधर जेना:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) कि १९५३-५४ और १९५४-५५ में भारत में कला तथा संस्कृति के विकास हेतु कितनी धनराशि नियत की गई; और

(ख) इन वर्षों में उड़ीसा राज्य को कितनी धनराशि दी गई?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** (क) १९५३-५४ के लिए २६,८७,००० रुपया और १९५४-५५ के लिए ४२,३७,४०० रुपया।

(ख) कुछ नहीं।

### मैंगनीज (मूल्य)

*५९७. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि मैंगनीज का भाव गिर गया है और इस समय ८० रुपया और ९० रुपया प्रति टन के बीच चल रहा है; और

(ख) यदि ऐसा है तो इस मंदी के मुख्य कारण क्या हैं?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** (क) हां, श्रीमान।

(ख) मंदी के मुख्य कारण ये हैं:—

(१) यू० एस० के स्कन्ध-निर्माण कार्यक्रम की समाप्ति के कारण मांग का संकुचन;

(२) ब्राजील का इस पदार्थ के लिए धीरे धीरे प्रतिद्वन्द्वी के रूप में निकल आना; और

(३) रूस का निर्यात विपणि में कथित पुनः प्रवेश।

### फ्रांस की सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां

*५९८. **श्री बहादुर सिंह:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या फ्रांस की सरकार ने इस वर्ष भी भारतीय राष्ट्रजनों को फ्रांस में अध्ययन के हेतु कोई छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं; और

(ख) यदि की हैं तो ऐसी छात्रवृत्तियों की संख्या क्या थी और अभ्यर्थियों का चुनाव किस प्रकार किया गया था?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** (क) हां, श्रीमान।

(ख) १२ नई छात्रवृत्तियां और २१ नवीकृत। अभ्यर्थियों का चुनाव एक चुनाव बोर्ड द्वारा किया गया था जिसकी रचना भारत स्थित फ्रांसीसी दूतावास द्वारा शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से की गई थी। यूं चुने गए अभ्यर्थियों के बारे में अन्तिम स्वीकृति फ्रांस की सरकार पर निर्भर थी। नवीकरण सीधा फ्रांस की सरकार द्वारा ही किया गया।

**भिक्षा वृत्ति को समाप्त करना**

*५९९. **श्री मगन लाल बागड़ी:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड भिक्षा वृत्ति को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है; और

(ग) समाज कल्याण बोर्ड ने इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी है?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न नहीं होता।

**अयस्क (कच्चा लोहा) की खोज**

*६००. **श्री बालकृष्णन:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) कि क्या बंगलौर सम्मेलन में किए गए निर्णयों के फलस्वरूप अयस्क तथा लोहे के अतिरिक्त अन्य कच्ची धातुओं के सम्बन्ध में भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा दक्षिण भारत में कोई गहरी खोज की गई है; और

(ख) यदि की गई है तो उसका परिणाम क्या रहा?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** (क) तथा (ख). बंगलोर सम्मेलन ने तो केवल सिफारिशें की थीं। उनपर सरकार शीघ्र ही विनिश्चय करेगी और उनका परिपालन किया जाएगा।

**पंख (चौर्यानयन)**

*६०१. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि भारत की फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियों के रास्ते भारतीय जंगली पक्षियों के पंख बड़े परिमाण में चोरी से बाहर भेजे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त पंखों के चोरी से भेजने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा):** (क) सरकार को जो जानकारी उपलब्ध हुई है उस से पता चला है कि इस प्रकार चोरी से बहुत कम पंख भेजे जाते हैं;

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए पंखों के विषय में कोई विशेष कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया। तथापि हाल के वर्षों में सीमान्तों को पार करके फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियों को जाने वाले लोगों और सामान पर नियंत्रण निरन्तर कड़ा किया जा रहा है।

**मौलिक गवेषणा**

*६०२. **डा० सत्यवादी:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) वर्ष १९५३-५४ में मौलिक गवेषणा के लिए (विषयवार) कितने मामलों में सहायतार्थ अनुदान दिए गए; और

(ख) उसी अवधि में कुल कितनी राशि के अनुदान दिए गए?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सं० २५]

**त्रिपुरा में सहकारी संस्था**

*६०४. **श्री बीरेन दत्त:** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या त्रिपुरा में किसी सहकारी संस्था को कोई अनुदान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, यह रुपया किस लिए दिया गया है?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):** (क) अभी तक किसी को नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**भारतीय कला प्रदर्शनी**

*६१०. **श्री आर० एस० तिवारी:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) १९५३ और १९५४ में अब तक किन किन देशों में भारतीय कला प्रदर्शनियां हुई हैं; और

(ख) इन प्रदर्शनियों में कितनी सफलता मिली है?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** (क) १९५३ में अमरीका, कनाडा, रूस, पोलैण्ड तथा जर्मनी में और १९५४ में अर्जन्टाइना, इंडोनेशिया, चीन, ब्राजील और वेनिस में ।

(ख) इनसे सम्बन्धित देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने और भारतीय कला में उनकी अभिरुचि बढ़ाने में बड़ी सहायता मिली।

**अस्पृश्यता**

*६१६. **श्री एन० ए० बोरकर:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) भारत सरकार द्वारा अस्पृश्यता निवारण के लिए दी गई राशि में से मध्य प्रदेश राज्य में अब तक इस प्रयोजन के लिए वस्तुतः कितनी राशि व्यय की जा चुकी है; और

(ख) क्या सरकार को किए गए काम के बारे में कोई प्रतिवेदन मिला है?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). राज्य सरकार ने सूचना भेजी है कि १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष जो कि केन्द्रीय अनुदानों का प्रथम वर्ष था, भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान में से वह ५५,१२३ रु० व्यय कर चुकी है। किन्तु उस समय के कुल अनुमानित व्यय के आधार पर भारत सरकार ने वास्तव में ४५,२०० रु० की राशि मंजूर की थी। इस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के लिए अधिकतम २.१० लाख रुपए की राशि नियत कर दी गई है जिसमें से १.५ लाख रुपए उन्हें दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष किए गए कार्य और मंजूर किए गए धन में से वस्तुतः व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में प्रतिवेदन कीप्रतीक्षा की जा रही है ।

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**

*६१७. **लाला अचिन्त राम:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भारत सरकार से १९५३-५४ और १९५४-५५ में कितना धन प्राप्त हुआ है?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** राशियां इस प्रकार हैं:

(१) १९५३-५४ ८६,४४,३४६ रु०

(२) १९५४-५५ (आज तक)

३०,२९,०५१ रु० १४ आ० ३ पा०

**अयुधागारों में छंटनी**

*६१८. **श्री ए० के० गोपालन:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या १९५४-५५ में अयुधागारों के कर्मचारि-वृन्द में कोई छंटनी की गई है अथवा की जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ब्यापार के प्रत्येक डिपो में से कितने कर्मचारी निकाले गए;

(ग) छंटनी के क्या कारण हैं; और

(घ) छंटनी किए गए कर्मचारियों को दूसरी नौकरी दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रकार कितनों का प्रबन्ध किया जा चुका है ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) और (ख). एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। (**देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७**)

(ग) छंटनी के कारण हैं काम का घट जाना, डिपुओं का समाप्त किया जाना और सैनिकों के उपलब्ध होने पर उनके स्थान पर नियुक्त किए गए असैनिकों को निकाल कर पुनः सैनिकों का रखा जाना।

(घ) रक्षा मन्त्रालय के पास एक योजना है जिसके अनुसार एक रक्षा प्रतिष्ठापन के फालतू व्यक्तियों को रक्षा विभाग में ही जहां कर्मचारियों की कमी हो रख कर समायोजन कर लिया जाता है, फालतू कर्मचारियों को दूसरी नौकरी दिलाने का पूरा यत्न किया जाता है और केवल उन्हीं व्यक्तियों की छंटनी की जाती है जिनके लिए दूसरी कोई नौकरी नहीं मिल सकती। छंटनी किए गए ८५७ व्यक्तियों में से ५११ को दूसरी नौकरियां दिलाई जा चुकी हैं।

### शिक्षा सम्बन्धी गोष्ठी

***६१९. श्री एस० एन० दास :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) फोर्ड प्रतिष्ठान योजना के अधीन अब तक सरकार कितनी शिक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक गोष्ठियों का आयोजन कर चुकी है;

(ख) इन गोष्ठियों में किस प्रकार के विषयों पर चर्चा की गई;

(ग) इन गोष्ठियों ने सरकार से कौन कौन सी महत्वपूर्ण सिपारिशें कीं; और

(घ) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई, तो वह क्या है ?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** (क) चार कुन्नूर, दार्जिलिंग, मसूरी और श्रीनगर में।

(ख) गोष्ठियों का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों या माध्यमिक शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय दल और गत वर्ष तारादेवी में हुए अखिल भारतीय मुख्याध्यापक गोष्ठी के प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में सुझावों, विचारों और अनुभवों का विनिमय और इसे सुधारना था।

(ग) अन्तिम सिफारिशों की जो कि लागू करने के लिए विस्तृत उपायों के रूप में हैं--- प्रतीक्षा की जा रही है,

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

### भारतीय असैनिक प्रशासन (केन्द्रीय) श्रेणी योजना

***६२४. चौ० रघुबीर सिंह :** क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय श्रेणी के लिए कर्मचारी चुनने का काम केन्द्रीय स्थापना बोर्ड को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड ने आई० ए० एस० और आई० पी० एस० की सूची पूरी कर ली है; और

(ग) क्या बोर्ड इस श्रेणी में और पदाधिकारी भर्ती करेगा ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):** (क) से (ग). यह स्पष्ट नहीं है कि क्या माननीय सदस्य केन्द्रीय सरकार के अधीन नियत सेवा अवधियों के लिए अथवा अन्यथा रिक्त स्थानों पर आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदाधिकारियों को नियुक्त करने के सामान्य प्रबन्ध के बारे में पूछना चाहते हैं या वे विशेष रूप से भारतीय असैनिक प्रशासन (केन्द्रीय) श्रेणी योजना के विषय में पूछना चाहते हैं, उस योजना के अधीन केन्द्रीय श्रेणी में नियुक्ति के लिए कर्मचारियों का प्रारम्भिक चुनाव केन्द्रीय स्थापना बोर्ड द्वारा संघ लोक सेवा आयोग

के अध्यक्ष के साथ मिल कर किया जाना था। किन्तु इस योजना पर पुनः विचार किया जा रहा है और क्रियान्वित करने से पूर्व इस में कई रूप भेद किए जा सकते हैं, इस योजना का आई० पी० एस० से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है।

२. केन्द्रीय स्थापना बोर्ड एक ज्येष्ठ सचिवों की समिति है जिसके सभापति मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। इसका साधारण कृत्य राज्य श्रेणी के आई० ए० एस० पदाधिकारियों को केन्द्रीय सरकार के अधीन लाने की उपयुक्तता के बारे में केन्द्रीय सरकार को मन्त्रणा देना और किन्हीं विशेष रिक्तियों पर उन्हें नियुक्त करने की सिफारिश करना है। बोर्ड किसी श्रेणी में कोई भर्ती नहीं करता।

### भारतीय विमान बल

*६२५. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) हाल ही के वर्षों में भारतीय विमान बल में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अगस्त १९४७ के पश्चात कितनी विमान बल अकादमियां खोली गई हैं?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** (क) विभाजन के पश्चात भारतीय विमान बल में ५ हवाई और ७ नीचे काम करने वालों को प्रशिक्षण देने के केन्द्र खोले गए हैं, जिन में हर प्रकार के अपेक्षित पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब प्रशिक्षण दिए जाने वाले कुल कर्मचारियों के केवल २ से ५ परसेंट बाहर के देशों में उच्च विशेषज्ञता पाठ्यक्रम के लिए भेजे जाते हैं।

(ख) तीन।

### चांदी का चौर्यानयन

*६२७. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में अब तक भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा शुल्क पदाधिकारियों ने चांदी के चौर्यानयन के कितने मामले पकड़े हैं?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा):** वर्ष १९५४ में (जुलाई की समाप्ति तक) भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने चांदी के चौर्यानयन के २२१ मामले पकड़े इसमें कलकत्ते से अवैध निर्यात के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि वे तुरन्त नहीं मिल सकते।

### मध्य प्रदेश में नया युद्धास्त्र का कारखाना

*६३०. **श्री एन० ए० बोरकर:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मध्य प्रदेश में भंडारा के समीप एक नया युद्धास्त्र का कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे स्थापित करने का वास्तविक कार्य कब आरम्भ होगा?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) और (ख). नए युद्धास्त्र के कारखाने को स्थापित करने की प्रस्थापना के सम्बन्ध में कई स्थानों पर विचार किया जा रहा है जिनमें मध्य प्रदेश का भंडारा भी एक है किन्तु अभी तक स्थान और परियोजना को आरम्भ करने की तिथि के सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया गया है।

### विशेषज्ञ समिति (उत्पादन शुल्क)

*६३१. **श्री एस० एन० दास:** क्या **वित्त** मंत्री २ मार्च, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न सं० ४१७ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने विशेषज्ञ समिति (उत्पादन शुल्क) की सिफारिशों के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रियाएं भेज दी हैं और क्या उन्होंने उन सिफारिशों को कार्यान्वित किया है; और

(ख) क्या माधसार वाली औषधियों, और प्रसाधन की वस्तुओं के लिए एक समान शुल्क

दरें निर्धारित करने का विधान बनाने की प्रस्थापना को अन्तिम रूप दे दिया गया है?

**वित्त उप मंत्री (श्री ए० सी० गुहा):** (क) हां, श्रीमान। विशेषज्ञ समिति (उत्पादन शुल्क) की सिफारिशों पर बहुत सी राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो चुके हैं और उन्होंने सामान्यतः इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सहमति प्रकट की है।

(ख) मघसार वाली औषधियों, और प्रसाधन सामग्री पर एक समान उत्पादन शुल्क लगाने का उपबन्ध करने वाले एक विधेयक को लगभग अन्तिम रूप दिया जा चुका है और यह संसद के चालू सत्र में पुनःस्थापित कर दिया जाएगा।

**तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क नियंत्रण**

*६३२. **चौ० रघुबीर सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) १ अक्तूबर १९५३ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कतिपय चुने हुए जिलों में चलाई गई योजना जिसके अनुसार तम्बाकू उत्पादकों पर उत्पादन शुल्क नियंत्रण की वर्तमान प्रणाली से ग्राम पदाधिकारियों को सम्बद्ध किया गया है कहां तक सफल हुई है; और

(ख) क्या सरकार का राज्य के अन्य भागों में भी इस योजना को लागू करने का विचार है?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा):** (क) इस योजना का कार्य अभी आरम्भ ही हुआ है और स्वभावतः ग्रामीण क्षेत्रों में सारी आवश्यक व्यवस्था करने में कुछ समय लगेगा। इस थोड़े समय का अनुभव निराशाजनक नहीं है। तो भी अभी कोई निश्चित मत नहीं व्यक्त किया जा सकता।

(ख) जब (क) में निर्दिष्ट प्रयोग सफल होगा तो योजना के विस्तार के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

**विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां**

२७५ **डा० सत्यवादी:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) भारत सरकार ने १९५३-५४ में विदेशों में अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों को कितनी तथा कितनी राशि की विभिन्न वृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां दीं और उन छात्रों के अध्ययन के विषय क्या क्या थे?

(ख) इस अवधि में अन्य देशों ने भारतीय छात्रों को किन किन विषयों के लिए वृत्तियां और छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव किया; और

(ग) इसी अवधि में विदेशों में किन किन विषयों के अध्ययन के लिए हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** (क) **संख्या:** भारत सरकार की दो योजनाओं के अधीन २ छात्र।

**राशि:** एक मामले में दोनों ओर के भाड़े और अध्यापन शुल्क के साथ साथ ३६० पौण्ड या ४०० पौण्ड का **निर्वाह** भत्ता और दूसरे मामले में १०० रुपए प्रति मास।

**विषय:** एक का अस्थि-शल्य क्रिया और दूसरे का खानों में क्रियात्मक प्रशिक्षण।

(ख) कला तथा विज्ञान सम्बन्धी सब विषय, इंजीनियरिंग, टैक्नालोजी, कपड़ा उद्योग, कृषि, बागवानी, बंजर क्षेत्र में कृषि, लोहा तथा इस्पात उद्योग, हल्की मशीनों और मशीनी औजारों का निर्माण, कला, नौ सम्बन्धी वास्तु कला, शिक्षा, समाज सेवा, नावे की भाषा और साहित्य, फारसी भाषा और साहित्य विधि, औषधि विज्ञान, दंत स्वास्थ्य।

(ग) १९५३-५४ में विदेशों में अध्ययन के लिये अनुसूचित जाति के किसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं दी गई।

**विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां**

२७६. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में विदेशों में जाकर शिक्षा पाने के लिए प्रत्येक विषय के लिए भारत सरकार और विदेशी सरकारों ने कितनी कितनी छात्रवृत्तियां दीं, प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि क्या थी और यदि छात्रवृत्ति पाने वालों में अनुसूचित जातियों के लोग भी हैं, तो उनकी संख्या कितनी है?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)**: एक विवरण जिसमें यह जानकारी दी हुई है सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सं० २८]

**भारतीय ओलिम्पिक संस्था**

२७७. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भारतीय ओलिम्पिक संस्था को इस लिए कोई राशि दी गई थी कि वह मनीला में एशियन खेलों में और वेन्कोवर में एम्पायर खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक दल भेज सके;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि; और

(ग) उपरोक्त दोनों स्थानों की खेलों में भारतीय प्रतिनिधियों ने कितने प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)**: (क) जी हां।

(ख) मनीला में द्वितीय एशियन खेलों के लिए सहायतार्थ अनुदान १,७८,००० रुपए वेन्कोवर में एम्पायर खेलों के लिए सहायतार्थ अनुदान २९,००० रुपए।

(ग) (१) भारतीय ओलिम्पिक संस्था से मिली नवीनतम जानकारी के अनुसार भारत ने मनीला की एशियन खेलों में निम्न स्थान प्राप्त किए:

| | |
|---|---|
| प्रथम स्थान | ५ |
| द्वितीय स्थान | ५ |
| तृतीय स्थान | ६ |

(२) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वेन्कोवर की एम्पायर खेलों में भारतीय दल किसी खेल में कोई स्थान नहीं प्राप्त किया।

**भारत की खेलें**

२७८. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार के पास, भारत में खेलों के स्तर को ऊंचा उठाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)**: (क) और (ख). एक योजना पर विचार किया जा रहा है, परन्तु उसे अभी अन्तिम रूप देना है।

**खेल सम्मेलन**

२७९. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **शिक्षा** मंत्री अपने मंत्रालय द्वारा अगस्त, १९५४ में बुलाए गए खेल सम्मेलन की कार्यवाही की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)**: सम्मेलन की कार्यवाही अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुई है।

**कवियों और लेखकों को अनुदान**

२८०. **श्री डी० सी० शर्मा**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के लेखकों और कवियों को कितना अनुदान दिया गया और ये कितने काल के लिए दिए गए अथवा दिए जा रहे हैं; और

(ख) १९५३ तक प्रति वर्ष भाषावार दी गई राशियों के विस्तृत आंकड़े क्या हैं?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सं० २९]

**हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड**

२८१. **श्री वी० पी० नायर:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) जून १९४९ से १ जुलाई १९५४ तक हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के श्रमिकों के क्वार्टरों के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) १ सितम्बर १९५४ तक ऐसे कितने क्वार्टर पूरे बन चुके हैं और कितने रहने के लिए दिए जा चुके हैं?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) ८,५० लाख रु०।

(ख) इस अवधि में बनाए गए क्वार्टरों की कुल संख्या २६६ हैं। ये सब क्वार्टर रहने के लिए दिए जा चुके हैं।

**सोने का पकड़ा जाना**

२८२. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या २ जून, १९५४ को कलकत्ता सीमा शुल्क वालों ने एक जहाज के नाविक से लगभग १२८० तोले सोना पकड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी और उसे दण्ड दिया गया था?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा):** (क) कलकत्ता सीमा शुल्क निवारक सेवा के पदाधिकारियों ने एस० एस० "टक्सांग" के क्वार्टर-मास्टर चांग चिन एंग से ३ जून १९५४ की रात को १२८३.३० तोले सोना पकड़ा था।

(ख) सोना सर्वथा जब्त कर लिया गया था और समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन उस क्वार्टरमास्टर पर २५,००० रुपए का वैयक्तिक अर्थदण्ड लगाया गया था। क्वार्टर-मास्टर पर विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २३ (१) के अधीन अभियोग भी चलाया गया था। उसने स्वीकार कर लिया था और १३ अगस्त, १९५४ को अभियोग सुनने वाले दण्डाधीश ने उसे अपराधी ठहरा कर ३ मास का कठोर कारावास और ५००० रुपए का अर्थदण्ड और अर्थदण्ड न देने पर ३ मास के और कठोर कारावास का दण्ड दिया था।

**समाज शिक्षा साहित्य**

२८४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी:** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक समाज शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशन पर कितना धन व्यय किया जा चुका है?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** अब तक समाज शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशन के लिए २,९०,००० रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

**सरकारी नौकर**

२८५. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) १९४७ के बाद से लोक सेवक (जांच) अधिनियम, १९५० के अधीन कितने केन्द्रीय सरकार के नौकरों पर अभियोग चलाए गए; और

(ख) क्या सरकार का एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने का विचार है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम और वे वर्ष दिए हुए हों जिनमें उन पर अभियोग चलाए गए थे?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):** (क) और (ख). लोक सेवक (जांच) अधिनियम में "अभियोग चलाने" की व्यवस्था नहीं है। १९४७ के बाद से इस अधिनियम के अधीन संघ के कार्यों में लगे हुए निम्न पदाधिकारियों के सम्बन्ध में जांच की जा चुकी है:

| | |
|---|---|
| श्री जे० एम० लोबो प्रभु | १९४९. |
| श्री एस० ए० वेंकटारमन | १९५२. |

**कर चुकाने के प्रमाणपत्र**

२८६. **चौ० रघुबीर सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) २३ मई, १९५३ के बाद से कितने कर चुकाने के प्रमाण-पत्र दिए जा चुके हैं;

(ख) इनमें से कितने विदेशियों को और कितने भारतीयों को दिए गए थे; और

(ग) क्या कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें कोई व्यक्ति कर चुकाने के प्रमाण-पत्र के बिना चला गया हो?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा):** (क) जुलाई, १९५४ के अन्त तक २,१४,५३८।

(ख) ७३,९८४ विदेशियों को दिए गए थे और १,४०,५५४ भारतीयों को ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस समय स्थल मार्ग से यात्रा के लिए प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होती।

**विदेशी मुद्रा**

२८७. **श्री राधा रमण:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों को अपने साथ अधिक से अधिक कितनी विदेशी मुद्रा ले जाने की आज्ञा है; और

(ख) १९५३ में इस प्रकार कुल कितनी राशि ले जाने दी गई?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख):** (क) विदेश जाने वाले पर्यटकों को इस क्रम से विदेशी मुद्रा ले जाने की आज्ञा है:

| यात्रा का देश | अनुज्ञात विदेशी मुद्रा |
|---|---|
| (१) टेंनियर, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान और नीचे (२), (३) तथा (४) में दिये हुए देशों को छोड़ कर सब देश । | ६०० पौंड प्रति वयस्क और ३०० पौंड प्रति बच्चा (१६ वर्ष से कम आयु का) ३१-१२-१९५४ को समाप्त होने वाले दो वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध और वापसी के किरायों का भत्ता। |
| (२) अमेरिका महाद्वीप (पेरू, चिली, पैराग्वे, उरुग्वे तथा ब्राजील को छोड़ कर) फिलीपीन द्वीप । | शून्य । |
| (३) पेरु, चिली, पैराग्वे, उरूग्वे तथा ब्राजील । | तदर्थ आधार पर मुद्रा विनियम की आज्ञा है। |
| (४) अदन, ईरान, ईराक फारस की खाड़ी के पत्तन, सौदी अरब, श्रीलंका, बर्मा मलाया, थाईलैंड, हिन्द-चीन, इंडोनेशिया गणराज्य तथा डच न्यू गिनी । | २,००० रु० प्रति वयस्क और १,००० रु० प्रति बच्चा (१६ वर्ष से कम आयु का) दो वर्षों में एक बार और वापसी के किरायों का भत्ता। |

(ख) ४,८०,११,००० रुपए।

*इस प्रयोजन के लिए पर्यटक आमोद-प्रमोद या निजी सुविधा के लिए यात्रा करने वाला यात्री समझा जाता है।

**भारतीय नौवहन**

२९८. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्रमशः १९५२-५३ और १९५३-५४ में भारतीय नौवहन ने कितनी विदेशी मुद्रा उपार्जित की?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख):** भारतीय स्टीमशिप समवायों द्वारा १९५२-५३ और १९५३-५४ में बैंकों द्वारा भेजी गई या उन्हें प्राप्त हुई शुद्ध राशि इस प्रकार थी:

(लाख रुपयों में)

| | १९५२-५३ | १९५३-५४ |
|---|---|---|
| भाड़े तथा मार्ग किराये से आय | ४,५२ | ३,४३ |
| इन कम्पनियों के विदेशों में संचालन व्यय | २,०१ | १,४५ |
| शुद्ध आय | २,५१ | १,९८ |

**अफीम का चोरी छिपे व्यापार**

२९९. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) कि १९५३-५४ में अफीम के चोरी छिपे व्यापार के कितने मामले पकड़े गए; और

(ख) कितने मामलों में चालान किए गए तथा कितने मामले सिद्धदोष ठहराए गए?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा):** (क) १९५३-५४ में अफीम के चोरी छिपे व्यापार के ५ ७७४ मामले पकड़े गए।

| | |
|---|---|
| (ख) चालान किए गए | ५७७४ |
| सिद्धदोष ठहराए गए | २९९६ |

**तेल निक्षेप**

३००. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) कि राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र के तेल निक्षेपों में, जिनके सम्बन्ध में सूचना मिली हैं, क्या तेल खोजने के कोई प्रयत्न किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** (क) तथा (ख). बताया गया है कि १९३९ से १९४९ तक बी० ओ० सी० ने जैसलमेर के पड़ोस में भूमि का नक्शा तय्यार करने के, गरुत्वभार सर्वेक्षण के तथा भूकम्प सम्बन्धी कार्य किए, परन्तु उसके परिणाम समान रूप से हतोत्साहित करने वाले हैं।

**इंगलैण्ड में भारतीय छात्र**

३०१. **श्री गिडवानी:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) कि आजकल इंग्लैण्ड में भारतीय छात्रों की संख्या कितनी है;

(ख) १९४९ से प्रतिवर्ष उच्चतर शिक्षा के लिए वहां जाने वालों की औसत संख्या कितनी है; तथा

(ग) उन्होंने वहां शिक्षा के कौन से पाठ्यक्रम आरम्भ किए हैं?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** (क) नवीनतम सूचना के आधार पर, जो ३१ मार्च, १९५४ तक ठीक है, ऐसे छात्रों की संख्या १३९० है।

(ख) लगभग ३६०।

(ग) पाठ्यक्रमों की तालिका संलग्न की जाती है **(देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०)**

**स्टोर्स के लेखे में अनियमितताएं**

३०३. **श्री के० सी० सोधिया:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) कि १ अप्रैल १९५० के पूर्व के नकद तथा स्टोर्स के लेखे की कम पड़ने वाली राशियों तथा

अनियमितताओं की कुल संख्या कितनी हैं जिनका अभी तक निपटारा नहीं हुआ हैं;

(ख) नकद तथा स्टोर्स लेखे में (१) कम पड़ने वाली राशियों तथा (२) अनियमितताओं की लगभग राशि कितनी हैं; तथा

(ग) इनका कब तक निपटारा हो जाने की आशा की जाती हैं?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी):** (क) जुलाई १९५४ के अन्त तक परीक्षण किए गए लेखा के आधार पर १२१९।

(ख) इस जानकारी को एकत्रित करने में जितना श्रम करना पड़ेगा वह परिणाम के बराबर नहीं होगा।

(ग) ऐसे मामलों को यथा-शीघ्र निपटाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और आशा की जाती हैं कि अगली छमाही में इनमें से अधिकांश मामले निपटा दिए जाएंगे।

### अभ्रक

२९४. **श्री बलवन्त सिंह मेहता:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी मात्रा में अभ्रक का उत्पादन किया गया हैं?

**शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):** १९५३ में जितने अभ्रक का उत्पादन किया गया उसका एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता हैं। १९५४ में निकाली जाने वाली अभ्रक की जानकारी प्राप्त होने का अभी समय नहीं आया हैं। [देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२]

### हथकरघा बुनघरों की सहकारी समितियां

२९५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के विषय में अब तक भारत के रिजर्व बैंक ने कितनी सहायता दी हैं?

**वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा):** रिजर्व बैंक ने, १९५३-५४ में, सूत क्रय करने के निश्चित प्रयोजन के लिए, मद्रास तथा आन्ध्र राज्य सहकारी हथकरघा बुनकर समितियों में से प्रत्येक के लिए, १५ लाख रुपए तक की ऋण सीमा मंजूर की थी। दोनों समितियों ने ऋण सीमा का पूरा लाभ उठाया। रिजर्व बैंक ने १९५४-५५ के लिए भी वही ऋण सीमा फिर से स्वीकार कर ली हैं। किसी अन्य राज्य ने रिजर्व बैंक से इस प्रकार की सहायता के लिए नहीं कहा।

भारत सरकार ने फिर भी १९५३-५४ में राज्य सरकारों को ३०,६०,००० रुपया हथकरघा उद्योग के विकास के लिए सहकारी समितियों द्वारा ऋणों तथा अनुदानों के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए दिया हैं।

# लोक-सभा

## वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

मंगलवार,
७ सितम्बर, १९५४

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

Preservation Unit
1-4-92
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

खण्ड ६, १९५४

(२३ अगस्त से ११ सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र

१९५४

# विषय-सूची

## खण्ड ६—२३ अगस्त, से ११ सितम्बर, १९५४


| | स्तम्भ |
|---|---|
| सोमवार २३ अगस्त, १९५४ | |
| श्री सुरेशचन्द्र मजूमदार का देहान्त | १ |
| मेज पर रखे गये पत्र— | |
| छठे सत्र में पारित विधेयक | २—३ |
| नारियल जटा उद्योग नियम | ३ |
| केन्द्रीय रेशम कृमिपालन गवेषणा केन्द्र, बहरमपुर, सम्बन्धी प्रतिवेदन | ४ |
| बाईक्रोमेट उद्योग के संरक्षण सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और सरकारी संकल्प | ४ |
| केन्द्रीय रेशम बोर्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन | ५ |
| उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदन | ५ |
| फोर्ड प्रतिष्ठान के अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल द्वारा छोटे उद्योगों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सरकारी संकल्प | ६ |
| छठे सत्र के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश | ७ |
| भारत तथा चीन के प्रधान मंत्रियों का संयुक्त वक्तव्य | ८—१० |
| समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें | १० |
| चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें | १०-११ |
| अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर | ११ |
| प्रेस आयोग का प्रतिवेदन, भाग १, १९५४ | ११ |
| दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियां—संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन का उपस्थापन | १२ |
| सदन का कार्य | १२-१३ |
| अध्यादेशों का प्रख्यापन | १४ |
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना | १४-१५ |
| भारतीय राष्ट्रजनों के पुर्तगाल क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबन्ध | १५ |
| गोआ की विशेष सांस्कृतिक स्थिति बनाये रखने का आश्वासन | १५ |
| पुर्तगाली फौजों द्वारा नृशंस हत्या | १५ |
| बिहार, आसाम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में बाढ़ | १५-१८ |
| भारत के पुर्तगाली राज्य क्षेत्रों में सत्याग्रहियों का निरोध | १८-१९ |
| गोआ में सत्याग्रहियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक | १९-२० |
| मथुरा में दंगे | २० |
| गोआ मुक्ति के सत्याग्रही | २० |
| निजामाबाद में पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना | २० |
| सभापति तालिका | २१ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| सदस्य द्वारा पदत्याग | २१ |
| खाद्य अपमिश्रण विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—अस्माप्त | २२—९६ |
| **मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४** | |
| आसाम, उत्तर बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य। | ९७—१०४ |
| पटल पर रखे गये पत्र— | |
| अनुदानों की मांगों, (रेलवे) १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर | १०४ |
| हिन्द चीन में काम स्वीकार करने के सम्बन्ध में घोषणा | १०४ |
| भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाली सरकार से पत्र व्यवहार | १०४ |
| समवाय विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि | १०४-१०५ |
| खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त | १०५—१८८ |
| **बुधवार, २५ अगस्त, १९५४** | |
| पटल पर रखे गये पत्र— | |
| संसद् के पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५३ के अधीन अधिसूचना | १८९ |
| संसद् के पदाधिकारी (मोटर कारों के लिये पेशगी) नियम, १९५३ | १८९-१९० |
| संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में संशोधन | १९० |
| परिसीमन आयोग के अन्तिम आदेश | १९०-१९१ |
| अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) (शास्त्री न्यायाधिकरण) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के बारे में आदेश | १९१ |
| अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के कारणों का विवरण | १९१-१९२ |
| भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाल सरकार से अग्रेतर पत्र व्यवहार | १९२ |
| सम्पत्ति शुल्क नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचनायें | १९२ |
| प्राप्त याचिकायें—निम्नलिखित विषयों के बारे में : | |
| विस्थापित व्यक्तियों को रहने के लिये दुबारा मकानों का दिया जाना | १९२ |
| वर्ग पहेली योजनाओं पर निर्बन्धन | १९२ |
| सरायकेला खरसवान का उड़ीसा के साथ विलयन | १९२ |
| "कर अपवंचक ऋण" का जारी किया जाना | १९३-१९४ |
| अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य | १९३-२०७ |
| तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में वृद्धि | २०७-२०८ |
| खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त | २०८-२६० |

**बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४**


| | स्तम्भ |
|---|---|
| स्थगन प्रस्ताव-- | |
| बैंक विवादों सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में सरकार द्वारा रूपभेद | २६१-२६२ |
| पटल पर रखे गये पत्र-- | |
| टेलीग्राफ तारों का अवैध कब्जा रोकने के लिये नियम | २६२ |
| टेलीग्राफ तार (क्रय विक्रय की अनुज्ञा) नियम | २६३ |
| भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ के अधीन अधिसूचनायें | २६३-२६४ |
| आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण | २६३-२६४ |
| गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--दशम प्रतिवेदन का उपस्थापन | २६३ |
| रबड़ उत्पादन तथा वियणन (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन | २६४ |
| काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन | २६५ |
| दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय में वृद्धि | २६५ |
| खाद्य अपमिश्रण विधेयक--संशोधित रूप में पारित | २६५--३२३ |
| अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा और प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा--असमाप्त | ३२३--३३८ |


**शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४**


| | |
|---|---|
| राज्य सभा से संदेश | ३३९--३४१ |
| काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक १९५४--उपस्थापित याचिका | ३४१ |
| अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--नहर पानी विवाद | ३४१--३४५ |
| विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पनर्वास) विधेयक--संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित | ३४५ |
| पटल पर रखे गये पत्र-- | |
| लालटेन उद्योग को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का एक संकल्प | ३४६-३४७ |
| अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--चर्चा असमाप्त | ३४७--३६५ |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव--स्वीकृत | ३६५ |
| हथ-करघा उद्योग के लिये सभी साड़ियों और धोतियों के उत्पादन के रक्षण के सम्बन्ध में संकल्प--अस्वीकृत | ३६५--४०७ |
| कपड़ा तथा पटसन उद्योगों में आयोजित वैज्ञानिकन की योजनाओं के सम्बन्ध में संकल्प--चर्चा असमाप्त | ४०८--४२० |

**सोमवार, ३० अगस्त, १९५४** स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

त्रावनकोर कोचीन में परिवहन सेवाओं के बारे में स्थिति ४२१

पटल पर रखा गया पत्र—

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें ४२१-४२२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

कानपुर के काठी तथा साज कारखाने में हड़ताल . . . ४२२—४२

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, १९५३—वापस लिया गया ४२६-४२७

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . ४२

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ४

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा—असमाप्त . ४२७—४५१

बैंक विवाद सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने वाला सरकारी आदेश . . . . . ४५१—५१

**मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४**

पटल पर रखे गये पत्र—

बीमा अधिनियम, १९३८ के अधीन अधिसूचनायें . ५१३-५१४

राज्य-सभा के सन्देश . . . ५१

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया . . . ५१४—५९८

**बुधवार, १ सितम्बर, १९५४**

स्थगन- स्ताव . . . . . ५९९-६००

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—बीमा समवायों में औद्योगिक विवादों पर न्याय निर्णय करने के लिये न्यायाधिकरण . ६००-६०१

मध्य भारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . . ६०१-६०२

कराधान विधियां (जम्मू और काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पुरःस्थापित . ६०२

विशेष विवाह विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ६०२-६८६

**बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४**

तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६८७

पटल पर रखा गया पत्र —

परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या १५ . . ६८७-६८८

राज्य-सभा से संदेश . . . . . ६८८

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक--पटल पर रखे गये पत्र-- स्तम्भ

औषधि (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . . ६८८
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक, १९५४ . . . . ६८८
दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . ६८९
विशेष विवाह विधेयक--
खंडवार विचार--असमाप्त . .६८९--७५८
सदस्य द्वारा पदत्याग . ७५८

शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--
भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ के अन्तर्गत अधिसूचनायें . ७५९
खान (सारांश प्रदर्शन) नियम, १९५४. . . . . ७६०
भारतीय श्रम सम्मेलन के तेरहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षिप्त वृतान्त . ७६०
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . ७६१

निष्क्रान्त सम्पत्ति (केन्द्रीय) प्रशासन नियम, १९५० में संशोधन . . ७६२
विशेष विवाह विधेयक-याचिका का उपस्थापन . ७६२
देश में बाढ़ सम्बन्धी वक्तव्य .७६२--७६९
हिन्दी में नाम पट्ट . . . .७६९-७७०
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७७०
दंड-प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन . . ७७०

विशेष विवाह विधेयक-खंडवार विचार--असमाप्त . . .७७१--७८९
भाग ग राज्य शासन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . ७८९
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--पुरःस्थापित . ७९०
अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९०
विद्युत संभरण (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९१
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकद्दमेबाजी विधेयक--पुरःस्थापित ७९१
अन्त्येष्ठि क्रिया सुधार विधेयक--पुरःस्थापित . ७९२
सेवा निवृत्ति वेतन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . . ७९२
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५७क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ६१क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
विधुर पुनर्विवाह विधेयक--पुरःस्थापित . . . . . ७९४
संविधान (षष्ठ अनुसूची का संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७९४
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--वाद-विवाद स्थगित . . .७९५--८५०
सभा का कार्य . . . . . ८५०-८५१

अत्यावश्यक वस्तुयें (अस्थायी शक्तियां संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . ८५१—८८।

सोमवार, ६ सितम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—
ब्राजील और स्पेन से गोआ में स्वयं सेवकों का आना
श्रीलंका निवासी भारतीयों का परिपीडन
पटल पर रखे गये पत्र—
चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५१ में संशोधन . . .
भारत का रक्षित बैंक अधिनियम की धारा २१ के उपनियम (४) के अधीन निष्पादित करार . . . . . .
१९-४-५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . . . . . .
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .
चावल, धान, और चावल के आटे पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प—स्वीकृत . ८५९—
मूंगफली के तेल पर निर्यात शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . . . ८९१
विशेष विवाह, विधेयक—
खंडवार विचार—असमाप्त . . . . . ९२१-९३

मंगलवार, ७ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र —
परिसीमन आयोग, भारत का अन्तिम आदेश संख्या १५, दिनांक २४ अगस्त, १९५४ . ९
विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . . ९३९-१०

बुधवार, ८ सितम्बर, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . १००१
समिति के लिये निर्वाचन—
नारियल जटा बोर्ड . . . १००१-१००२
सभा का कार्य—बैठकों के समय में परिवर्तन . . . १००२—१००५
विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . . . १००६—१०६८

शुक्रवार, १० सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०—५१ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ (भाग २) . . . . . १०६९-१०७०
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०-५१ का वाणिज्यिक परिशिष्ट और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ . . . . १०६९-१०७०

स्तम्भ

तीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, १९५४ . . १०७०
ीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, १९५४ . . १०७०
ीय प्रशासन सेवा (प्रोवेशन) नियम, १९५४ १०७०
िय पुलिस सेवा (प्रोवेशन) नियम, १९५४ १०७०
ीय प्रशासन सेवा (पदालि) नियम, १९५४ १०७०
ीय पुलिस सेवा (पदालि) नियम, १९५४ . . १०७१
ीय प्रशासन सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४ . १०७१
ीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४ . १०७१
भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, १९५४ . . . १०७१
के राजस्व न्यायालयों में सामान्य कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियम १०७१
नयतन सम्बन्धी प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . . १०७१—१०७८
न (तृतीय संशोधन) विधेयक से युक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—
समाप्त . . . . . . . १०७९—१११८
ारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . . . १११८
तथा पटसन उद्योगों का वैज्ञानिकन करने की योजनाओं सम्बन्धी संकल्प— संशोधित रूप में स्वीकृत . . . . . . १११८—११६६
कर बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता सम्बन्धी संकल्प—असमाप्त . . . . ११६६—११६८

**वार ११ सितम्बर, १९५४**

र पर रखे गये पत्र—
ंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ के अधीन अधिसूचनायें . ११६९
ा· सदस्य की दोष-सिद्धि . . . . . . ११६९—११७०
धान (तृतीय संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त . ११७०—१२०२
रतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक के बारे में वक्तव्य . १२०२—१२०५
तीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . १२०६
त में बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा असमाप्त १२०६—१२१२

PD—HS—363 LSD—2-2-55—000

# लोक-सभा

मंगलवार, ७ सितम्बर, १९५४

---

लोक-सभा सवा आठ बज समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

## प्रश्नोत्तर

( देखिये भाग १ )

---

९-१५ म० पू०

## पटल पर रखे गये पत्र

**परिसीमन आयोग, अन्तिम आदेश संख्या १५**

**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास)** : मैं परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ की धारा ९ की उपधारा (२) के आधीन परिसीमन आयोग, भारत अन्तिम आदेश संख्या, १५ दिनांक २४ अगस्त, १९५४ की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई दीखिए संख्या एस----२९५/५४]

---

## विशेष विवाह विधेयक--(जारी)

**अध्यक्ष महोदय**: अब हम इस विधेयक पर अग्रेतर विचार प्रारम्भ करेंगे। खंड ४ इस समय विचाराधीन है अब तक इस खंड पर साढ़े चार





घंटे चर्चा हो चुकी है इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने तर्कों को संक्षेप में रखें तथा उन्हें दुहरायें नहीं, अन्यथा मुझे समापन प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ेगा। इस पर आधे घंटे चर्चा हो और प्रत्येक सदस्य पांच से दस मिनट में अपना दृष्टिकोण रखें जिससे दो तीन अन्य सदस्य भी भाषण दे सकें।

**श्री टी० बी० विट्ठल राव** (खम्मम) : इस विधेयक को कितने घंटे का समय दिया गया है?

**अध्यक्ष महोदय**: यह अभी विचाराधीन है कार्य मंत्रणा समिति ने अभी अन्तिम निश्चय नहीं किया है। समिति को अभी सभा के अधिक देर तक बैठने के सम्बन्ध में भी सोचना है। वैसे समिति ने अस्थाई रूप से विधेयक की खंडवार चर्चा के लिए २८ घंटे रखे हैं। यह निश्चय अनुवर्ती प्रभाव से है तथा कल लिये गए समय से लागू होगा। इसलिए इस बात को दृष्टि में रखते हुए चर्चा की जाये।

**खंड ४**----(विशेष विवाह के सम्पन्न होने संबंधी शर्तें)----जारी

**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर मध्य) : सपीकर साहब, यह जो स्पेशल मैरेज बिल आज लोक सभा में चल रहा है, वह पहले ही राज्य सभा में पास हो चुका है। यह समझा जाता है कि राज्य सभा में जो सदस्य बैठते हैं, उनको विशेष अनुभव है। और विशेष अनुभव रखते हुए उन्होंने यह सिफारिश की है कि लड़की और लड़के दोनों की उम्र २१ साल की होनी चाहिए।

[श्री झुनझुनवाला]

यह उन्होंने खास कर इस दृष्टि से रखा है कि यह स्पेशल मैरेज एक्ट बन रहा है और इसलिए इसमें खास तौर से उम्र का स्पेशल प्राविजन होना चाहिए।

[श्री पाटस्कर पीठासीन हुए]

अन्य रीति से जो विवाह होते हैं उनमें कितनी उम्र होनी चाहिये, यह एक दूसरा प्रश्न है, परन्तु इसमें कितनी होनी चाहिए इसके लिए यह खास प्राविजन इसमें रखे गए हैं। इसलिए उन लोगों ने जो कि बड़े अनुभवी हैं, बहुत सोच विचार कर के २१, २१ साल की उम्र रखी है।

कल यहां जो बहस हो रही थी उसमें जो आर्थोडाक्स टाइप के लोग हैं वे बता रहे थे कि १३, १४, या १५ साल की उम्र में विवाह होना चाहिए। परन्तु हमारे चटर्जी साहब ने यहां पर २५ साल की उम्र रखी है। मेरी समझ में उन्होंने भी यही सोच कर के रखा है कि चूंकि यह स्पेशल मैरेज बिल है हमारे लड़के लड़कियों को इसमें बहुत गम्भीरता से सोच समझ कर पड़ना चाहिए। लेकिन हमारे श्री मोरे की जो कल की बहस थी उसको सुनकर मैं हैरान था। उनका कहना था कि जिस प्रकार से बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए कोई आदमी जाता है और वहां पर ठगाई हो जाती है। एक दो बार उसकी ठगाई हुई, तीसरी बार फिर ठगाई हो गई फिर अनुभव से सुधर जाता है। मैं मोरे साहब से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपने मन में यह बात धारण कर ली है कि विवाह में भी और लव मैटर में भी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते चलें कि आज एक को लिया, कल दूसरे को लिया और कल तीसरे को लिया। यह तो बहुत गलत बात होगी।

**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा): उनके साथ ठगाई हो चुकी है।

**श्री झुनझुनवाला**: वह बड़े अनुभवी हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि उनके प्रति मेरी श्रद्धा है, परन्तु इस प्रकार की जो रीति वह जारी करना चाहते हैं वह बड़ी भयानक रीति है। मैं समझता हूं कि उनको तो विशेषकर कोई शादी अब करनी नहीं है, अगर उनको शादी करनी होती तो मैं उनको बताता कि इसमें क्या दिक्कतें हैं।

**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली): एक सूचना के सम्बन्ध में, उन्होंने हम से दावत खिलाने का वायदा किया है। विवाह पंजीबद्ध कराने के बाद।

**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर): मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं।

**श्री एन० सी० चटर्जी**: आप अपने वायदे से मुकर रहे हैं।

**श्री झुनझुनवाला**: मुझे बड़ी खुशी है कि जो कुछ मैंने कहा था वह ठीक है। उनको तो अब विवाह करना नहीं है। आप इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वह उनके लिए कर रहे हैं जो होनहार यात्री लोग हैं। आप उनके साथ लव मैटर में इस तरह से खिलवाड़ करना चाहते हैं। इस तरह से तो आज एक शादी होगी, कल दूसरी होगी और परसों तीसरी होगी। यह तो इसी तरह से हो गया कि हम एक फुटबाल खरीदने के लिए गए, उसके लिए हमको ५ रुपए देने पड़े दूसरी दफा ७ रुपए देने पड़े और ठगाई हो गई। इसी तरह से हमारे मोरे साहब ने शादी की ठगाई को भी मान लिया है और कहते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं। मेरी समझ में इस प्रकार का दृष्टिकोण रखना बहुत ही भयानक है। यदि अच्छी तरह से सोच विचार किया जाए तो लड़की की उम्र १६ साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु यह स्पेशल मैरेज बिल है और इसमें जिस तरह के प्रावीजन रखे गए हैं उनको देखते हुए तो बड़ी उम्र ही रखनी चाहिए, ऐसी सभी लोगों की राय है।

**श्री एस० एस० मोरे**: उसे ६० निश्चित किया जाये।

**श्री झुनझुनवाला**: मोरे साहब कहते हैं ६०। तो मैं उनसे कहूंगा कि उनको तो शादी करनी नहीं है। ऐसा करने से जो और लोग शादी करना

चाहेंगे उनको दिक्कत हो जायेगी तो वह ऐसे स्वार्थी क्यों बनते हैं।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन ने कहा कि जो आर्थोडाक्स लोग हैं वे शादी की कम उम्र के पक्ष में हैं लेकिन यहां वे लोग १८ साल का भी विरोध करते हैं। तो मैं यह कहता हूं कि चूंकि यह स्पेशल मैरेज बिल है इसलिए यदि इसमें २१ साल की उम्र रखी जाए तो कोई गलत बात नहीं है। अगर यह और तरह के विवाहों के लिए रखी जाए तो उस पर तो विचार किया जा सकता है। अगर कोई लड़का या लड़की चाहती है कि कम उम्र में विवाह कर लें तो उनके लिए दूसरा फार्म आफ मैरेज है। और फिर इसमें उनको अधिकार दिया गया है कि अगर बाद में वह चाहें तो डाईवोर्स कर सकते हैं। जो जल्दी शादी करना चाहते हैं वह दूसरा फार्म आफ मैरेज में शादी कर लें और फिर अगर डाईवोर्स करना चाहें तो मोर साहब से सलाह ले लें और अगर वह समझते हैं कि उनसे गलती हुई तो वे दूसरा मैरेज कर सकते हैं।

**डा० राम सुभग सिंह** (शाहाबाद---दक्षिण) : सभापति जी, मैं इस विधेयक को दो दृष्टियों से देखता हूं। एक तो यह कि क्या इसको विशेष विवाहों के लिए लागू किया जाए, और दूसरा यह कि क्या इसको अन्य प्रकार के विवाहों के लिए भी लागू किया जाए। अगर आप यह चाहते हैं कि इसको सब प्रकार के विवाहों में लागू किया जाए तो मैं चाहूंगा कि लड़की की उम्र को घटाकर १६ कर दिया जाए और लड़के की उम्र को घटा कर १८ कर दिया जाए। लेकिन यदि इसका उद्देश्य यह नहीं है और इसका उद्देश्य केवल विशेष विवाहों के लिए है तो मैं नहीं समझता कि उम्र को बहुत कम रखा जाए। इसका कारण यह है कि विशेष विवाह विशेष अवस्थाओं में होता है और उस विशेष अवस्था पर ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि वह अवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि लड़का और लड़की दोनों अपनी स्थिति को सम्भालने लायक हों। आज जो देश की स्थिति है उसमें कोई भी लड़का २१ बरस से कम की अवस्था में अपनी स्थिति को सम्भालने योग्य नहीं होता है। यह कहा जा सकता है कि १४ या १५ वर्ष की अवस्था में भी लड़के अपनी स्थिति सम्भालने लायक हो जाते हैं। लेकिन मेरा निजी अनुभव बताता है कि इसके लिए कम से कम २१ या २२ वर्ष की अवस्था होनी जरूरी है। लेकिन लड़कियों के लिए २१ से कम की अवस्था रखनी चाहिए। और उसके लिए मैं सुझाव दूंगा कि १६ के बजाय १८ रखा जाए। मैं समझता हूं कि यह सबको मान लेनी चाहिए और इस व्यर्थ के झगड़े में हमको नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए मैं चाहूंगा कि सरकार को जरा हिम्मत से काम लेना चाहिए। देश में हिन्दुओं की विवाह पद्धति, मुसलमानों की विवाह पद्धति, ईसाइयों की विवाह पद्धति वगैरह वगैरह जारी हैं। तो मैं सुझाव देता हूं कि सरकार जरा हिम्मत से काम ले और एक ऐसा बिल लाए जो सब पर लागू हो सके और इस पार्लियामेंट पर छोड़ दे कि वह उसको जैसा बनाना चाहे बनावे। या अगर सरकार चाहे तो इसी बिल को वैसा बना दे। मुझे इससे कोई झगड़ा नहीं है। आप इसी बिल को ऐसा कर दीजिए कि यह सब विवाहों पर लागू हो और सब विवाह पद्धतियों को खत्म कर दिया जाय। और अगर सरकार ऐसा करना चाहती है तो लड़की की उम्र १५ या १६ वर्ष रखे और लड़के की १८ वर्ष जैसा कि हिन्दू डाईवोर्स एंड मैरेज बिल में है या जैसा कि शारदा एक्ट में है। इससे हर आदमी को लाभ होगा क्योंकि विवाह के मामले में हर आदमी कठिनाई महसूस करता है। अगर इस तरह का कानून पास हो जाए तो लड़की के विवाह में तिलक देने और लड़की के लिए लड़का खोजने की कठिनाइयां दूर हो जाएं। अभी तो विवाह धनी लोगों की चीज है। अगर किसी मिनिस्टर के यहां विवाह होता है तो ५०० या ६०० इनवीटेशन कार्ड ही छपते हैं। ऐसा करने में हमारे जैसे आदमी का तो दिवाला ही निकल जाए। अगर आप मैरेज को चीप बनाना चाहते हैं और उसको सिर्फ बड़े आदमियों की चीज नहीं रखना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि सबके लिए एक तरह की विवाह प्रथा रखी जाए। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है।

[डा० राम सुभग सिंह]

लेकिन आज मुझे गवर्नमेंट में ऐसी हिम्मत का अभाव नजर आता है। गवर्नमेंट चाहती है कि जातिपांत और धर्म के भेदभाव खत्म हो जाएं लेकिन जो भी बिल आते हैं उनमें हम देखते हैं कि ये भेद भाव कायम रखे जाते हैं। जब मैं यह देखता हूं तो मुझे गवर्नमेंट के प्रोफेशन और एक्शन में बहुत भेद मालूम होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंट इस बिल को सबके लिए रखे और सब धार्मिक प्रथाओं को खत्म कर दे और इसमें उम्र १५ और १८ रखे। लेकिन अगर ऐसा सरकार नहीं करना चाहती है और इसको विशेष अवस्था के लिए रखना चाहती है तो १८ और २१ की उम्र रखी जाए।

**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना): सभापति जी, इस विधेयक के बारे में आयु का जो संशोधन हम लोगों ने आपके सामने रखा है उसके बारे में बड़ी गलतफहमी हो रही है। बहुत से लोग यह समझते हैं कि इस बिल के रास्ते में रुकावट डालने के लिए हम चाहते हैं कि लड़के और लड़की की उम्र बढ़ने मेरे सामने तो इस सदन में एक बड़ा विचित्र दृश्य आता है। जो लोग अपने को प्रगतिशील कहते थे और जो सदा इस पक्ष में रहे कि लड़की की उम्र बढ़ाई जाए, आज हम देखते हैं कि वह कह रहे हैं कि लड़की की उम्र १६ या १८ साल रखी जाय। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो लोग हिन्दू विवाह में १६ और १८ की उम्र रखना चाहते हैं वे एक प्रकार से प्रागतिक हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज देहात में जो लोग पर्सनल ला के अनुसार विवाह करते हैं वे १०, १२, या १४ साल की लड़कियों की शादी कर देते हैं। वहां के लिए १६ या १८ साल करना प्रगति है। लेकिन इस स्पेशल मैरिज में तो सुशिक्षित लोग विवाह करेंगे। आर्थोडाक्स पद्धति से भी जो सुशिक्षित लोग विवाह करते हैं उनकी लड़कियों का विवाह भी आज कल १६ या १८ वर्ष में होता है। कभी कभी तो लड़की को १६ और २० वर्ष तक जाना पड़ता है और लड़के तो जब तक उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक विवाह के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। यह स्थिति तो आर्थोडाक्स विवाह करने वालों की है। अब यह स्पेशल मैरिज बिल हमारे सामने है। इसके अनुसार जो विवाह होंगे वे पर्सनल ला को छोड़ कर, धार्मिक संस्कार को छोड़ कर होंगे। इसमें पुरानी पद्धति को छोड़ कर लड़का और लड़की एक नया प्रयोग करेंगे। तो आप यह देख लीजिए कि इतना बड़ा उत्तरदायित्व आप १८ साल के लड़के और १८ साल की लड़की को देने के लिए तैयार हैं या नहीं? कुछ दलीलें दी गई हैं कि जब एक १८ वर्ष का लड़का देश के लिए लड़ने जा सकता है तो क्या वह इस उम्र में विवाह नहीं कर सकता है? हमारे मोरे साहब जो कि प्रेम के पुजारी हैं वह कहते हैं कि जैसे जायदाद का एलियनेशन हो सकता है क्या उस तरह से हृदय का परिवर्तन नहीं हो सकता है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हृदय का एलियनेशन एक बहुत भारी बात है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि वे मतदान का अधिकार १८ वर्ष के लड़कों को क्यों नहीं देते हैं? जब आप समझते हैं कि एक १८ वर्ष का लड़का अपने उस प्रतिनिधि को नहीं चुन सकता है जिसको कि उसकी तरफ से सैकड़ों मील दूर जा कर बोलना है, तो आप यह कैसे ठीक समझते हैं कि १६ वर्ष की लड़की और १८ वर्ष का लड़का अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं।

**श्री एस० एस० मोरे**: मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि क्या वह यही उपबन्ध हिन्दू विवाह तथा तलाक विधेयक में रखेंगे?

**श्री० यू० एम० त्रिवेदी** (चितौड़): हिन्दू विवाह तथा तलाक विधेयक एकदम अवांछनीय है, हम उसका जड़मूल से विरोध करते हैं।

**श्री वी० जी० देशपांडे**: आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं आपको उसकी बाबत बतलाना चाहता हूं। मैं यही बता रहा था कि पार्लियामेंट के लिए वोट देते समय या असेम्बली के लिए वोट देते समय १८ साल के लड़के या लड़की को कि उनका प्रतिनिधि कौन हो, यह

अज करने का अधिकार आप देते नहीं हैं तो फिर जहां कि सारे जीवन साथी के चुनाव का प्रश्न हो मेरी समझ में १८ साल के लड़के या लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का भी अधिकार नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्हें दुनिया का बहुत कम अनुभव होता है। मैं मोर साहब को बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां विवाह एक सामाजिक संस्कार है और यह स्क्रामेंटल मैरिज एक भिन्न आधार पर प्राचीन परम्परा के अनुसार पिछले हजारों वर्षों से १६ या १८ साल की लड़की शादी करती है, माता, पिता की अनुज्ञा से वह शादी करके अपने पति के गृह जाती है जहां पर सास हैं, ससुर हैं, देवर हैं, इन सब लोगों के साथ भरे घर में वह रहती है और उस बड़े भरे परिवार की सारी जिमेदारियां वह वहन करती है, लेकिन यहां तो हम पाते हैं कि क्रांति का झंडा हाथ में उठा कर मनु और याज्ञवलक्य के खिलाफ बगावत करके माता, पिता की अनुज्ञा के खिलाफ जब शादी करने के लिए लड़की जाती है तो क्या आप १८ साल की लड़की को इसकी अनुज्ञा देना चाहते हैं कि वह जिससे चाहे शादी कर ले। इस बिल में आपने यह प्रावीजन किया है कि हिन्दू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन, उनकी शादी हो सकती है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप ऐसा करते वक्त वास्तविकता की तरफ नहीं देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी रजिस्टर्ड मैरिजेज एक्ट के अन्दर १८ साल में और २१ साल में हो रही हैं और मैं समझता हूं कि जब तक २० या २५ साल का लडका या २१ और २२ साल की लड़की नहीं होती है तब तक इस तरह की सिविल मैरिज उनके बीच में उचित नहीं है। और आप जानते हैं कि इस तरह की मैरिजेज होने से एबडक्शन्स और सेडक्शन्स होते हैं, जहां कि मां, बाप की परमिशन के वगैर नाजायज शादियां होती हैं। आप गार्जियन या पालक की अनुज्ञा से उसको छूट दिलाना चाहते हैं जिसमें एक धर्म का लड़का दूसरे धर्म की लडकी को ले जाता है तो उसके माता, पिता से बिना पूछे उनको विवाह करने का अधिकार आप देना चाहते हैं, हम इसके विरुद्ध हैं और हम इस प्रकार का अधिकार उनको नहीं देना चाहते हैं।

मैं आपको अभी बतला रहा था कि सुधार के नाम पर, प्रगति के नाम पर, पुरुष स्त्रियों को आज फिर धोखा दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज मुख्य चीज यह अनुभव की जा रही है कि स्त्री को एकोनोमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिये, खास कर ऐसे विवाह में जिसमें लड़का और लड़की अपने माता, पिता को छोड़ कर अपनी शादी करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि स्त्री का आर्थिक दासत्व इस देश में इस कारण आ रहा है कि उनका विवाह छोटी उम्र में हो जाता है। १६, १८ साल की लड़की जिसके सामने पढ़ाई की समस्या है, वह जल्दी शादी हो जाने की वजह से ग्रेजुएट नहीं हो पाती या डाक्टरी नहीं पास कर सकती, ऐसी लड़की को अगर आप शादी करने देंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि स्त्रियों का आर्थिक स्वातंत्र इस देश में कैसे आएगा ? स्त्रियों को सदा आर्थिक दासता में रखने के लिए एक चालाकीपूर्ण और एक योजनाबद्ध पद्धति पुरुषों की तरफ से बर्ती जा रही है और स्त्रियों को इस तरह बहकाया जा रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि छोटी उम्र में इस तरह की शादी करने में स्त्री का आप कौन सा फायदा करते हैं जब इस तरह आप एक १६ और १८ साल की उम्र में उस लड़की पर मातृत्व का भार डालते हैं जिसको उठाने में वह असमर्थ सिद्ध होती है। हमारे जैसे पुराने खयाल के लोगों का तो मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि स्त्री विवाहित होने पर एक सुयोग्य सुमाता और सुगृहिणी बने और हमें तो देख कर बड़ी हैरानी होती है कि आप स्त्री पुरुषों के लिए जो कानून बना रहे हैं उसमें आप जान बूझ कर १६ या १८ साल लड़के या लड़की के लिए उम्र रखते हैं, मुझे यह आपकी कथित समानता देख कर हैरानी होती है। पुरुष, और स्त्री दोनों में समानता हो, इसलिए १८ साल की ही लड़की हो और १८ साल का ही लड़का हो। यह समानता मेरी समझ में नहीं आती है। आयु के सम्बन्ध में श्री गुरुपादस्वामी ने जो सुझाव दिया है कि स्त्री और

[श्री वी० जी० देशपांडे]

पुरुष की आयु में फर्क होना चाहिए और वह फर्क बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में बतलाया था कि ६० साल की लड़की और १८ साल के लड़के की शादी इस विवाह प्रणाली के अनुसार हो सकती है, तो मैं कहूंगा कि जैसे आपने बाल विवाह का निषेध किया, इस तरह के जरठाकुमार और जरठा-कुमारी विवाहों का निषेध भी इस विधेयक के द्वारा करना बहुत आवश्यक है। आप एक आदर्श विधेयक प्रणाली जनता के सम्मुख रखने जा रहे हैं। पर्सनल ला के अनुसार जो विवाह होते हैं उनकी और इसकी आप तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस तरह के विवाह में तो परिस्थिति ही भिन्न होती है और उस प्रकार के विवाह में पति और पत्नी की जिम्मेदारी लेने के लिए दूसरे लोग आते हैं, लेकिन इस प्रकार के विवाहों में जहां लड़के और लड़की अपनी इच्छा से सिविल मैरिज एक्ट के अन्दर शादी करते हैं वहां एक तो उनकी दोनों की उम्र में फर्क होना चाहिये और दूसरे यह जो छोटी उम्र में शादी करने की बात है, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं और पालक कौन हो इसके बारे में भी जो कहा जाता है कि १७ साल की उम्र की लड़की या लड़के को पालक की कोई आवश्यकता नहीं, इसके भी मैं विरुद्ध हूं। पालक में भी व्याख्या की जाती है। माता, पिता हों तब तो ठीक है या तो कोर्ट गार्जियन हो तो भी ठीक है लेकिन मैं उनसे बतलाना चाहता हूं कि हमारे विवाह की कल्पना है कि "मैरिज इज ए सोशल फंक्शन"। मैरिज एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज, कुल और उनके कुटुम्ब के बाकी लोगों का सम्बन्ध आता है और फर्ज कीजिये कि किसी लड़की का पिता मर गया है लेकिन उसका दादा जीवित है तो आप यह कहेंगे कि उसको पालक रखने की जरूरत नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि उस लड़की या लड़के का ग्रैंड फादर उतना ही उसका हित देख सकता है जितना कि उसका पिता देखता। इसी प्रकार उसके चाचा या बड़े भाई होते हैं उनको जरूर अधिकार देना चाहिये और उनको पालक मानना चाहिये। आप तो कहते हैं कि १८ साल की उम्र में, लेकिन मैं तो कहूंगा कि २१ साल की उम्र में, भी जैसा कि हमारे यहां के बाकी लोगों ने भी माना है, उनका मशविरा लेना चाहिये लेकिन वह बंधनकारक नहीं होना चाहिये, और खास करके २१ साल से कम उम्र की स्त्री के इस प्रकार के नये प्रयोग में जाने के हम विरोधी हैं और मैं समझता हूं कि जो लोग स्त्रियों की आर्थिक दासता नहीं चाहते हैं उन लोगों को भी २१ साल की उम्र के नीचे स्त्रियों को विवाह करने की अनुज्ञा नहीं देनी चाहिये।

**सभापति महोदय :** प्रत्येक सदस्य को पांच छः मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिये।

**श्री गिडवानी** (थाना): इस खंड पर विचार करते समय हमें यह भी सोचना चाहिए कि इसपर खंड १६ का क्या प्रभाव पड़ेगा जिसमें संयुक्त परिवार से उसके सम्बन्ध विच्छेद का उल्लेख है। परिणाम यह होगा कि उन्हें अपनी आय का साधन खोजना पड़ेगा तथा ऐसे विवाह केवल सभ्य समाज में ही हो सकेंगे और आप देखेंगे कि चार दिन की चांदनी होने के बाद उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी और वह दर दर की ठोकरें खाएंगे। प्रश्न के इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और यदि सन्तति उत्पादन होने लगे तो उनकी क्या अवस्था होगी। हमारे देश की सामाजिक स्थिति का भी ध्यान रखते हुए व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी ऐसे सामाजिक विधान में बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि लड़के व लड़की की आयु में कोई भेद न हो और वह २१ वर्ष हो। मैं अपने समस्त अनुभवों के आधार पर, जिनको मैंने एक निस्वार्थ सामाजिक कार्य-कर्त्ता के रूप से कार्य करते हुए प्राप्त किया है, कह सकता हूं कि राज्य सभा द्वारा सिफारिश की गई आयु स्वीकार की जानी चाहिये।

**श्रीमती सुचेता कृपालानी** (नई दिल्ली): सभापति महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती हूं क्योंकि काफी बहस इस सम्बन्ध में हो चुकी है।

यहां दो दिन से जो बहस हो रही है उम्र के बारे में, उसमें दो रायें दिखाई देती हैं। एक राय यह है कि शादी की उम्र को कुछ बढ़ा देना चाहिये। २५, २६ साल के लड़कों को और २१ साल की लड़कियों को ही शादी करने की इजाजत देनी चाहिये। दूसरी राय यह है कि उम्र को घटा देना चाहिये। एंन्थनी साहब और कुछ दूसरे सदस्यों ने कहा कि इस उम्र को १५ साल कर देना चाहिए। किसी साहब ने कहा कि इसको १६ साल होना चाहिये। मैं समझती हूं कि जो संशोधन २२७ नम्बर का पंडित ठाकुर दास भार्गव ने दिया है, जिस में वह कहते हैं कि लड़की को १८ साल और लड़के को २१ साल का होना चाहिए, वह बहुत मुनासिब चीज है।

**एक माननीय सदस्य :** कृपालानी जी की राय तो यह नहीं है।

**श्रीमती सुचेता कृपालानी :** इस सम्बन्ध में कृपालानी जी और मेरी एक राय नहीं है।

**श्री एन० सी० चटर्जी :** घर में ही फूट है।

**श्रीमती सुचेता कृपालानी :** जिन सदस्यों ने कहा है कि उम्र बढ़ा देनी चाहिये और उन्होंने जो आर्गूमेंट इस राय के देने में दिया है कि जो लोग शादी करेंगे इस स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक वह शिक्षित लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, वह बहुत थोड़ी उम्र में शादी नहीं करेंगे, वह बिल्कुल ठीक है और मैं समझती हूं कि ज्यादातर लोग ज्यादा उम्र के ही इस एक्ट के मुताबिक शादी करने वाले हैं। हम लोग यहां पर कौन सी उम्र मुकर्रर कर रहे हैं? हम लोग ऊपर की एज मुकर्रर नहीं कर रहे हैं, मिनिमम एज मुकर्रर कर रहे हैं। हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि पहले हमारे मुल्क में छोटी उम्र में शादी करने का रिवाज था। आहिस्ता आहिस्ता हम उस रिवाज को हटाते जा रहे हैं। जिस मुल्क की ट्रेडिशन है कि कम उम्र में शादी करें वहां ज्यादा उम्र शादी के लिए तै नहीं करना चाहिये। सब लोग यह मानते हैं कि एक लड़की का शारीरिक विकास १६ साल में हो जाता है, मगर हम चाहते हैं कि उसका मानसिक विकास भी हो जाए। १८ साल की उम्र में हमारे देश में औरत सम्पूर्ण विकसित समझी जाती है और २१ साल की उम्र में लड़के को सम्पूर्ण विकसित समझा जाता है। इसलिए मैं समझती हूं कि २१ साल की उम्र लड़के के लिए और १८ साल की उम्र लड़की के लिए बहुत ठीक है।

मुझे पंतपांडे जी के भाषण को सुन कर बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने औरतों के वास्ते इतनी हमदर्दी दिखलाई और दिलचस्पी दिखलाई। औरतों के मामले में अगर वह इतनी ही हमदर्दी और दिलचस्पी हर मामले में दिखलाते रहें तो हम लोग जो यहां पर औरत मेम्बर हैं उनको बड़ी खुशी होगी। मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर हम उम्र को १८ और २१ से भी ज्यादा बढ़ा देंगे तो हमें यह डर है कि सामाजिक दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। जब कभी कोई जल्दी से शादी करना चाहे और शादी न कर सके उससे समाज का नैतिक पतन होने का डर है। इस तरह से हमारे समाज की नैतिक हालत नहीं सुधरेगी जो कि हमारा उद्देश्य है। इसलिए मेरा विचार यह है कि मिनिमम एज बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। इससे कोई कठिनाई भी नहीं पड़ेगी, जो लोग चाहें इस एक्ट के बनने के बाद भी ज्यादा उम्र में शादी कर सकते हैं। इसलिए मैं सम्पूर्ण तरीके से पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का समर्थन करती हूं।

**श्रीमती सुषमा सेन** (भागलपुर दक्षिण): मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का समर्थन करती हूं तथा यह उचित तथा ठीक समझती हूं कि वर की आयु २१ तथा वधु की १८ वर्ष हो क्योंकि १८ वर्ष में लड़की पूर्णतः विवाह के योग्य हो जाती है। इसके अलावा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कन्या को अधिक समय तक अविवाहित रखना कठिन होता है। लड़के की आयु २१ वर्ष की इसलिए भी होनी चाहिए कि तब तक लड़के की शिक्षा समाप्त नहीं होगी। इसलिए मैं इस संशोधन का हृदय से समर्थन करती हूं।

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी):** क्या दोनों लिंगों के बीच भेद भाव करने में कोई संवैधानिक कठिनाई नहीं होगी?

**सभापति महोदय:** शान्ति, शान्ति।

**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का पूर्ण समर्थन करती हूं क्योंकि यह सभी जानते हैं कि लड़का जब तक २१ वर्ष का नहीं हो जाता है १८ वर्ष की लड़की के मानसिक स्तर तक नहीं पहुंचता है। साथ ही यह भी मानना होगा कि यह विधेयक नगरीय समाज की केवल एक सीमा का ही स्पर्श करता है। उस समाज में १८ वर्ष की लड़की अपनी देखरेख स्वयं कर लेती है और यदि लड़का २१ वर्ष का हो तो विवाह संस्कार हो सकता है।

दूसरी बात, ऐसे अधिनियम में अभिभावकों की सहमति नितान्त असंगत है, क्योंकि तब तक दोनों वयस्क हो जाएंगे और वे अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। इसलिए मेरे विचार से सहमति वाला खंड नहीं होना चाहिये तथा लड़कों के लिए २१ व लड़की के लिए १८ वर्ष की आयु स्वीकार कर लेनी चाहिये।

**सभापति महोदय:** बहुत से सदस्य खड़े हैं तथा मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मैं यथासम्भव प्रत्येक सदस्य को भाषण देने का अवसर देना चाहता हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस विषय पर केवल इसीलिये ही न बोलें कि यह एक सरल व आकर्षक विषय है अपितु वे तभी बोलें जब कि उन्हें जो कुछ कहा गया हो उसके अलावा भी कुछ कहना हो।

**पंडित डी० एन० तिवारी** (सारन दक्षिण) : सभापति महोदय, शादी के मामले में हम लोग कम से कम उम्र की बात सोच रहे हैं। जितनी बातें शादी के समय होनी चाहिएं, जैसे मानसिक, शारीरिक तथा भौतिक, साथ में आर्थिक भी. उनमें सबसे ज्यादा वर वधू दोनों की उम्र का सवाल महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस पर कुछ ज्यादा समय दिया जाय तो कुछ नाजायज नहीं है।

हम इस बिल पर बहस करते वक्त यह भूल जाते हैं कि यह बिल कोई साधारण बिल नहीं है बल्कि स्पेशल बिल है और इसके सिद्धान्त स्पेशल हैं। इसलिए जो साधारण सिद्धान्त हैं उनसे कुछ अधिक उम्र में ही इस बिल के अनुसार शादी होना बहुत आवश्यक है। आज जो भाई यहां कह रहे हैं कि ऐसी शादी करने वाले लड़कों और लड़कियों के मार्ग में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए वे यह भूल जाते हैं कि वे भी गार्जियन हैं और उनको भी इजाजत देनी है। सब गार्जियन और सब लोग ऐसे नहीं हो सकते जो कि अपने लड़के और लड़की की हां में हां नहीं मिलाएं। कुछ हमारे मोर साहब के तरह के भी होंगे जो उनको अपनी राय दे कर प्रोत्साहित करना चाहेंगे।

दूसरी गलत राय यह दी जा रही है कि सर्व साधारण को इस पद्धति में आकृष्ट करने के लिए यह जरूरी है कि हम इस में उम्र कम रखें। मैं नहीं समझता कि इसमें सर्व साधारण को आकृष्ट करने की क्या जरूरत है। आपने अभी सुना कि यह बिल देहातों को टच करने वाला नहीं है। जैसा कि मिसेज चौधरी ने कहा इस बिल का कोई असर देहातों में नहीं पड़ेगा। शायद हमारे कुछ गांवों को टच करे तो करे लेकिन आम तौर से यह गांवों को टच नहीं करेगा। तो देहात वालों को और जन साधारण को इस बिल में विशेष दिलचस्पी देने के लिये हम क्यों कोशिश करना चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है। मैं नहीं चाहता कि जन साधारण इस पद्धति को अपनाये। कारण इस पद्धति में सबसे जबरदस्त जो खराबी है वह यह है कि शादी करने वाले को इप्सो फैक्टो इस बिल के अनुसार शादी करने पर अपने परिवार से अलग हो जाना होगा।

**सभापति महोदय:** इस मुद्दे पर तो बहुत कहा जा चुका है। कुछ और कहना हो तो कहिए।

**पंडित डी० एन० तिवारी :** इस तरह की शादी के बाद हमको अपने परिवार से इप्सो फैक्टो अलग हो जाना पड़ेगा। अगर आप यह समझते हैं कि १८ या २१ वर्ष का लड़का इस योग्य हो सकता है कि वह अपने परिवार से अलग रह

कर अपनी रोटी कमा सकेगा तो आप यह इजाजत दें दीजिए। शिक्षित लोगों की नौकरियों के लिए दरख्वास्तें आती हैं उनको आप देखिए तो आपको मालूम होगा कि अधिकतर जितने एजुकेटेड लोग हैं वे २१ वर्ष से ऊपर ही रोटी कमाने योग्य हो पाते हैं। और इस तरह की रोटी कमाने वाली लड़कियों की उम्र भी २० या २१ से ऊपर की ही होती हैं। मेरा सुझाव यह है कि जब वह सेल्फ सपोर्टिंग हो जाएं उस वक्त आप उनको यह इजाजत दीजिये कि वे अपने मन से शादी कर लें और उसके बाद अपना जीवन निर्वाह करें। यह नहीं कि आप कम उम्र में उनकी शादी करके उन पर एक भार लाद दें और वह अपनी परवरिश भी न कर सकें। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इसीलिए मेरी राय में यह जरूरी है कि जब गार्जियन की राय लेने की आवश्यकता न हो तो उम्र २१ वर्ष से कम न होनी चाहिए।

हमारे बहुत से भाइयों ने कहा कि दकियानूसी लोग, जो सुधार नहीं चाहते वे ज्यादा उम्र रखाना चाहते हैं। आज हम एक नया नजारा देख रहे हैं। बहुत से रिफार्मर लोग जो बराबर २५ साल से सेंट्रल असेम्बली में और इस सदन में लड़के और लड़की की उम्र बढ़ाने के पक्ष में रहे हैं आज यह चाहते हैं कि उम्र कम कर दी जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि आज उनका रिफार्म कहां गया।

**श्री बी० एस० मूर्त्ति** (एलुरू) : माननीय मंत्री किसी अन्य काम में व्यस्त हैं।

**पंडित डी० एन० तिवारी** : मैं कहना चाहता हूं कि पहले जो लोग उम्र बढ़ाना चाहते थे क्या वे कांसटेंट हैं। उनको यह नहीं कहना चाहिए कि जो लोग उनके साथ समाज सुधार में आगे नहीं बढ़ सकते हैं वे रिएक्शनरी हैं। हम लोग जो बहुत आगे नहीं जाना चाहते हैं उनका विचार है कि जब लड़की और लड़का जवाबदेही लेने के लिए तैयार हो जाएं तब उनकी शादी हो। धार्मिक पद्धति से यह पद्धति अलग है। धार्मिक पद्धति में बिना गार्जियन की राय के शादी नहीं होती है। इसलिए यदि उसका मिलान इससे किया जाय तो गलत होगा। इसलिए मैं यह सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं कि लड़कों की उम्र २१ वर्ष से अधिक होनी चाहिये लेकिन लड़कियों की उम्र जब कंसेंट के साथ न हो तो २१ वर्ष हो और कंसेंट के साथ १८ वर्ष हो।

**श्री डी० डी० पन्त** (जिला अलमोड़ा---उत्तर पूर्व): मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन संविधान के विरुद्ध है। यदि आप लड़की को १८ वर्ष की आयु में विवाह करने देते हैं तब भला लड़के को इस अधिकार से क्यों वंचित रखते हैं?

**विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास)**: मैं माननीय सदस्य का ध्यान अनुच्छेद ६५ के उप-अनुच्छेद (३) की ओर आकर्षित करूंगा जिसमें लिखा है कि "इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाधा न होगी।"

**सभापति महोदय**: मेरे विचार से इसमें कोई संवैधानिक प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

**श्री यू० एम० त्रिवेदी**: अब तक हुई चर्चा से एक बुनियादी बात मालूम हुई है कि यह एक विशेष विवाह विधेयक है तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है।

**श्री बिस्वास**: यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए है।

**श्री यू० एम० त्रिवेदी**: उन्हें दो परस्पर विरोधी प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहियें। उन्होंने १८७२ के विशेष विवाह अधिनियम का उल्लेख किया था जो कि वर्तमान विधेयक के उपबन्धों द्वारा रद्द किया जा रहा है। इसलिए हमें इस सम्बन्ध में सच्ची बात कहनी चाहिए तथा गलत बयान पर इसकी नींव नहीं रखनी चाहिए। इसी उद्देश्य से यह विशेष विवाह विधेयक रखा गया है। इस विधेयक में हम हिन्दू विवाह-विच्छेद तथा विवाह विधेयक के उपबन्धों को अपना रहे हैं। जो लोग इस विशेष विवाह विधेयक के अन्तर्गत विवाह करेंगे उन्हें

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

उन सभी परिणामों का परिपक्व ज्ञान होना चाहिए जो इस विशेष प्रक्रिया को अपनाने से होनी सम्भव हैं। गुजराती में एक कहावत है कि २५ वर्ष की अवस्था तक मनुष्य गदहा पच्चीसी की अवस्था में रहता है। चाहे पुस्तक ज्ञान कितना ही क्यों न हो जाए किन्तु व्यवहारिक मामलों में वह अनजान ही रहता है। विवाह से पूर्व बहुत सी बातें देखनी होती हैं। सबसे पहिले तो उसे यह निश्चय करना होता है कि लड़की मूर्ख अथवा दुर्बल-मन तो नहीं है। बहुत से लोग २५ वर्ष तक यह भेद नहीं जान सकते हैं। उनके मनोवैज्ञानिक पक्ष का इतना विकास नहीं हो पाता कि वह अपने किए हुए कार्यों का परिणाम समझ सकें। तब आप उन पर जो केवल १८ वर्ष के हैं ऐसा दबाव क्यों डालते हैं जिससे कि पीछे उनको कटु परिणामों का सामना करना पड़े क्योंकि इस रीति से विवाह करने से वह अपने उत्तराधिकार से वंचित हो जाते हैं और इसका परिणाम उनको ही नहीं अपितु उनकी सन्तति तक को भुगतना पड़ेगा।

इसलिए मैं श्री चटर्जी के संशोधन का समर्थन करूंगा कि जब तक उभय पक्ष २५ वर्ष के न हों तब तक उन्हें इस विशेष विधि का लाभ उठाने की अनुज्ञा नहीं मिलनी चाहिए।

मैं अब भाग (घ) के सम्बन्ध में दिए गए संशोधनों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं।

**सभापति महोदय:** इस समय हम केवल उपखंड (३) पर विचार कर रहे हैं।

**श्री यू० एम० त्रिवेदी :** जैसा कि मेरे मित्र श्री झुनझुनवाला ने कहा है कि यह विषय किसी सामान के क्रय विक्रय जैसा नहीं है जिसे आज आप लेकर कल यह कह दें कि अब वह वस्तु मुझे पसन्द नहीं है।

दुर्भाग्य से हम में से कुछ सदस्यों का यह विचार है कि जब तक हम पश्चिमी सभ्यता का अन्धाधुंध अनुकरण नहीं करते, हम प्रगतिशील नहीं हो सकते हैं। परन्तु हम में भी बुद्धि है और हम लोग भी कुछ विवेक रखते हैं। इंग्लैण्ड में २१ वर्ष तक एक लड़के को अवयस्क माना जाता है और हम पर अंग्रेजों ने यह लाद दिया कि लड़का और लड़की १८ वर्ष तक अवयस्क माने जाएंगे। परन्तु यह अधिक उपयुक्त होगा यदि वयस्कता आयु २१ वर्ष रख दी जाए। परन्तु जहां तक विवाह का प्रश्न है, इसके लिए आयु को २५ वर्ष रखा जाय। इस विषय में हमें भेड़चाल नहीं चलनी है। विवाह का प्रश्न इतना गम्भीर है कि उसपर कुछ निश्चय करने से पूर्व हमें बहुत कुछ सोचना चाहिये। मतदान अधिकार की आयु हम ने २१ वर्ष रखी है इसलिए विवाह की आयु २५ वर्ष होनी चाहिए।

**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल----रक्षित----अनुसूचित जातियां): श्रीमान्, यह विषय बड़ा विवादास्पद है। पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन में कुछ उत्तमता है, परन्तु मेरा विचार है कि श्री वेंकटरामन का संशोधन पूर्ण रूप से समीचीन है।

**सभापति महोदय:** संशोधन की संख्या क्या है?

**श्री वेंकटरामन** (तंजोर): अभिभावक सम्बन्धी संशोधन की संख्या २६१ और आयु सम्बन्धी संशोधन की संख्या २६५ है।

**श्री बर्मन :** जब दोनों पक्ष १८ वर्ष की आयु पूरी कर लें, तब २१ वर्ष की आयु तक जैसा कि अगले खण्ड में उपबन्ध है, "अभिभावक की सहमति लेना आवश्यक होगा।"

इस खंड में दोनों बातें हैं। पहली तो यह कि लड़के तथा लड़की की आयु १८ वर्ष रखी गई है। परन्तु यह विवाद तब उठा जब राज्य सभा ने इसमें परिवर्तन किया। हमें आयु सम्बन्धी दोनों सुझावों पर विचार करना है।

यह ठीक है कि विधि के अनुसार एक लड़की १८ वर्ष के बाद वयस्क मानी जाएगी, परन्तु बहुत सी लड़कियां इस आयु से पहले ही तरुण हो जाती हैं। साधारण विधियों के अनुसार उनके विवाह की आयु १८ से कम ही निश्चित है।

अतः हम यह नहीं कह सकते कि प्रत्येक लड़का या लड़की निर्धारित आयु पर ही तरुण होगा, और न हमें इस सम्बन्ध में कोई कठोर नियम बनाने चाहिएं। हमें चाहिए कि हम कुछ न्यूनतम आयु निर्धारित करें। मेरे विचार में इस अधिनियम के अधीन १८ वर्ष से कम आयु के लड़के या लड़की को विवाह की आज्ञा न दी जाय।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि लड़का २१ वर्ष की आयु तक अच्छी तरह तरुण नहीं होता है। इसके लिए एक संरक्षण रख दिया जाए कि २१ वर्ष से कम आयु होने पर दोनों पक्षों को अपने माता पिता की सहमति लेना आवश्यक है। यह कार्य तो माता पिता का है कि वह सहमति देने से पूर्व अपने पुत्र अथवा पुत्री के कल्याण का अच्छी तरह से विचार करें।

अब प्रश्न रह जाता है अनाथों का। प्रत्येक अनाथ के लिए जिम्मेदारी लेना तो बहुत कठिन है, परन्तु उन्हें भी १८ वर्ष की आयु के पश्चात विवाह करने की आज्ञा दी जाय, क्योंकि दुनियां में उनका कोई भी नहीं होता है। उन्हें अपने काम के लिए स्वयं जिम्मेदार रहने दिया जाए।

श्री एंथनी ने कहा था कि सह-शिक्षा के प्रसार से लड़के और लड़कियों में अधिक सम्बन्ध स्थापित होंगे। यदि किसी लड़की के गर्भ रह जाने पर सन्तान हो जाय, और वह लड़की किसी अन्य जाति से सम्बन्ध रखती हो, तो उसे २१ वर्ष से पूर्व, इस अधिनियम के अधीन विवाह करने का अधिकार नहीं होगा। अतः वह सन्तान अवैध मानी जायगी। इस गम्भीर विषय पर भी सभा को अवश्य ही विचार करना चाहिये।

इन सब बातों पर विचार करते हुए मैं श्री वेंकटरामन के संशोधन का समर्थन करता हूं।

**सभापति महोदय:** श्री डी० सी० शर्मा, मेरे विचार में, आप ही अन्तिम वक्ता हैं।

**श्री डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर): इस सभा में इस खंड के बारे में एक महिला अपने पति से विपरीत मत रखती है अतः मुझे भी अधिकार है कि माननीय विधि मंत्री से मैं भी विरुद्ध मत रख सकूं।

**सभापति महोदय:** माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि इस विषय पर पर्याप्त विचार हो चुका है इसलिए केवल २-३ मिनट के समय में ही अपना भाषण समाप्त करें। कही हुई बातों को दोबारा कहने से कोई लाभ नहीं है।

**श्री डी० सी० शर्मा:** मैं ने देखा है कि बहुत से सदस्य लड़के और लड़कियों की आयु को बहुत कम रखवाना चाहते हैं और संरक्षण के रूप में माता पिता की सहमति का उपबन्ध करना चाहते हैं। परन्तु मैं कहता हूं कि सहमति का उपबन्ध पूर्ण रूप से निकाल ही दिया जाना चाहिये।

**सभापति महोदय:** हम इस समय खंड ४ उपखंड (ग) पर विचार कर रहे हैं, कि लड़के और लड़की की क्या आयु रखी जाय।

**श्री डी० सी० शर्मा:** इसी के सम्बन्ध में मैं इस प्रकार तर्क उपस्थित करना चाहता हूं कि माता पिता की सहमति कम आयु के लिए कोई संरक्षण नहीं है, क्योंकि लड़का या लड़की माता पिता पर दबाव डाल कर सहमति प्राप्त कर ही सकते हैं। यदि लड़का और लड़की की विवाह करने की इच्छा ही हो तो माता पिता के लिए उनका विरोध करना बड़ा कठिन होगा। इसलिए इस सहमति के उपबन्ध को हटा दिया जाए। लड़के और लड़की को अपनी इच्छानुसार विवाह करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये।

हमें अपने पूर्व अनुभव से भी लाभ उठाना चाहिये। पिछले कई वर्षों से इस प्रकार का अधिनियम हमारे यहां है और इसके अधीन बहुत से विवाह भी सम्पन्न हो चुके हैं। आप तनिक जांच करें कि ये विवाह किस आयु में किए गए थे। जांच करने के बाद आप इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि बहुत ही थोड़े लोग ऐसे थे जिन्होंने उस समय विवाह किया जब लड़के की आयु २१ वर्ष और लड़की की आयु १८ वर्ष थी।

[श्री डी० सी० शर्मा]

जहां तक इस खंड का सम्बन्ध है, मैं इस पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करने के लिए कहूंगा। मेरे विचार में सभ्यता की यह एक कसौटी है कि विवाह के विषय में लड़के और लड़कियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिये। मानव विज्ञान-वेत्ता आपको बता सकते हैं कि सदैव से मानव का यह स्वभाव रहा है कि विवाह योग्य आयु को बढ़ाया जाए।

मैं हिन्दुओं की एक सुधारक संस्था से सम्बन्धित रहा हूं और उसके बहुत से महानुभाव तथा अनुभवी व्यक्ति आज तक यही कहते आए हैं कि एक लड़के को २५ और लड़की को २१ वर्ष से पहले विवाह योग्य नहीं समझा जा सकता है। बहुत से धार्मिक सुधारकों का भी यही मत है। मेरा विचार है कि उनके मत में बहुत बुद्धिमत्ता है, बहुत अच्छाई है और बहुत लाभ है। विवाह उस आयु में होना चाहिए जब एक युवक अपनी गृहस्थी का भार उठाने योग्य हो जाय। मेरे विचार के अनुसार लड़के की आयु २५ वर्ष और लड़की की आयु २१ वर्ष के लिए कहना कोई प्रतिक्रियात्मक तर्क नहीं है परन्तु यह तो सुधार के लिए है।

मैं मनोविज्ञान के सम्बन्ध में कह रहा था। आप में जिन्होंने प्रेसिडेंट विल्सन की जीवनी पढ़ी है वह जानते होंगे कि जब वह विधुर हो गए और उनकी इच्छा दुबारा विवाह करने की हुई, तो वह एक स्त्री से मिले और थोड़े समय के पश्चात उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव किया। स्त्री ने कहा, "हम एक दूसरे को पर्याप्त समय से नहीं जानते हैं अतः अब हम कैसे विवाह कर सकते हैं।" हम भी इसी प्रकार अधपके प्रेम को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं। एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक है। यदि आयु कम रखी जाती है तो यह नहीं हो सकता है।

एक मित्र ने मुझ से मेरे अध्यापक होने के नाते मेरे अनुभव के बारे में पूछा है। मेरा अनुभव यह है कि यदि आप विवाह की आयु कम कर देंगे, तो हमारी शिक्षा संस्थाएं उस प्रकार के वातावरण में काम नहीं कर सकेंगी, जिसमें कि उन्हें करना चाहिये। मैं ने लड़के और लड़कियों की सह-कक्षाओं को पढ़ाया है और मैंने न्यायाधीश लिंडसे की पुस्तकें भी पढ़ी हैं। यदि आप लड़की की आयु २१ वर्ष और लड़के की आयु २५ वर्ष नहीं करेंगे तो आप अपरिपक्व प्रेम को प्रोत्साहन देंगे। प्रेम कोई उष्ण गृह का पौधा नहीं है जो शीघ्र ही बड़ा हो जाता है; परन्तु यह तो एक ऐसी वस्तु है जिसे पकने में बड़ी देर लगती है।

माननीय विधि मंत्री ने कहा है कि यह एक सुधारक विधि है। मैं इसे मानता हूं, परन्तु यदि इसे पूर्ण रूप से सुधारक विधि का रूप देना है तो इसपर पूर्णतया विचार भी किया जाए। इसे केवल एक मिश्रित विधि न बनाया जाए जिसमें आधी प्राचीनता हो और आधी नवीनता।

**आचार्य कृपालानी** (भागलपुर व पूर्निया) : मिश्रित अर्थ-व्यवस्था।

**श्री डी० सी० शर्मा :** उद्योगों में ऐसी मिली जुली अर्थ-व्यवस्था को अपनाया जा सकता है परन्तु विवाहों के सम्बन्ध में यह नहीं चल सकता है। मैं यही कहूंगा कि अनुभव तथा अन्य विज्ञान सभी यह बताते हैं कि विवाह के लिए लड़के की आयु २५ वर्ष और लड़की की आयु २१ वर्ष होनी चाहिए। मेरे विचार में आज के युग में माता पिता की सहमति आवश्यक नहीं है।

**श्री ए० पी० सिन्हा** (मुजफ्फरपुर---पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"अब इस पर मत लिया जाय।"

**सभापति महोदय :** प्रस्ताव यह है :

"अब इस पर मत लिया जाय"

मेरे विचार में इस खण्ड पर पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है। अब मैं प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखूंगा। इसका अर्थ यह है

कि मैं पहले क्रमशः संशोधनों को रखूंगा और उनके बाद यह खंड पारित हो जायगा। सारा खंड सभा के समक्ष नहीं रखा जायगा।

प्रश्न यह है:

"अब इस पर मत लिया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६०, सभा के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**सभापति महोदय**: अब हम संख्या ६१ को लेंगे।

**श्री बिस्वास**: श्रीमान, मेरा विचार था कि वाद-विवाद की समाप्ति पर मुझे उत्तर देने का अवसर दिया जाएगा।

**सभापति महोदय**: अवश्य ही। वैसे तो मैं आपको अवश्य ही बुलाता, परन्तु आपने कहा था कि इस विषय को आपने सभा पर छोड़ दिया है, जिससे मैं समझा था कि सम्भवतः आप बोलना नहीं चाहते थे।

**श्री बिस्वास**: मैं केवल विषय को सरल करना चाहता था।

**श्री वी० जी० देशपांडे**: इस संशोधन के बारे में क्या रहा?

**सभापति महोदय**: मेरे विचार में यह रहेगा। इसी प्रकार के अन्य कई संशोधन हैं।

**श्री बिस्वास**: मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं विषय को और भी सरल रूप में रखूंगा जिससे कि माननीय सदस्य समझ जाएं कि मामला कहां और किस स्थिति में है। उदाहरण के लिए, मैंने एक सूची बनाई है जिसमें यह दिखाया गया है कि एक ही प्रकार के संशोधन कौन-कौन से हैं। यदि मैं जानकारी दूं, तो वह सभा के लिए लाभदायक होगी। मैंने संशोधनों को कई वर्गों में विभक्त किया है। एक वर्ग चाहता है २१ वर्ष और दोनों की आयु में १५ वर्ष से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। यह संशोधन संख्या ६० है। दूसरे संशोधन वे हैं जिन में पुरुष के लिए २१ और स्त्री के लिए १८ वर्ष का सुझाव दिया गया है; ये हैं संशोधन संख्या ६१, १०६, २२७, १११ और ३० जो संशोधन अठारह वर्ष का सुझाव देते हैं वे हैं १०८, ११०, १८२, ६२ और २६८ (सूची संख्या ७ में, आप इसे द्वितीय संचित सूची में पाएंगे)। संशोधन संख्या ११२, संशोधन संख्या ६२ में ही सम्मिलित है, पृथक नहीं है।

कुछ संशोधन ऐसे हैं, जो यह कहते हैं कि दोनों के लिए आयु १८ वर्ष होनी चाहिए, किन्तु केवल पुरुष को, यदि वह २१ वर्ष से कम हो, सहमति प्राप्त करनी चाहिए; यह संशोधन संख्या १०८ है। संशोधन संख्या ११०, अठारह वर्ष की आयु चाहता है, किन्तु वह उस अवस्था में सहमति आवश्यक समझता है जब कि दोनों की आयु २१ वर्ष से कम हो। संशोधन संख्या १८२, संशोधन संख्या १०८ के समान है---जिसके अनुसार यदि पुरुष २१ वर्ष से कम है तो उसे सहमति प्राप्त करनी होगी। संशोधन संख्या २६८---अठारह वर्ष, किन्तु सहमति के साथ।

**सभापति महोदय**: कुछ ऐसे संशोधनों का उल्लेख किया गया है जो प्रस्तुत नहीं हुए हैं। केवल संशोधन संख्या ६०, ६१, १०८, १०६, १८२ और २२६ प्रस्तुत हुए हैं। **(अन्तर्बाधा)**

**श्री बिस्वास**: मैं समझता था कि सूची के सभी संशोधन प्रस्तुत हो चुके हैं। मैंने सूची में दिए गए संशोधनों को लिया है। मैं ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि वास्तव में कौन से संशोधन प्रस्तुत हैं।

इसके अतिरिक्त, आयु में अन्तर सम्बन्धी कुछ विशेष संशोधन हैं। संशोधन संख्या ६० में कहा गया है कि अन्तर पन्द्रह वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। यही बात संशोधन संख्या २६४ और ३४१ में है कि अन्तर पन्द्रह वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

दूसरी आयु सीमाओं का सुझाव भी दिया गया है। उदाहरणार्थ, श्री फ्रैंक एंथनी के संशोधन संख्या २२६ के अनुसार पुरुष के लिए आयु १८ वर्ष, २१ वर्ष नहीं, तथा स्त्री के लिये १५ वर्ष १८ वर्ष नहीं, अर्थात, सहमति के बिना होनी चाहिए। यदि आयु २१ वर्ष से अधिक है, तो कोई सहमति नहीं चाहिये, किन्तु यदि आयु

[श्री बिस्वास]

कम हैं, तो पिता, या अभिभावक या माता की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। संशोधन संख्या ३४१ भी दोनों की आयु के बीच पन्द्रह वर्ष के अन्तर का सुझाव देता है। संशोधन संख्या, ३४१ प्रस्तुत नहीं हुआ है। श्री साधन गुप्त ने भी अपना संशोधन संख्या ४२४ प्रस्तुत नहीं किया है, अतः मैं उसे नहीं लूंगा।

**श्री एन० सी० चटर्जी:** मैं आयु सीमा को बढ़ाना चाहता था। संशोधन संख्या १८३।

**श्री बिस्वास:** अब दूसरी श्रेणी के संशोधनों को लीजिए। संशोधन संख्या २२८ के अनुसार पुरुष की आयु २४ और स्त्री की आयु २१ वर्ष होनी चाहिए। किन्तु यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है।

श्री चटर्जी ने अपने संशोधन संख्या १८३ में २५ वर्ष की आयु का सुझाव रखा है। संशोधन संख्या ४२३ में पुरुष के लिए २५ और स्त्री के लिए २१ वर्ष का सुझाव दिया गया है, किन्तु यह प्रस्तुत नहीं हुआ है।

जैसा कि आपने कहा है हम विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने के इस प्रश्न पर साढ़े पांच घंटे से चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न जो उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या कोई न्यूनतम आयु निश्चित की ही जानी चाहिये, और यदि हो, तो क्या यह विधान द्वारा निश्चित की जाए, अथवा प्रत्येक मामले में दोनों पक्षों के विवेक पर छोड़ दिया जाए---यह दूसरा प्रश्न है। यदि विधान द्वारा निर्धारित की जाए तो क्या यह निर्देशीय होनी चाहिये अथवा नियोगीय होनी चाहिए---यह तीसरा प्रश्न है।

पहले प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या न्यूनतम आयु नियत होनी ही चाहिए, जहां तक विशेष विवाह विधेयक का सम्बन्ध है, इसमें सन १८७२ से न्यूनतम आयु नियत की गई है। लगभग ८० या ८२ वर्ष से यह नियम इस अधिनियम में है, और यह बिल्कुल ठीक रूप से कार्य कर रहा है। कुछ माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि विशेष विवाह अधिनियम के अधीन वास्तव में किस आयु में विवाह किए जाते हैं। दुर्भाग्यवश, यह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसका एकमात्र कारण यह है कि उस अधिनियम के अनुसार जो घोषणा करनी पड़ती थी, उसमें केवल यह उपबन्धित था कि वर और वधु दोनों को अनिवार्य रूप से यह कहना होगा कि उन दोनों ने अपने अपने लिए नियत की गई आयु पूरी कर ली है। वधु के लिए आयु कम थी और वर के लिए कुछ अधिक थी। वर को कहना पड़ता था कि "मैंने अपनी अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है," जब कि वधु को कहना पड़ता था कि "मैंने अपनी चौदह वर्ष की आयु पूरी कर ली है।" वास्तव में होता क्या है कि उनको वास्तविक आयु बताने की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए हमारे पास यह दर्शाने वाले आंकड़े नहीं हैं कि क्या विवाह चौदह वर्ष की आयु में हुआ था, जो वधु के लिए न्यूनतम आयु नियत की गई थी, या अधिक आयु में हुआ था, और क्या वर ने न्यूनतम नियत अठारह वर्ष की आयु में विवाह किया या अधिक आयु में। हमारे पास ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिये? इस विषय पर मतभेद होना स्वाभाविक है, जो कि सभा में हुई चर्चा से स्पष्ट हो जाता है। जो दृष्टिकोण आप समस्त मामले के प्रति रखते हैं यह आपकी विवाह सम्बन्धी धारणा, तथा इस प्रश्न सम्बन्धी निर्णय पर पहुंचने के लिए आपका मार्ग-दर्शन करने वाले बुनियादी विचारों पर निर्भर है। जैसा कि मित्रवर डा० जयसूर्य ने कहा है, इसके बहुत से पहलू हैं, एक जीव विज्ञानीय पहलू है, एक सामाजिक पहलू है तथा अन्य पहलू भी हैं।

**श्री एन० सी० चटर्जी:** आपने भावुकता को भी जोड़ दिया है।

**श्री बिस्वास:** यह आपके उस दृष्टिकोण पर निर्भर है जिससे आप इस पर विचार करते हैं।

उदाहरण के लिये, हिन्दू-विधि को लीजिए पुरातन हिन्दू-विधि ने न्यूनतम आयु बिल्कुल नियत नहीं की थी, उसने केवल अधिकतम

आयु नियत की थी। लड़की के रजस्वला होने से पहले उसका विवाह हो जाना चाहिये, और यदि उसके रजस्वला होने के पश्चात भी उसका पिता उसका विवाह न करे, तो उसे अपने पिता की सहमति या आज्ञा के बिना स्वयं विवाह करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए न्यूनतम आयु नियत नहीं की गई है, और यदि पिता अपनी पुत्री का विवाह नौ या दस वर्ष की आयु में कर देता था तो इसे अत्यन्त श्लाघनीय कृत्य माना जाता था। इसके पीछे क्या था? यह ऐसी बात नहीं है जिसे हम केवल प्राचीन होने के कारण छोड़ सकते हैं। इसके पीछे बड़ी दलील थी। उन दिनों में विवाह के सम्बन्ध में क्या धारणा थी? नौ या दस वर्ष की आयु में किया गया विवाह उन अर्थों में जिनमें हम आज कल समझते हैं, विवाह नहीं था। वास्तव में, विवाह का अर्थ था कि यह मिलाप स्थाई होना चाहिए और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय यही था कि लड़की का परिवार में उस आयु से पालन पोषण किया जाए, जब वह अबोध अवस्था में अपने आपको उसी परिवार का अंग या उस परिवार का सदस्य अनुभव करने लगे, और यह समझने लगे कि जैसे वह उस परिवार में ही उत्पन्न हुई है। इसके पीछे यह विचार था। वर और वधु के बीच इस प्रकार का घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने के लिए, यह उपाय अपनाया गया था। यदि आप इसे इन शब्दों में रखना चाहें तो यह एक प्रकार से कलम लगाना था। यदि आप एक वृक्ष की कलम को दूसरे वृक्ष में लगाना चाहें, तो आप पुरानी शाख को नहीं लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि कलम सदा ताजी सामग्री के साथ लगाई जाती है। इसलिए जितनी छोटी अवस्था में आप लड़की का विवाह कर देंगे और उसे वर के परिवार में भेज देंगे, उतना ही उत्तम होगा। यद्यपि विवाह नौ वर्ष की अवस्था में होता था, परन्तु वर और वधु लड़की के रजस्वला होने से पहले उन अर्थों में इकट्ठे नहीं होते थे, जिन अर्थों में विवाह करने वाले वर और वधु आज होते हैं, और उसके बाद भी रजस्वला होने के तीन वर्ष पश्चात तक वे संभोग सम्बन्ध स्थापित नहीं करते थे। इन विभिन्न स्थितियों को दर्शाने के लिए वास्तव में संस्कार किए जाते थे। अतः उस समय जब कि लड़की प्रसूति के लिए पर्याप्त वयस्क होती थी, वह काफी बड़ी हो जाती थी और वर भी उस समय तक काफी बड़ा हो जाता था। दिलचस्प जानकारी के निमित्त, जो मैंने कुछ दिन हुए तर्कागत की थी, मैं कहना चाहता हूं.....

**श्री बी० एस० मूर्ति:** क्या माननीय विधि मंत्री को ज्ञात है कि उन विवाहों में लड़की का यद्यपि नौ वर्ष की आयु में विवाह हो जाता था, परन्तु उसे अपने ससुर के परिवार में नहीं लाया जाता था, जब कि उसने तीन या चार बच्चे प्रसव न कर दिए हों?

**श्री बिस्वास:** मैं यही बात तो कह रहा हूं यद्यपि तब औपचारिक विवाह हो जाता था, किन्तु उसे कुछ समय बीतने तक घर नहीं लाया जाता था। विवाह के शीघ्र ही पश्चात वर और वधु का मिलाप नहीं होता था। यही तो बात है। **(अन्तर्बाधा)**

आचार्य कृपालानी ने विवाह के लिए पैंतीस वर्ष की आयु का सुझाव रखा है। हम में से कुछ इस बात को उपहास में उड़ा देना चाहते थे, और उसके विपरीत श्रीमती सुचेता कृपालानी का सर्वोत्तम साक्षी के रूप में उल्लेख कर रहे थे। वास्तव में, जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था, मैंने देखा कि हमारे शास्त्रों के अनुसार, पुरुष के लिए वास्तव में कुछ ऐसी ही आयु नियत की गई थी। यह भी कहा गया था कि सन्तति शास्त्र को यहां की अपेक्षा और कहीं भी इतने ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं किया जाता था। वह मनु और याज्ञवल्क्य पर श्री जायसवाल की पुस्तक है। मैं समस्त परिच्छेद को पढ़े देता हूं, वह इस प्रकार है।

> "वर्तमान आंकड़ों ने दर्शाया है कि युवक बुरी संतान अधिक से अधिक और अच्छी संतान कम से कम पैदा करता है, परन्तु युवती अच्छी सन्तान अधिक से अधिक और बुरी सन्तान कम से कम

[श्री बिस्वास]

> उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार पति पत्नी की आयु के बीच अन्तर की व्यवस्था करने पर, जब पुरुष पूर्णतया वयस्क हो जाए और स्त्री यौवन प्राप्त कर ले, तब वे न्यूनतम संख्या में बदमाश नागरिक पैदा करते हैं। मनु-संहिता में पुरुष के लिए विवाह की आयु ३० वर्ष और लड़की के लिए बारह वर्ष नियत की गई हैं, अर्थात मातृत्व के समय लड़की सत्रह या अठारह वर्ष की हो जाएगी और पुरुष पैंतीस वर्ष का हो जाएगा।"

प्रसंगवश मैं कह सकता हूं कि इस पैंतीस वर्ष की आयु का आचार्य कृपालानी ने उल्लेख किया हैं।

श्री जायसवाल ने आगे कहा हैं:

> "अन्य आयु सीमाएं इस प्रकार रखी गई हैं कि पुरुष बत्तीस वर्ष की आयु से पूर्व पिता न बन सके। इसका प्रमाण हैं कि कौटिल्य ने जनसंख्या सम्बन्धी नीति के कारण लड़की की आयु को कम किया था।"

अतः आप देखते हैं कि आज सभा में जो कुछ सुझाव दिये गये हैं, उनके पक्ष में हमारे प्राचीन शास्त्रों में प्रमाण पाए जाते हैं।

**श्री एस० एस० मोरे:** वे प्राचीन प्रमाणों के आधार पर खड़े हैं। उनमें और कुछ नहीं हैं।

**श्री बिस्वास :** उन दिनों में वास्तव में इसी रीति का पालन किया जाता था।

**श्री एस० एस० मोरे:** किन्तु सामाजिक परिस्थितियां सर्वथा भिन्न थीं।

**श्री बिस्वास:** निश्चय ही। मैं यह नहीं कहता कि सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं आया हैं, किन्तु मैं कह रहा हूं कि ....

**श्री जी० पी० सिन्हा** (पालामऊ व हजारीबाग व रांची): क्या माननीय विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में वर्तमान पुरुष की औसत आयु क्या हैं?

**श्री एस० एस० मोरे:** छब्बीस वर्ष।

**श्री बिस्वास:** मुझे खेद हैं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

मैं यह कह रहा हूं विवाह की उचित अवस्था के बारे में, उन विभिन्न विचारों के अनुसार जो आप करते हैं, मतों में विभिन्नता होगी। जब कि आप तीस, पैंतीस बारह या सोलह, आदि की अवस्था का समर्थन कर सकते हैं, तो आप अन्य अवस्था-सीमाओं का भी समर्थन कर सकते हैं। मैं केवल इसलिए यह संकेत कर रहा था, क्योंकि मुझे यह बात इतनी रुचिकर लगी कि मैंने सोचा कि मैं इसे आपके समक्ष रखूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप इसका पालन करें या कि आजकल सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम उन सारी बातों को जो हमें पूर्व काल में मिलती हैं अंगीकार कर सकते हैं तथा उन्हें समयानुकूल बना सकते हैं।

यदि विवाह का उद्देश्य स्वस्थ सन्तति उत्पन्न करना हैं, तो निश्चय ही व्यक्ति अवस्था की एक सीमा निर्धारित करेंगा। यदि, दूसरी ओर अन्य कसौटी लगाई जाती हैं, अर्थात, कि उनकी अवस्था इतनी हो कि वे अपने उत्तरदायित्वों तथा उस स्थिति को, जिसे वे अपनाने जा रहे हैं, समझते हों और इसलिए उनकी अवस्था इतनी अवश्य हो कि वे विवाह का अर्थ, उसकी सन्निहित बातों, आदि को पूर्णतया जानते हों, तो आपको अवश्य ही एक विशिष्ट अवस्था निर्धारित करनी चाहिये। यदि कोई तीसरी कसौटी अपनाई जाती हैं, कि अवस्था प्रचलित सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाय, जिसका श्री फ्रैंक एंथनी ने उल्लेख किया था, तो आपको और अवस्था निर्धारित करनी होगी।

परिस्थिति की वास्तविकता की दृष्टि से, आप देखते हैं कि लड़के तथा लड़कियां बहुत

थोड़ी आयु में एक दूसरे के सम्पर्क में आ जाते हैं। क्या यह ठीक है कि उन्हें कुछ अपरिपक्व सी अवस्था में एक दूसरे के सम्पर्क में आने दिया जाए, और इसके साथ ही साथ हम परिणामों के लिए तैयार न हों ? अतः सर्वश्रेष्ठ बात यह होगी कि ऐसी अवस्था निर्धारित की जाय कि आप अवांछनीय परिणामों को दूर कर सकें, और इसके साथ ही साथ उन व्यक्तियों का सुख भी सुनिश्चित हो सके जो विवाह करना चाहें। किसी भी विशेष विचार के पक्ष या विपक्ष में हर प्रकार के तर्क किए जा सकते हैं। हमें इस मामले की दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रख कर जांच करनी है। पहिली बात यह है कि एक विशेष विवाह विधि है जो कि धर्मों के भेद भाव के बिना सब पर लागू होगी। दूसरी बात यह है कि यदि किसी विधि में न्यूनतम आयु नियत करने की आवश्यकता है, तो यह इस विधि में होनी चाहिये। मैं हिन्दुओं की व्यक्तिगत विधि के बारे में आपको बता चुका हूं। मुसलमानों की भी व्यक्तिगत विधि है। वहां आप देखते हैं कि पुरुष व स्त्री दोनों के लिए विवाह की आयु, यौवन-प्राप्ति की आयु निर्धारित है। विवाह की आयु, वयस्कता की अवस्था से कभी भी सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए। भारतीय वयस्कता अधिनियम से विवाह, मदर, गोद लेना तथा इसी प्रकार की अन्य बातें स्पष्ट रूप से हटा दी गई हैं। अतः भारत में इन मामलों में लोगों को अधिकार है कि वे विवाह, गोद लेने, मदर आदि के लिए स्वयं अवस्था निर्धारित करें।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव:** शारदा अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवस्था निर्धारित करता है।

**श्री बिस्वास:** मैं स्वयं ही इसका उल्लेख करने जा रहा था कि निश्चय ही यह अधिकार विधान की मर्यादा के अन्तर्गत सभी को प्राप्त है। भारतीय वयस्कता अधिनियम के अधीन ये बातें उस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से छोड़ दी गई थीं। जहां तक विधान का सम्बन्ध है, एक बाल विवाह निरोध अधिनियम है---जो शारदा अधिनियम कहलाता है। ठीक है कि उस में अवस्था १८ और १४ है, और बाद में दूसरी का संशोधन करके पन्द्रह कर दी गई थी। परन्तु उसकी मर्यादाओं को छोड़कर पक्षों पर उनकी व्यक्तिगत विधि लागू होने दी थी। हिन्दुओं में, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि कोई न्यूनतम अवस्था निर्धारित न थी, परन्तु उच्चतम अवस्था निर्धारित थी। मुसलमानों में, लड़के तथा लड़की दोनों के लिए विवाह की अवस्था यौवन-प्राप्ति की अवस्था निर्धारित है।

**श्री बोगावत** (अहमदनगर---दक्षिण): क्या वहां कोई आयु-सीमा नहीं है ?

**श्री बिस्वास:** केवल यौवन-प्राप्ति, और कोई निश्चित आयु नहीं।

त्रावनकोर में एक अधिनियम है और वहां पुरुष की अवस्था इक्कीस तथा स्त्री की अठारह है। यदि स्त्री की अवस्था इक्कीस से कम है तो उसके मामले में अनुमति लेनी होती है। बम्बई में, १९४६ के द्विपत्नीत्व-निरोध अधिनियम के अधीन, सोलह वर्ष से कम अवस्था के लड़के तथा लड़की को अवयस्क माना जाता है, और केवल उसी समय, जब कि वे अवयस्क न हों, विवाह कर सकेंगे, अर्थात, उस स्थिति में न्यूनतम अवस्था सोलह होगी। मद्रास में यदि कोई अठारह वर्ष की अवस्था से पहिले विवाह करता है तो मद्रास अधिनियम जुर्माना करता है; अतः वहां न्यूनतम अवस्था अठारह वर्ष है भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के अधीन, जिसका श्री एंथनी ने उल्लेख किया था, पुरुष सोलह और स्त्री तेरह वर्ष से अधिक अवस्था की होनी चाहिए। ईसाई विवाह अधिनियम में, सहमति की आयु का कोई उपबन्ध नहीं है। परन्तु यह विवाह के समय इंग्लैण्ड की विधि के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। इंगलैण्ड की विधि में एक परिवर्तन हो गया है। इस मामले में धार्मिक-विधि का पालन करते हुए अंग्रेजी विधि में आरम्भ में विवाह के लिए लड़के की अवस्था चौदह और लड़की की अवस्था बारह निर्धारित की थी। पिछले अधिनियम में, १९४९ के अंग्रेजी विवाह अधिनियम में, दोनों के लिए

[श्री बिस्वास]

अवस्था सोलह कर दी गई हैं। अंग्रेजी विधि में जहां कोई भी व्यक्ति अवयस्क हो, माता पिता या संरक्षक की अनुमति की आवश्यकता होती हैं।

**श्री एस० एस० मोरे :** यदि निष्कारण अनुमति रोक ली जाती हैं, तो न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती हैं।

**श्री बिस्वास :** यह नये अधिनियम के अनुसार होता हैं। परन्तु जहां तक प्राचीन विधि के अधीन मामलों का सम्बन्ध हैं, मैं देखता हूं कि अनुमति की आवश्यकता केवल निर्देश मानी गई हैं और अनुमति का न देना प्रायः विवाह की उद्घोषणा को रद्द नहीं करता हैं।

११ म० पू०

**श्री एन० सी० चटर्जी :** शारदा अधिनियम में भी ऐसा हैं।

**श्री बिस्वास :** यह विवाह को अमान्य नहीं करता हैं। शारदा अधिनियम जुर्माना करता हैं।

अनुमति के इस प्रश्न पर यह पूछा जा सकता हैं कि "अनुमति क्यों ली जाय?" वास्तव में मेरा ख्याल हैं कि मेरे मित्र डा० जयसूर्य ने कहा था कि विवाह करने में विवाह करने वालों की सुख शान्ति के लिए यथासम्भव कम बाधाएं हों। इस सम्बन्ध में, मैं सर विलियम जोनस के एक बहुत रुचिकर उद्धरण का उल्लेख कर सकता हूं। वास्तव में वह विवाह में संरक्षता की हिन्दू विधि का उल्लेख कर रहा था। उन्होंने कहा :

> "परिश्रमी जीवन की चिन्ताओं से मुक्ति प्राप्त करने में बहुत सहायक होने वाले प्रेम पर और समाज की शान्ति व सुव्यवस्था में बहुत वृद्धि करने वाले विवाह पर अनावश्यक बन्धन लादना अति अधिक कुत्सित हैं।"

इसके साथ ही वह कहते हैं :

> "इतने पर भी अथेन्स में, जो कलाओं, विधि, मानवता, ज्ञान तथा धर्म की जन्मभूमि माना जाता हैं, लड़की का विवाह उसके प्रेमी से विधिपूर्वक उस समय तक नहीं हो सकता जबतक कि उसका नियंत्रक, जो कि उसका पिता या बाबा या भाई या उसका संरक्षक हो सकता हैं, अनुमति न दे दे।"

अतः संरक्षक की आवश्यकता को यूनान में भी इतने पहले मान्यता दी गई थी।

**पंडित के० सी० शर्मा** (जिला मेरठ---दक्षिण): अब स्त्री की अवस्था काफी हो गई हैं। उसे नियंत्रक की आवश्यकता नहीं हैं।

**श्री बिस्वास :** यदि न्यूनतम अवस्था निर्धारित हो जाती हैं---चाहे अवस्था कुछ भी हो---और तब भी यदि व्यक्ति, यद्यपि उस आवश्यकता की पूर्ति करता हो, किसी अवस्था-विशेष से कम का हो, तो आपको अनुमति लेनी चाहिये। इससे आपत्ति का समाधान हो जाता हैं।

विवाह की अवस्था के लिए जिन विचारों का सुझाव दिया गया था उनमें से एक यह हैं कि आपकी अवस्था इतनी हो कि आप कार्य के उत्तरदायित्वों को समझ सकें। यदि आप समझते हैं कि अठारह---या जो आप निर्धारित करें---इसके लिए बहुत कम हैं, तो संरक्षक को उपस्थित कीजिये जो विवाह करने वालों को परामर्श देगा, और उन्हें संरक्षक के परामर्श से कार्य करना चाहिए। केवल इसी उद्देश्य के लिए अनुमति की आवश्यकता हैं। अन्यथा, यदि आप समझते हैं कि अठारह वर्ष की अवस्था ऐसी अवस्था हैं जब कि पुरुष या स्त्री समझता या समझती हैं कि वह क्या कर रहा या कर रही हैं, तो निश्चय ही अनुमति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता हैं। यह अन्य कार्यों के लिए वयस्कता-अवस्था निर्धारित करने का, जैसा भारतीय वयस्कता अधिनियम में किया गया हैं, प्रश्न नहीं हैं। परन्तु यह एक ऐसी बात हैं जो दो व्यक्तियों की सुख शान्ति तथा

भावी जीवन को प्रभावित करती हैं और, इसलिए, उन्हें उस कार्य के, जो वे करें, परिणामों तथा सम्भावनाओं को अवश्य समझना चाहिये। यदि आप समझते हैं कि आप जो अवस्था निर्धारित करते हैं, न्यूनतम अवस्था, उस कार्य के लिए काफी नहीं हैं, तो संरक्षक की अनुमति ले लो। अभिप्राय यह हैं। यदि आप यह इक्कीस या चौबीस या पच्चीस रखते हैं, तो निश्चय ही किसी की अनुमति लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

यें बातें मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था। जैसा कि मैंने बताया कि आखिरकार सभा को निश्चय करना होगा। इस बारे में बहुत से मत हैं और हम यहां प्रकट होने वाले बहुमत को स्वीकार करेंगे।

**श्री लोकनाथ मिश्र** (पुरी): आपका अन्तिम मत क्या हैं?

**श्री बिस्वास:** जहां तक मेरे मत का सम्बन्ध हैं, यह विधेयक में, जैसा कि यह पुरःस्थापित किया गया था, विद्यमान हैं---अठारह और यदि विवाह करने वाले इक्कीस वर्ष से कम अवस्था के हों तो अनुमति ली जाय। संयुक्त समिति ने यह स्वीकार किया था। राज्य परिषद ने इसे उलट दिया। मेरा वही मत हैं जो कि विधेयक में पुरःस्थापित करते समय विद्यमान था और श्री वेंकटरामन ने एक संशोधन की पूर्वसूचना दी हैं जो कि मूल विधेयक के उपबन्ध को पुनः स्थापित करने के बारे में हैं।

**श्री लोकनाथ मिश्र:** अच्छा, तब तो हम इसके लिए मत देंगे।

**श्री एन० सी० चटर्जी:** मेरे विचार से संशोधन सभा के सम्मुख रखते समय यदि आयु-सीमाओं को क्रमशः लिया जाय तो उचित होगा। पहले २५ वर्ष की अवस्था रखी जाय और यदि वह अस्वीकृत हुई तो २१ वर्ष; इसी प्रकार १८ वर्ष।

**श्री वेंकटरामन:** मेरे विचार से कम अवस्था से ही प्रारम्भ किया जाय।

**सभापति महोदय:** हम एक के बाद दूसरा संशोधन रखेंगे। अब मैं संशोधन संख्या ६९ रखता हूं।

प्रश्न यह हैं:

कि पृष्ठ ३ में, पंक्ति ६ के स्थान पर यह वाक्य आदिष्ट किया जाय:

"(c) The male has completed the age of twenty-one years and the female, the age of eighteen years"

"(ग) पुरुष को २१ वर्ष तथा स्त्री को १८ वर्ष की अवस्था पूरी करनी चाहिए।"

सभा में मत-विभाजन हुआ। पक्ष में ११८ और विपक्ष में १०६ रहे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बीसरहाट): संशोधन संख्या १०८ तो अवश्य लेना चाहिए क्योंकि उसमें संरक्षक की अनुमति का उल्लेख हैं।

**सभापति महोदय:** मुझे खेद हैं कि यह भी नियमविरुद्ध हैं।

**श्री वेंकटरामन:** मुझे अपने संशोधन संख्या २६५ को रखने की अनुमति दी जाय। वह नियम विरुद्ध नहीं हैं।

**सभापति महोदय:** कृपया वह संशोधन मेरे पास भेज दीजिए।

**श्री वेंकटरामन:** ठीक हैं, श्रीमान। इस संशोधन का उद्देश्य यह हैं कि १८ वर्ष की अवस्था हो जाने पर भी लड़की के लिए, जब तक वह २१ वर्ष की न हो, अपने संरक्षक की अनुमति आवश्यक हैं।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव:** इस समय किसी नए संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

**सभापति महोदय:** पहले मुझे संशोधन की प्रति देख लेने दीजिए।

**श्री एस० एस० मोरे:** औचित्य प्रश्न के हेतु क्या यह ठीक हैं कि किसी सदस्य को ऐसे संशो-

[श्री एस० एस० मोरे]

धन की अनुमति दी जाय जो पारित संशोधनों में परिवर्तन करने के लिए रखा गया हो?

**सभापति महोदय:** श्री वेंकटरामन जो संशोधन रखना चाहते हैं उसकी प्रति पहले मुझे देखने दीजिए। इस विषय में मैं शीघ्र ही कोई निर्णय नहीं देना चाहता। इसका फैसला कल दिया जायगा।

**श्री के० के० बसु** (डायमंड हार्बर): इसको तुरन्त अस्वीकृत किया जाय।

**सभापति महोदय:** अभी खंड ४ पर विचार समाप्त नहीं हुआ है।

**श्री गाडगील** (पूना----मध्य): आपने उस संशोधन का निर्णय कल के लिए छोड़ दिया। क्या अन्य सदस्य भी इस खंड के विषय में संशोधन रख सकते हैं?

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** यदि इस संशोधन की अनुमति दे दी गई तो कल आपको बहुत से संशोधन प्राप्त होंगे।

**श्री फ्रैंक एंथनी** (नामनिर्देशित----आंग्ल-भारतीय): मेरा भी एक संशोधन है। वह नियमविरुद्ध नहीं है।

**सभापति महोदय:** वह नियमविरुद्ध है।

**श्री फ्रैंक एंथनी:** जी नहीं। मेरे संशोधन में यह है कि १५ से १८ वर्ष तक की लड़की, माता-पिता या संरक्षक की अनुमति से विवाह कर सकती है और १८ से २१ वर्ष तक का लड़का भी संरक्षक की अनुमति से विवाह कर सकता है। यह नियमविरुद्ध नहीं कहा जा सकता।

**पंडित ठाकुरदास भार्गव:** जब यह निश्चय हो गया है कि १८ वर्ष की लड़की और २१ वर्ष का लड़का, विवाह कर सकते हैं तो इसके सम्बन्ध में और जितने संशोधन हैं वे नियमविरुद्ध हैं। अतः श्री वेंकटरामन और श्री एंथनी, दोनों के संशोधन भी ऐसे ही हैं।

**सरदार हुक्म सिंह:** मेरे विचार से श्री वेंकटरामन का संशोधन बिल्कुल ठीक है। प्रवर समिति के प्रतिवेदन में यह था कि दोनों पक्षों की अवस्था २१ वर्ष होनी चाहिए; अब हम ने उसे बदल दिया है किन्तु संरक्षक की अनुमति का प्रश्न अभी अनिर्णीत है।

**श्री ए० एम० थामस:** माननीय सदस्य प्रवर समिति का निर्देश कर रहे हैं किन्तु यह विधेयक तो राज्य सभा से पारित हो कर आया है।

**सरदार हुक्म सिंह:** जी हां, किन्तु यह प्रश्न सर्वथा पृथक है कि १८ और २१ वर्ष के बीच की लड़की के लिए संरक्षक की अनुमति आवश्यक है या नहीं?

**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है कि इस संशोधन की अनुमति दी जाय या नहीं।

**श्री एस० एस० मोरे:** जब अवस्था के बारे में निर्णय हो चुका है तो उसमें उलझने की क्या आवश्यकता है? यह कोई ढंग नहीं है कि एक बात तय हो जाने पर फिर उसे इधर-उधर घसीटा जाए। यह सभा के नियमों के विरुद्ध है। यदि आपने अनुमति दी तो बहुत से संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगे। जब सभा ने निर्णय कर दिया कि १८ वर्ष की लड़की को विवाह-अधिकार है तो फिर उसमें संरक्षक की अनुमति को क्यों खींचा जा रहा है। अतः श्री वेंकटरामन तथा श्री एंथनी दोनों के संशोधन नियमविरुद्ध हैं।

**श्री बोगावत:** श्री मोरे का कथन ठीक नहीं है। उस संशोधन का खंड (ग) से कोई सम्बन्ध नहीं है। श्री वेंकटरामन का संशोधन खंड (ग) का संशोधन नहीं है बल्कि वह खंड ४ में एक उपखंड जोड़ देता है। वह तो सर्वथा पृथक है।

**श्री बिस्वास:** वास्तव में इन दोनों में कोई आवश्यक सम्बन्ध नहीं है। न्यूनतम आयु-निर्धारण, अनुमति से पृथक विषय है। अवस्था चाहे २५ वर्ष हो फिर भी अनुमति का उपबन्ध एक भिन्न खंड के द्वारा किया जा सकता है। मेरी तो यही राय है।

**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा): मेरा निवेदन यह है कि जब एक संशोधन पारित हो गया है तो अगले संशोधन उसी दशा में ठुकराए जा सकते हैं जब कि वे उससे टकराते हों। अनुमति का प्रश्न दूसरा है। माननीय सदस्य कहते हैं कि इससे अनेक संशोधन प्रस्तुत होंगे। ठीक है; उन्हें प्रस्तुत होने दीजिए, यदि उनमें कोई उचित हो तो हम उसे पारित करेंगे। अतः श्री वेंकटरामन का संशोधन नियमविरुद्ध नहीं है।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर पूर्व): मैं आपको आप ही की पहली मानसिक प्रतिक्रिया की याद दिलाता हूं जब आपने कहा था कि संशोधन पारित होने के उपरान्त अन्य संशोधन नियमविरुद्ध हैं। सारे वाद-विवाद में इस बात का उल्लेख हुआ है कि अनुमति आवश्यक है या नहीं और एक संशोधन भी प्रस्तुत हुआ था जिससे स्पष्ट हो गया था कि अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमें सभा के अभिप्राय पर भी ध्यान देना चाहिए और जो काम अस्वीकृत हो चुका है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से कराने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए।

**सभापति महोदय** : अन्य सब संशोधनों के लिए तो अब भी मेरा वही मत है। केवल श्री वेंकटरामन का संशोधन ही संदिग्ध है जिसके लिए मैं कल निर्णय दूंगा। अभी खंड ४ समाप्त नहीं हुआ है। अतः हम उसके अन्य उपखण्डों को लेते हैं।

**श्री फ्रैंक एन्थनी**: मैं भी वैसा ही एक संशोधन रखने की अनुमति चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : मैं संशोधन रखने से किसी को मना नहीं करता। उन पर विचार किया जायेगा। अभी तो मेरे पास वही एक संशोधन है।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** : अभी एक संशोधन स्वीकृत हुआ है और तत्सम्बन्धी एक और संशोधन स्वीकार किया जा रहा है। आखिर हम लोग कहां पहुंचे हैं? इस प्रश्न का अभी निर्णय होना चाहिए।

**श्री वेंकटरामन**: मेरा संशोधन पहले से ही मौजूद है। उसमें केवल जरा-सा परिवर्तन है।

**सभापति महोदय**: मैंने कितनी बार कहा है कि इसका निर्णय कल दिया जायेगा।

**श्री एच० एन० मुकर्जी**: हम जानना चाहते हैं कि क्या सत्तारूढ़ दल के नेता को इस विषय में कुछ कहना है?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मेरी समझ में नहीं आता कि इस विषय में माननीय सदस्यों को इतना उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता है? जहां तक विधि का प्रश्न है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। प्रश्न यह है कि सभा जो भी निर्णय करना चाहे, करे किन्तु निर्णय करने पर उससे मुकरे नहीं। आप ने स्वयं कहा है कि आप इस विषय पर विचार करेंगे। मेरा निजी मत तो यह है कि पूर्व-निर्णय से यह संशोधन नहीं टकराता।

**श्री एन० सी० चटर्जी**: इसका अर्थ यह है कि श्री वेंकटरामन का संशोधन स्वीकार कर लिया गया है।

**सभापति महोदय** : इसका अर्थ यह भी है कि अन्य संशोधन नियमविरुद्ध हैं।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : मेरा भी उससे मिलता-जुलता संशोधन है जिसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

**सभापति महोदय**: मैंने कह दिया है कि श्री वेंकटरामन के संशोधन के अतिरिक्त सब नियमविरुद्ध हैं।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी**: यदि उन्हें अनुमति दी जाती है, तो मैं भी अपने संशोधन को प्रस्तुत करने का अधिकारी हूं।

**सभापति महोदय** : प्रत्येक सदस्य को अनुमति प्राप्त करने का अधिकार है, किन्तु जबतक संशोधन मेरे पास नहीं आता, मैं उस पर कैसे विचार कर सकता हूं। यदि किसीको कोई सुझाव रखना है, तो वह रख सकता है।

[सभापति महोदय]

अब हम खंड ४ (घ) की ओर बढ़ेंगे। जो माननीय सदस्य इस खंड पर संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हों, प्रस्तुत करें।

केवल डा० रामा राव, श्री साधन गुप्त और श्री बोगावत ने अपने संशोधन संख्या ४२५ और ११४ क्रमशः प्रस्तुत किए और सभापति महोदय द्वारा ये संशोधन प्रस्तुत हुए।

**डा० रामा राव:** सभापति महोदय, मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि किन्हीं परम्पराओं का पालन करने वाले लोग भी अपने विवाह का पंजीकरण प्रस्तुत अधिनियम के अधीन करा सकते हैं। खण्ड १५ में इस प्रकार की कार्यवाही स्वीकार की गई है। दक्षिण भारत के लोग अपनी ममेरी बहन से विवाह कर लेते हैं। यह एक सामान्य बात है, लेकिन निसिद्ध पीढ़ियों की इस विचित्र सूची में इस प्रकार के विवाहों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। उत्तर भारत के मित्रों से मेरी प्रार्थना है कि वे सीमित दृष्टिकोण न अपनाएं। रीति-रिवाज बदलते रहते हैं; मनुष्य की आदतों में परिवर्तन हो जाता है। मैं यह नहीं कहता कि सभी हिन्दू विवाह पंजीकृत कराए जाएं। जो व्यक्ति अतिशबाजी, बैण्ड और धूमधमाके के साथ खूब खर्च कर विवाह करना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। लेकिन लोग बड़ी संख्या में इस व्यवस्था का आश्रय लेंगे, क्योंकि यह विवाह की सरल और मितव्यता पूर्ण पद्धति है। हम अपनी आदतों के अनुसार विचार करते हैं। दक्षिण भारत के लिए ब्राह्मण का मछली खाना कल्पना से परे है लेकिन बंगाली ब्राह्मण मछली खाते हैं। मैं बंगालियों अथवा मछलियों के विरुद्ध नहीं हूं। मुझे दोनों प्रिय हैं। बंगालियों ने क्रांति में महत्वपूर्ण योग दिया है। जिस प्रकार दक्षिण भारतीयों के विचार करने की दृष्टि सीमित है उसी प्रकार उत्तर भारतीयों की भी है, श्री बिस्वास भी उनमें से एक हैं। यदि मैं दक्षिण भारत की किसी ग्रामीण महिला से कहूं कि पंजाबी बहनें पाजामा पहनती हैं तो वह पहले तो मुझ पर विश्वास ही नहीं करेगी और फिर कहेगी कि यह आशिष्टता और अविनम्रता है। इसका कारण यह है कि दक्षिण भारत की नारी ने कभी किसी स्त्री को पाजामा पहनते हुए नहीं सुना है।

जैसा मैंने पहले कहा है, विवाह में पर्याप्त रुपया खर्च होता है। लगभग पचास प्रतिशत विवाहों में सम्बन्धित परिवार ऋणी बन जाते हैं। इस विधि के अधीन केवल पांच या दस रुपए में विवाह विहित हो सकता है। सामान्य पद्धति से विवाह कर लेने के पश्चात उसे खंड १५ के अधीन पंजीकृत किया जा सकता है। यह सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि इस प्रकार के विवाह अवांछनीय अथवा हानिकारक हैं। यदि माननीय विधि मंत्री केवल वैज्ञानिक आधार पर विवाह सम्पन्न कराना चाहते हैं तो उन्हें समस्त विवाहों पर रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं।

अतः मैं माननीय विधि मंत्री और उत्तर भारत के मित्रों से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरा संशोधन (सं० ११३) स्वीकार कर लें ताकि अधिक लोग इस विधी के अधीन विवाह कर सकें।

**श्री बिस्वास:** माननीय मित्र की बात सुनने के पश्चात अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करना उचित ही जान पड़ता है अन्यथा इस प्रकार के भाषणों से व्यर्थ में समय बरबाद होगा।

मैं यह समझाऊंगा कि सरकार द्वारा इस तरह का उपबंध स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता है।

राज्य-सभा द्वारा खंड १५ में पहले ही ऐसा उपबन्ध रख दिया गया है---यह विवाहों के पंजीकरण से सम्बन्धित है उसमें वे शर्तें बताई गई हैं ,जो विवाह के पंजीकरण होने के पूर्व पूरी हो जानी चाहिए कि "पक्ष निषिद्ध सम्बन्ध की पीढ़ियों में नहीं है, जब तक कि विधि अथवा विधि की शक्ति रखनेवाली रीति अथवा प्रथा जिससे दोनों शासित हैं दोनों में विवाह की अनुमति नहीं दे देती है।" दूसरे शब्दों में

यदि रूढ़िगत नियमों के अनुसार विवाह सम्पन्न हुआ हैं तो उसे वैध विवाह समझा जाएगा। लेकिन जो विवाह प्रस्तुत अधिनियम के अधीन प्रथम बार विहित होंगे, इस परम्परा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे किन्तु एक शर्त यह रहेगी कि जैसा विधेयक में परिभाषित किया गया हैं कि दोनों पक्षों को सम्बन्ध की निषिद्ध पीढ़ियों के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। यदि यह शर्त पूरी नहीं हुई तो वह विवाह वैध विवाह नहीं कहलाएगा। खण्ड ४ (घ) अधिनियममोत्तर विवाहों की ओर निर्देश करता हैं, अधिनियम के पूर्व के विवाहों की ओर नहीं। हमारा विचार अधिनियम के पूर्व और उसके पश्चात के विवाहों में अन्तर करने का हैं। अधिनियम के पूर्व के विवाहों को पंजीकृत कराने की अनुमति दी जाएगी भले ही वे विधेयक में निर्धारित शर्त के अनुसार न हों, लेकिन जो विवाह के समय लागू परम्परागत नियमों के अनुसार थे। जो व्यक्ति परम्परा से चली आ रही पद्धतियों के अनुसार विवाह करने के लिए उत्सुक हैं वे अभी भी अपनी व्यक्तिगत विधि के अनुसार ऐसा करने में स्वतंत्र हैं। लेकिन यदि वे प्रस्तुत विधि के अधीन विवाह करने के इच्छुक हैं तो उन्हें वह शर्तें माननी चाहिए जो पहली बार विधि का रूप धारण कर रही हैं।

और यह विधि सम्पूर्ण भारत के लिए हैं। यह किसी जाति-विशेष के लिए नही हैं, अपितु दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत (**श्री एन० सी० चटर्जी** : और मध्य भारत); सभी के लिए। अतः शेष भारत को दक्षिण भारत से प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हैं। हम सम्पूर्ण भारत के लिए विधि अधिनियम कर रहे हैं। अतः हमारा कथन हैं कि उन्नत दृष्टिकोण से इस विषय की ओर देखने पर यह ठीक नहीं हैं। कि निसिद्ध सम्बन्धों में परस्पर विवाह होना चाहिए। सर्वत्र यही विधि हैं।

सम्बन्ध की निषिद्ध पीढ़ियां क्या हैं ; यह एक स्वतंत्र प्रश्न हैं। आप कह सकते हैं पिता की दिशा में पांच पीढ़ियां या सात पीढ़ियां; माता की दिशा में तीन पीढ़ियां या पांच पीढ़ियां। अथवा आप स्पष्टीकरण हेतु एक सूची तैयार कर सकते हैं कि कौन निषिद्ध पीढ़ी हैं और कौन नहीं हैं। यह एक पृथक विषय हैं। लेकिन प्रत्येक जाति में ऐसी पद्धति हैं। इस कथन में किसी को विरोध नहीं हो सकता हैं। मैं रूस के विषय में नहीं कह सकता हूं। लेकिन मेरा विश्वास हैं कि वे भी निषिद्ध पीढ़ियों अथवा निकट के संबंधियों में परस्पर विवाह की अनुमति नहीं देते हैं। सन्ततिजनन के इस सिद्धान्त को सार्वभौम स्वीकृति प्राप्त हैं। हम ने यह उपबन्ध रखा हैं कि यदि प्रस्तुत विधि के अधीन सम्पन्न विवाह में निषिद्ध सम्बन्ध की सीमाओं का पालन नहीं किया गया तो वह विवाह अवैध होगा। लेकिन यदि इसके विपरीत कोई प्रथाएं हैं तो जो विवाह पहले ही हो चुके हैं उनके सम्बन्ध में भी इन प्रथाओं को मान्यता मिलनी चाहिये। लेकिन यदि भावी विवाह निषिद्ध पीढ़ियों की सीमा की अवहेलना कर विहित कराये जाने का विचार हैं तो मेरा विचार हैं कि वे उन व्यक्तिगत विधियों के अन्तर्गत होंगे जो इस प्रकार के विवाह की अनुमति देती हैं। लेकिन इस विधेयक की खिल्ली न उड़ाइये; मेरा यही अभिप्राय हैं। इस प्रकार की योजना में परम्पराओं में परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं हैं।

निषिद्ध पीढ़ियों के सम्बन्ध में आप देखेंगे कि हम निम्नतम नियंत्रणों का उपबन्ध कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही नियंत्रण इस प्रकार के हैं कि वे सन्ततिजनन की दृष्टि से हीन और अवांछनीय विवाहों का अपवर्जन कर देंगे। मुझे विश्वास हैं कि मेरे मित्र एक ही गोत्र के अन्तर्गत विवाह की अनुमति नहीं देंगे। निषिद्ध सीमा की सूची सगोत्र विवाहों को रोक देगी। मैंने कभी भी इस आशय का सुझाव नहीं दिया हैं कि दक्षिणी भारत में प्रचलित विवाह पद्धतियां सगोत्र के अन्तर्गत हैं। वहां की प्रथा के अनुसार ऐसा हो सकता हैं। लेकिन भविष्य में प्रस्तुत अधिनियम के अधीन विहित विवाहों पर प्रथा का प्रभाव न पड़ने दीजिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

**श्री एन० सी० चटर्जी:** मेरा विचार है कि माननीय विधि मंत्री ने सर्वथा तर्कसंगत बात कही है। यदि आप परम्परागत विधि के अनुसार काम करना चाहते हैं तो उसी पर दृढ़ रहिए; अपनी व्यक्तिगत विधि के अधीन विवाह कीजिए; इस व्यवस्था का लाभ न उठाइए। उनका कहना यह है कि यदि आप विशेष विवाह अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराए जाने वाले ढंग पर सिविल मैरिज (पौर विवाह) का लाभ उठाना चाहते हैं तो उस के सम्बन्ध में और निषिद्ध पीढ़ियों के सम्बन्ध में कुछ मर्यादा होनी चाहिये। आप यह न कहिए कि: "मैं इस अधिनियम के अधीन विवाह करूंगा, लेकिन मैं सम्बन्ध की निषिद्ध पीढ़ियों की परम्परागत सीमा का पालन करूंगा।" यह उचित नहीं है। आपको अपनी व्यक्तिगत विधि के अधीन विवाह करने से कोई नहीं रोक सकता।

यदि आप चचेरे भाई-बहनों के विवाह में विश्वास रखते हैं तो निर्भीकतापूर्वक ऐसा कहिए। यदि आपका विचार है कि यह अच्छा है तो हम इसे समाविष्ट कर लेंगे। लेकिन यह उचित नहीं है, यह श्रेयस्कर नहीं है, और न यह संगत अथवा तर्कयुक्त ही है। परम्पराओं का अब और अधिक आवाहन न कीजिए। हमारे यहां एक-एक प्रदेश में लाखों रीतियां और परम्पराएं हैं। यदि आप में साहस है तो निर्भीक होकर कहिये कि सम्बन्ध की निषिद्ध पीढ़ियों की एक विशिष्ट सीमा सम्पूर्ण भारत में समान रूप से लागू की जानी चाहिए। यदि आप दोनों बातें रखना चाहते हैं, यदि आप व्यावहारिक विधि का आवाहन करना चाहते हैं और शास्त्रोक्त अथवा परम्परागत विधि का भी आवाहन करना चाहते हैं तो उससे अनियमितता एवं विसंगतियां उत्पन्न हो जाएंगी।

**श्री राघवाचारी:** मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। श्री एन० सी० चटर्जी ने संशोधन की अस्वीकृति के पक्ष में बहुत सी दलीलें दी हैं। जैसा मैंने आरम्भ में कहा था, सदस्यों के मस्तिष्क में कुछ सन्देह उत्पन्न हो गया है। जब कभी वे विशेष विवाह विधेयक के किसी विशिष्ट खण्ड पर विचार करते हैं वे इसे दूसरी विधियों के अधीन विहित विवाहों पर भी लागू करने की बात सोचते हैं। जैसा श्री एन० सी० चटर्जी ने बताया है, यह आवश्यक नहीं है कि इसमें परम्परा का उपबन्ध भी सम्मिलित किया जाए। यह तर्क रहित है।

इसके अतिरिक्त मैं एक और संशोधन प्रस्तुत करता हूं। विवाह में उपस्थित होने वाले सम्बन्ध की सीमाओं से मुक्ति का उपबन्ध करने वाले खंड १५ की ओर निर्देश किया गया है: वे विवाह भी इस विधि के अधीन पंजीकृत किए जा सकते हैं। मेरा विचार है कि इस संशोधन के न होने पर भी डा० रामा राव इस श्रेणी के अन्तर्गत आ सकते हैं।

धारा १५ में लिखा है:

> "कैसा भी विहित विवाह, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् अथवा पहले....पंजीकृत किया जा सकता है...."

फिर उनका कथन है कि विवाह विहित होने के पश्चात् पंजीकृत कराने में खर्च करना पड़ेगा। क्या विधि में ऐसा कुछ लिखा है कि इतना रुपया खर्च करना पड़ेगा? खर्च का कारण हमारी बुद्धिहीनता और इसमें साहस की कमी बताना है। जब आप अपना विवाह इस विधि के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं तो अपना विवाह किसी वृक्ष के तले आयोजित कीजिए। उसमें किसी को निमंत्रित न कीजिये। आपसे रुपया खर्च करने के लिए कौन कहता है?

मेरी सम्मति में यह एक साधारण-सा प्रश्न है। सम्बन्ध की निषिद्ध पीढ़ियों की सूची पर हमें विस्तारपूर्वक विचार करना है। यदि हम सम्पूर्ण परम्पराओं का भी इसमें समावेश कर देंगे तो यह निरुद्देश्य हो जाएगा। मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हम भारतीयों के लिए एक ही प्रकार के विवाह की व्यवस्था करना चाहते हैं। अतः यह कहना कि हमें पाँर विवाह तथा परम्परागत विवाह को बिल्कुल अलग रखना हैं निरर्थक हैं तथा यह सम्भव भी नहीं हैं।

**श्री नन्द लाल शर्मा :** आपका लक्ष्य तो वही हैं।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैं समझी नहीं। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो परम्परागत विधि से विवाहित होकर भी अपने विवाह को पंजीकृत करना चाहेंगे। प्रवर समिति के एक मुस्लिम सदस्य ने कहा था कि "दो मुसलमानों को भी इस समय विधि से एकपत्नीव्रत बनाना असंभव सा प्रतीत होता हैं।" हमें समय को ध्यान में रख कर ही समय के साथ चलना चाहिए। अतः ऐसे समय पर हमें परम्परागत विवाहों की प्रथा को भी इस विधि में स्थान देकर पाँर तथा परम्परागत विवाहों का एकीकरण करना चाहिए; जिससे पाँर विवाह करने वाले पहले परम्परागत विवाह कर लें, तत्पश्चात् उनका पंजीपन हो, और धीरे धीरे वह समय आ जाए कि परम्परागत विवाह समाप्त हो और पाँर विवाह ही रह जाए।

धारा १५ भी ठीक नहीं उतर सकेगी क्योंकि बहुत से व्यक्ति इसका अन्त करना चाहते हैं। अतः मेरे संशोधन में यही हैं कि हिन्दू विवाह का पंजीबद्ध होना लोगों की इच्छा पर रख दिया जाए परन्तु राज्यों को अधिकार दिया जाए कि वे चाहें तो इसको लागू कर सकें। और जब हम उन हिन्दू विवाहों को जो परम्परागत व्यवहार से सम्पन्न हुए, पंजीबद्ध होना आवश्यक नहीं बना रहे हैं तब हमें विशेष विवाह विधि में कम-से-कम पंजीबद्धता के लिए स्थान रखना चाहिए।

**श्री बोगावत :** मेरे प्रान्त में मामा की लड़की से विवाह करने की प्रथा प्रचलित हैं। अतः एकपत्नीव्रत रहने के लिए, उत्तराधिकार अधिनियम के पूर्ण लाभ उठाने के लिए उनका पंजीबद्ध होना आवश्यक हैं। प्रथम अनुसूची की मद ३७ में हमने मामा की लड़की से विवाह पर प्रतिबन्ध लगाया हैं और इसके द्वारा हमने पुरानी परम्परा पर कोई ध्यान नहीं दिया हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जैसे मुसलमानों में चाचा के बच्चों में भी विवाह हो जाते हैं। अतः जबकि हमने कुछ परम्पराओं पर प्रतिबन्ध लगाया तब इस खंड की, कि परम्परागत विधि के अनुसार यदि उपयुक्त हो तो विवाह हो सकता हैं, इस विधेयक में आवश्यकता हैं। यदि आप इस संशोधन की अनुमति दे देंगे तो बहुत से व्यक्ति जो इससे लाभ उठाना चाहते हैं, लाभ उठा सकेंगे।

**डा० जयसूर्य :** जो विवाह इस अधिनियम के लागू होने से पहले परम्परागत विधि के अनुसार सम्पन्न हो चुके हैं वे ही पंजीबद्ध हो सकते हैं।

कुछ महानुभावों का कहना हैं कि परम्परागत विधि तथा परम्परागत प्रथाएं इसमें लाई जानी चाहिए परन्तु कितनी, उनका तो कोई अन्त ही नहीं। तथा साथ ही साथ उनमें से कुछ तो बिल्कुल ही घृणास्पद हैं। जैसे मेरे पिता जी को विवश होकर अपनी भांजी से शादी करनी पड़ी। अतः हमें एक विशेष स्तर रखना चाहिए। इसमें कोई रियायत करना हमारी भावनाओं को कुचलना हैं। हमें इस विधेयक में एकपत्नीव्रत होने का उपबन्ध करना हैं। अतः यहां भी हमें अपना एक ध्येय बनाना हैं कि केवल एकपत्नीव्रत ही होना चाहिए।

**श्री वी० जी० देशपांडे :** मेरी जाति में मामा की लड़की से विवाह की अनुमति हैं तथा मैं उनसे तर्क करने के लिए प्रस्तुत हूं जो इन विवाहों को शास्त्रविरुद्ध बताते हैं। परन्तु प्रश्न यह हैं कि हम परम्परागत विधि तथा प्रथाओं पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं अथवा नहीं। डा० रामाराव का यह संशोधन इस अधिनियम की अनुसूची में आना चाहिए। मेरे विचार से हिंदू विधि में आई हुई सभी रूढ़ियों और परम्पराओं को स्वीकार कर लेना चाहिये।

एक माननीय सदस्य के अनुसार उनके प्रान्त में साधारण व्यक्ति इस प्रथा को मानते हैं

[श्री वी० जी० देशपांडे]

परन्तु उन्हें मालूम होना चाहिए कि साधारण ही नहीं बल्कि उच्च जाति में भी यह प्रथा प्रचलित है। संसद में इस पर विवाद होना चाहिए और यदि स्वीकृत हो जाए तब इसे अनुसूची में रख दिया जाना चाहिए।

विवाह की आयु-सीमा कम होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। परन्तु परम्पराओं के अनुसार पांच या सात वर्ष की आयु में विवाह किया जाता था, तो उसी आयु को क्यों नहीं निर्धारित कर दिया जाए। मामा की लड़की के साथ विवाह को बुरा बताने वाले तो फिर भी यह कहेंगे कि पांच, सात वर्ष की आयु-सीमा रखने पर भी इस अधिनियम को लोग स्वीकार करेंगे। बड़ी अजीब बात है।

अतः यदि वे स्पष्ट शब्दों में यह कहते कि मामा अपनी भांजी से विवाह करे अथवा मामा की लड़की से, तब इस पर विवाद किया जा सकता था परन्तु यहां केवल परम्परागत विधि आदि कह कर यह विषय हमारे सम्मुख उपस्थित किया गया है। इस देश में अनोखे कानून हैं।

**श्री वेलायुधन:** अनोखे धर्म भी।

**श्री वी० जी० देशपांडे:** अनोखे धर्म भी हैं। परन्तु प्रगतिवाद के ये भक्त इन परम्पराओं के पक्ष में हैं। हजारों वर्षों से हम इन परम्पराओं तथा प्रथाओं को अपने हृदय में छिपाए चले आ रहे हैं; तो एक ओर से आप यज्ञ, व्रत, विवाहोत्सव आदि को तिलांजलि दिलवा रहे हैं, और दूसरी ओर से आप उन परम्पराओं पर चलने के लिए बाध्य हो रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं; और कहा जाता है कि सारे देश के विवाहों के लिये एक विधि बनाई जा रही है। अतः यह संशोधन बड़ी ही उलझन पैदा करने वाला है।

**सभापति महोदय:** श्री साधन गुप्त।

**श्री वेलायुधन:** मलबार के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

**सभापति महोदय:** श्री साधन गुप्त का एक संशोधन है, अतः उन्हें पहले बोलने दिया जाए।

**श्री वेलायुधन:** माननीय मंत्री ने अपने भाषण में मलबार का जिक्र किया था।

**श्री साधन गुप्त:** मैं माननीय मंत्री तथा माननीय सदस्यों का विरोध करता हूं जब वे कहते हैं कि दक्षिण भारत में प्रचलित कुछ संबंधियों में विवाह-संबंध नहीं होने चाहिए भारत एक बड़ा देश है तथा इसके भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रथायें और परम्परायें प्रचलित हैं। यह सम्भव है कि एक स्थान की प्रथायें और परम्परायें दूसरे स्थान के व्यक्तियों को बुरी लगें। अतः इस प्रकार का एक अन्य विधेयक होना चाहिये कि इन प्रथाओं पर प्रतिबन्ध होना चाहिये अथवा नहीं और सभा में विवाद ऐसे ही होना चाहिये जैसे बहुविवाह आदि पर किया गया। इस अधिनियम के अनुसार कुछ व्यक्तियों को विवाह करने से रोकना कहां तक न्यायपूर्ण है। इसके द्वारा तो विवाह आसान बनाये जा रहे हैं तथा जहां झगड़े उठ खड़े हुए हों उनको निपटाये जाने की व्यवस्था की जा रही है। अतः जो स्त्री पुरुष पति-पत्नी बन कर एक साथ रहना चाहते हैं उनको क्यों रोका जाये।

**सभापति महोदय:** मान लीजिये आपका संशोधन स्वीकार कर लिया गया। तो क्या एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी पुरानी परम्परागत विधि के अनुसार दो पत्नियां हैं, इस अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध होने की अनुमति मिल जानी चाहिये?

**श्री साधन गुप्त:** यह तो सम्बन्ध की निषिद्ध पीढ़ियों में विवाह-संबंध स्थापित करने के बारे में है।

**सभापति महोदय:** मैं समझता हूं। परन्तु एक व्यक्ति के दो पत्नियां भी हो सकती हैं.....

**श्री साधन गुप्त:** सभा एकपत्नीव्रत होने के नियम पर ही सहमत हुई है।

**सभापति महोदय :** यदि आप इसे ऐसे गिराना चाहते हैं तो इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी विवाह को पंजीबद्ध होने की अनुमति क्यों दी जाये ?

**श्री साधन गुप्त :** हम सबने यह स्वीकार कर लिया है कि पुरुष अथवा स्त्री को एकपत्नीव्रत अथवा एक पतिव्रता ही होना चाहिये ।

**श्री नन्द लाल शर्मा :** क्या यह परम्परागत विधि है ।

**श्री साधन गुप्त :** इस पर हम सब की सहमति है तथा हम यही सुधार करने जा रहे हैं । यदि ऐसा ही रिश्तेदारी में विवाह करने के प्रतिबन्ध के लिये भी हो जाता तो मैं उसे ठीक समझता । परन्तु आप चाहते हैं कि वे व्यक्ति जिनकी परम्पराओं में ऐसे विवाहों की अनुमति है, ऐसे विवाह कर सकते हैं परन्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत वे ऐसा नहीं कर सकते । वे क्यों ऐसा नहीं कर सकते यही प्रश्न है ।

इस अधिनियम के अन्तर्गत सारा देश तथा सभी धर्म आ जाते हैं, परन्तु पारसी तथा मुसलमान जिनमें रिश्तेदारी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है इस अधिनियम का लाभ नहीं उठा सकेंगे। कैसा अन्धेरखाता है कि अधिनियम से पहले की शादियां पंजीबद्ध हो सकती हैं परन्तु अधिनियम के बाद की शादियां पंजीबध नहीं हो सकती । इन विवाहों में अन्तर कुछ भी नहीं है । क्योंकि जो इस परम्परागत प्रथा से विवाह करते हैं वे पंजीबद्ध होने के विचार से ऐसा नहीं करते । कुछ दिन बाद वे बुद्धिमान हो जायेंगे तथा सोचेंगे कि इस विधि से हम विवाह-विच्छेद तथा उत्तराधिकार के अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं । तब ही वे पंजीबद्ध होने का प्रयत्न करेंगे ।

**श्री विस्वास :** परम्परागत परिवर्तनों को लागू करने के सम्बन्ध में मुझे कदाचित इस बात को स्पष्ट करना चाहिये । जिस समय मैंने यह कहा था कि हम अधिनियम-पूर्व विवाहों को पंजीकृत करने के लिये तैयार होंगे, अधिनियम-उत्तर विवाहों को नहीं, उस समय अधिनियम-पूर्व विवाहों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता था कि हम परम्परा को चलने तो देंगे किन्तु अधिनियम-उत्तर विवाहों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं होने देंगे । सम्बन्ध की निषिद्ध पीढ़ियों से सम्बद्ध इस विशेष खण्ड की ओर ही मैं निर्देश कर रहा था और मैं यह नहीं कहना चाहता था कि हम पंजीयन को कतई नियम-विरुद्ध ठहरायेंगे ।

**श्री साधन गुप्त :** मैंने ऐसा नहीं कहा था । मैं यह बता रहा था कि अधिनियम-पूर्व परम्परागत विवाहों का पंजीयन करने और अधिनियम-उत्तर विवाहों का पंजीयन न करने में क्या तुक है ।

**सभापति महोदय :** क्या प्रस्तुत विधेयक में कोई ऐसी बात है ।

**श्री साधन गुप्त :** प्रस्तुत विधेयक के खण्ड १५ (ङ) में यही बात है । वह उसी उपबन्ध का रूपभेद चाहते हैं । अब प्रश्न यह है कि आप दम्पत्ति को इस विधि के अनुसार ये विस्तृत अधिकार देना चाहते हैं अथवा नहीं । मेरा निवेदन है कि चूंकि वे परम्परागत विधि के अधीन विवाहित हुए थे अतः उनका यह अधिकार छीना नहीं जाना चाहिये । ऐसा करना तो असांविधानिक होगा । इस तरह परम्परागत विधि और इस विधि के अन्तर्गत निषिद्ध पीढ़ियों के बीच तथा अधिनियम-पूर्व परम्परागत विवाहों और अधिनियम-उत्तर परम्परागत विवाहों के बीच वर्गीकरण को किस प्रकार उचित ठहराया जा सकता है ? हम चाहते हैं कि विधियों की समान रूप से रक्षा हो । इसी भेद के सम्बन्ध में मैं माननीय विधि मंत्री से इस बात की प्रार्थना करता हूं कि वे अपने प्रौढ़ विचार से इन उलझनों को सुलझा दें । इन दो वर्गों के साथ अलग-अलग बर्ताव करने में क्या तुक है । हम यह भी नहीं चाहते कि देश के प्रत्येक व्यक्ति पर एक ही विधि लागू हो । श्री चटर्जी का कहना है कि अमुक विधि यदि किसी एक भाग के लिये

[श्री साधन गुप्त]

ठीक हैं तो वही दूसरे भाग के लिये भी ठीक हो सकती हैं, किन्तु व्यवहार में ऐसी बात देखने में नहीं आती। अतः एव, यदि आप विवाह को निषिद्ध करना चाहते हैं तो सभी के लिये इसे निषिद्ध ठहराइये ताकि हम यह भी निश्चय करें कि कहां तक हम निषिद्ध कर सकते हैं। यदि आप उस विवाह को निषिद्ध नहीं करना चाहते तो ईश्वर के लिये किसी एक समुदाय को इस विशेष विधेयक से लाभान्वित होने के अधिकारों से वंचित न कीजिये।

**श्री वेलायुधन** : मलबार में विवाह की रीतियों की ओर चूंकि निर्देश किया गया था अतः मैं उस बात का उत्तर देना चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : जी हां, दीजिये।

**श्री वेलायुधन** : डा० रामा राव द्वारा प्रस्तुत और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा समर्थित संशोधन को पढ़ कर मुझे कुछ अचम्भा-सा हुआ। मुझे लग रहा हैं कि यह दोनों बहुत पीछे जा रहे हैं। मैं किसी भी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं करना चाहता। मैं आपको यह बतादूं कि इस विधेयक का यही प्रयोजन हैं कि रीति-परम्परा विवाह को समाप्त किया जाये या हतोत्साह किया जाय।

अब हमारे मित्र उसी रिवाज तथा चलन से चिपके रहना चाहते हैं। माननीय विधि मंत्री ने मलबार के उस रिवाज का हवाला दिया हैं जिसके अनुसार भाई बहनों की संतानें आपस में विवाह कर सकती हैं। यद्यपि ऐसे विवाहों का रिवाज मलबार में अभी तक प्रचलित हैं, फिर भी हमने विधान के द्वारा पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों का उत्तराधिकार में सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया हैं, जिसका परिणाम यह हैं कि अपने घनिष्ट संबंधियों से बहुत कम युवक तथा युवती विवाह करना चाहते हैं। सुजनन विज्ञान की दृष्टि से भी यह रिवाज बहुत खराब हैं। ऐसे रिवाजों को तो बहुत पहले समाप्त कर देना चाहिये था। आजकल के नवयुवक तो ऐसे रिवाजों को बिल्कुल पसन्द नहीं करते। इस लिये जब श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने ऐसे रिवाजों का समर्थन किया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इसलिये मैं अनुभव करता हूं कि सभा को इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करना चाहिये।

**सभापति महोदय** : यह बिल्कुल स्पष्ट हैं कि इस विधेयक का अभिप्राय ऐसे विवाहों को वर्जित घोषित करना नहीं हैं जो किसी रिवाज के अनुसार किये जा सकते हैं।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : श्री साधन गुप्त यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे थे कि इस विधान का अभिप्राय सुजनन-विज्ञान-अनुकूल विवाहों को प्रोत्साहन देना नहीं हैं वरन् विशेष प्रकार के विवाहों को प्रोत्साहन देना हैं। इस सम्बन्ध में मैं उन से सहमत नहीं हूं। इसका अभिप्राय केवल शीघ्रता के साथ किये जाने वाले विवाहों तथा सरलता से होने वाले विवाह-विच्छेदों को प्रोत्साहन देना ही नहीं हैं वरन् समाज के लिये एक ऐसे प्रकार के विवाह की व्यवस्था करना भी हैं जो ऊंचे स्तर का हो। यह बड़े दुर्भाग्य की बात हैं कि ऐसे कुख्यात तथा पुराने विचारों का समर्थन उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता हैं जो साम्यवादी दल के सदस्य हैं और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा डा० रामाराव जैसे प्रगतिशील व्यक्ति ऐसे संशोधनों का समर्थन करते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने प्रश्न उठाया हैं कि उन व्यक्तियों को इस विधान के लाभ से क्यों वंचित रखा जाये जो रिवाजों के अनुसार विवाह करते हैं तथा रिवाज के अनुसार विवाह करने वालों पर निषिद्ध वर्गों की अनुसूची नहीं लागू करनी चाहिये। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के रिवाज तथा चलन प्रचलित हैं। हमें को उनमें से उन्हीं रिवाजों को स्वीकार करना चाहिये जो अच्छे हैं।

श्री साधन गुप्त ने इस सम्बन्ध में जो तर्क दिया हैं वह बहुत ही विचित्र हैं। एक ओर तो वह कहते हैं कि इस विधान के द्वारा एक

विशेष प्रकार के विवाह की व्यवस्था की जानी चाहिये तथा दूसरी ओर रिवाजों की दुहाई दे कर वे इस विधान को प्रभावहीन भी बनाना चाहते हैं ।

हम जानते हैं कि आज भी समाज में विवाह-विच्छेद की प्रथा है । बहुत से रिवाज ऐसे हैं जिनके अनुसार विवाह-विच्छेद हो सकता है । इसका तो अर्थ यह है कि हमारे लिये इस प्रकार के विधान बनाने का विचार करना ही व्यर्थ है । यदि हम फिर भी विधान बनाना चाहते हैं तो उसका अभिप्राय यह है कि समाज रिवाजों के ही सहारे पर न पड़ा रहे । इसी लिये हम विधान बना कर निश्चित प्रकार के नियम बना देना चाहते हैं जिन में किसी प्रकार की अनिश्चितता तथा संदेह न रहे । दूसरा अभिप्राय यह है कि हम रिवाजों के क्षेत्र में भी तर्क का समावेश करना चाहते और चाहते हैं । रिवाजों का क्षेत्र घटा कर कम से कम कर दिया जाये । मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो इस विधेयक का उद्देश ही समाप्त हो जायेगा ।

**श्रीमती जयश्री** (बम्बई----उपनगर) मुझे आश्चर्य है कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने इस प्रकार के संशोधन का समर्थन किया है ।

खण्ड १५ के सम्बन्ध में पहले हमारा विचार था कि स्त्रियों को स्थान देने से बड़ा भ्रम फैल जायेगा । परन्तु हमें हर्ष है कि हमारे विधि मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि यह अधिनियम का प्रभाव केवल उन्हीं विवाहों पर हो सकेगा जो इस अधिनियम के लागू होने के पहले किये जा चुके हैं तथा विधि मंत्री इसी प्रकार का एक संशोधन भी करने वाले हैं ।

१ म० प०

मेरा अनुमान है कि सुजनन-विज्ञान की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि भाई बहनों की संतानों के परस्पर विवाह रोक दिये जायें । जब हम एक विधान सब के लिये बना रहे हैं तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिये कि वह पहले से अधिक प्रगतिशील हो । जो व्यक्ति रिवाज के अनुसार विवाह करना चाहते हैं उनके लिये कोई रोक नहीं है । वे अपने निजी सम्प्रदाय के विधि के अनुसार ऐसे विवाह कर सकते हैं । इस लिये मैं इस संशोधन का तीव्र विरोध करती हूं ।

**श्री एस० एस० मोरे** : इस संशोधन के सम्बन्ध में मैं अपने माननीय मित्र से जानना चाहता हूं कि क्या यह आवश्यक न होगा कि विवाह करने वाले दोनों पक्ष एक ही रिवाज के अधीन हों । यदि दोनों पक्षों के रिवाज अलग अलग हुए तो क्या स्थिति होगी ।

व्यक्तिगत रूप से रिवाज तथा चलना का विरोधी हूं । विधि में ऐसे रिवाजों को ही मान्यता दी गई है जो प्राचीन हो, पर्याप्त रूप से विस्तृत हों तथा तर्कसम्मत हों । समाज के दबाव से बनने वाले रिवाज थोड़े समय के लिये उपयोगी होते हैं परन्तु जब समाज आगे बढ़ जाता है तो वे ही रिवाज समाज को आगे बढाने के स्थान पर पीछे घसीटते हैं । इसलिये ऐसे रिवाजों को किसी प्रकार की मान्यता नहीं देनी चाहिये । समाज विज्ञान के आधार पर आगे बढ़ रहा है इस लिये हमें सदा सावधान रहना चाहिये कि जिन रिवाजों का हम समर्थन कर रहे हैं वे विज्ञान के अनुकूल हैं या नहीं । इस विधान में रिवाज के अनुसार किये जाने वाले सभी विवाहों का तिरस्कार नहीं किया गया है । ऐसे भी रिवाज हो सकते हैं जो यहां पर दिये गये निषिद्ध वर्गों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हों । ऐसे रिवाज विधि का बल पाकर और भी दृढ़ हो जायेंगे । परन्तु क्या हम उन रिवाजों का भी समर्थन करें जो अवांछनीय हैं जो समय को देखते हुए बहुत पिछड़े हुए हैं तथा हमारे नए विचारों के तथा विज्ञान के विरुद्ध हैं ?

कुछ सम्प्रदायों में रिवाज था कि एक ही गोत्र के व्यक्तियों को परस्पर विवाह नहीं करना चाहिये । इस रिवाज को अनुचित समझा

[श्री एस० एस० मोरे]

गया तथा विधि बना कर ऐसे व्यक्तियों की सहायता की गई जो इस प्रकार के विवाह करना चाहते थे ।

इसके जांचने के लिये कि कोई रिवाज अच्छा है कि नहीं तर्क कोई अच्छी कसौटी नहीं है क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के तर्क के स्तर अलग अलग होंगे । इस लिये उचित क्या है इसका निर्णय विज्ञान की दृष्टि से किया जाना चाहिये । इस लिये मैं अनुभव करता हूं कि यह संशोधन पारित न किया जाना चाहिये । इस विधान के द्वारा हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं इस लिये इस में उन रिवाजों को कोई भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिये जो समाज को पीछे ले जाने वाले हैं । यदि रिवाज के अनुसार विवाह करने वालों के पास विवाह की कोई और व्यवस्था न होती तो मैं इस संशोधन का समर्थन कर सकता था ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसे विवाह जो एक ही परिवार के भीतर सीमित रखे जाते हैं बहुत अवांछनीय हैं । यदि इस तरह के रिवाज समाप्त हो जावें तो लड़कों लड़कियों को अपना साथी चुनने के लिये और भी विशाल क्षेत्र मिल सकता है । इस प्रकार सम्पत्ति भी एक ही परिवार में जमा होने के बजाय अनेक परिवारों में वितरित होती रहेगी । इन सब कारणों से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं

**श्री नन्द लाल शर्मा :**

नमो भगवते कुसुमायुधाय

सभापति महोदय, बात यह है कि दो देवियों के बीच में एक बच्चे के सम्बन्ध में झगड़ा हो गया । किसी न्यायाधीश के पास केस गया : दोनों माताएं रोती रहीं कि यह बच्चा मेरा है । दोनों ही उस बच्चे के हटाने से बड़ी दुखी होती रहीं . प्राण देती रहीं और चिल्लाती रहीं । अन्त में बड़ी चिन्ता हुई कि क्या किया जाय । अन्त में न्यायाधीश ने यह कहा कि इस बच्चे को आधा आधा कर दिया जाय, आधा बच्चा एक स्त्री को दे दिया जाये और दूसरा आधा दूसरी स्त्री को दे दिया जाये । जो बेचारी बच्चे की माता थी उसने कहा कि इस बच्चे को दूसरी स्त्री ही को दे दिया जाये, वही उसकी माता है, मैं नहीं हूं ।

मुझे कोई बड़ा अचम्भा नहीं हुआ जब साम्यवादी पक्ष से इतने शक्तिशाली ढंग से और बड़े स्नेह से बोलते हुए कस्टम्स को बचाने की चेष्टा की जा रही थी वस्तुतः उनकी इच्छा यह है कि इस कस्टम बेचारे के प्राण ले लिए जाएं । इसके अलावा और कुछ नहीं है । हमको जरा भी अचम्भा इस बात से नहीं हुआ । जो जादूगरनी मुख से आग उगल सकती है और उसी समय पानी भी उगल सकती है वह अगर एक ही क्षण में कस्टम को नष्ट करने और कस्टम की रक्षा करने की बात कहे तो कोई अचम्भा नहीं । पहली बात यह है कि कस्टम की रक्षा यदि करनी ही थी तो इस जाति और देश में जो कस्टम प्रारम्भ से चले आ रहे थे , उसमें स्पेशल मैरेज कहीं नहीं थी, उसके बाद भी हमारे विधि मंत्री महोदय ने जिन के मन में थोड़ी सी पिछले पिता पितामह और बाप दादों की इज्जत रह गई, यह नहीं चाहा कि प्राहिबिटेड डिगरीज को बिल्कुल हटा दिया जाए । हालांकि मैं जानता हूं कि इस बिल के शिड्यूल में कस्टमरी प्राहिबिटेड डिगरीज नहीं हैं, लेकिन आपके इस बिल में दी हुई प्राहिविटेड डिगरीज जो हैं वह अलग हैं । कस्टम के अनुसार तो----

असपिण्डा च या मातु रसगोत्रा च या पितुः ।
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥
(मनु)

अथवा

यवीयसीं भार्तृमतीम् समनार्ष गोत्रजाम् ॥
(याज्ञवल्क्य)

यह बिल भी कस्टमरी नहीं है । आपने जो यूजेनिक्स की बात बार बार की और जिसका समर्थन करने की हिम्मत डा० जयसूर्य भी

रखते हैं या श्री गुरुपादस्वामी जिसके समर्थन के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं वह सिर्फ मोरैलिटी के सीमित दायरे में रह कर ही ऐसा करते हैं। जो हमारे बन्धु आज कस्टम की रक्षा चाहते हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि वह लोग जो कस्टम हमारे यहां चला आता था कि पिता के सगोत्र और माता के सपिण्डा के साथ विवाह नहीं करेंगे, उसके लिए भी उठ कर कहें। मैं उनका स्वागत करूंगा यदि वह खड़े होकर कह दें कि स्पेशल मैरेज हमारे कस्टम के मुताबिक ही हो, और जहां कोई कस्टम नहीं हैं वहां स्पेशल मैरेज न हों। यदि आप यह स्वीकार करें तो मैं कहता हूं कि हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन आप लिबर्टिनिज्म के चार्टर की बात करेंगे, प्रेम के गुण गाएंगे।

रीत मन्दिर वेद पाठ इव शिरश्शूलां जनयति, कामदेव के मन्दिर में वेद का पाठ हो तो शिर-दर्द पैदा करता है वैसे ही मुझे यह दिखता है कि आज के प्रसंग में वह कस्टम का नाम ले रहे हैं। इसी लिए मैं ने आज भगवान प्रेम की जय बोली है, कामदेव की जय बोली है। यहां सबसे बड़ा देवता कामदेव है। हमारे ऋषियों ने विवाह के समय कहा है :

कामोऽदात् कामायादात् कामोदाता कामः
प्रतिगृहीता कामैतत्ते ।।

काम ही दाता है, काम ही लेता है, देता भी काम को ही है और काम के लिए देता है। ऐसी परिस्थिति में जहां पर कामदेव नंगा हो नाचने लगा, वहां पर विधि मंत्री बेचारे ने थोड़ा सा प्रयत्न किया कि मोरैलिटी ही नष्ट नहीं हो जानी चाहिए। हमारे बन्धु इस कस्टम के नाम से थोड़ी बहुत बची हुई मोरैलिटी को ही मिटाने की चेष्टा कर रहे हैं, यह देख कर मुझे अचम्भा नहीं है। वह जिस सभ्यता को लाना चाहते हैं वह सभ्यता क्या होगी यह तो नारायण ही जानें। कहीं पर वह दक्षिण के नाम से रक्षा चाहते हैं, वह दक्षिण न जाने रूस की तरह का कोई दूसरा आयरन कर्टेन्ड देश है या क्या है, कहीं पर किसी दूसरे नाम से चाहते हैं। पता नहीं वह किस प्रकार के कस्टम की रक्षा चाहते हैं। वह चाहते हैं कस्टम का सर्वनाश और नाम लेते हैं कस्टम की रक्षा का। मैं यहीं पर उनकी इस भावना का विधि नहीं करता बल्कि इस के आगे जहां कहीं पर भी वह आयेगी वहां भी इसका विरोध करूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

**इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, ८ सितम्बर १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हुई।**